

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 मार्च 2024—फाल्गुन 18, शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2024

क्र. 460-2030-2018-1-10(पार्ट).—राज्य शासन एतद्वारा, माननीय न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार पालो, उप लोकायुक्त, भोपाल को Stern School of Business, New York University, New York (USA) में शिक्षारत पुत्र के शिक्षण संस्थान में दिनांक 17 मई 2024 को Convocation Ceremony में सम्मिलित होने हेतु शासकीय अवकाश दिनांक 10 से 11 मई एवं 12 मई 2024 को सम्मिलित करते हुये दिनांक 13 मई से 11 जून 2024 तक कुल तीस दिवस की अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है।

क्र. एफ5-10-2023-साप्रवि-(1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री राज मोहन सिंह, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को ओएसडी-कम-पी.पी.एस. मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. सी-1955(दो-1-18-2023) दिनांक 15 फरवरी 2024 के अनुक्रम में दिनांक 22 से 31 जनवरी 2024 तक दस दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 20 एवं 21 जनवरी 2024 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2024

क्र. एफ 1 (ए) 19-2015-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री विनीत खन्ना, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (चयन/भर्ती), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2023 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 23-25 व 30 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनीत खन्ना, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (चयन/भर्ती), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री विनीत खन्ना, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनीत खन्ना, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1 (ए) 85-2019-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री अभिनव चौकसे, भापुसे, राज्यपाल के परिसहाय, राजभवन, भोपाल, मध्यप्रदेश को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 23 अक्टूबर से 15 नवम्बर 2023 तक, बीस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत गुवाहाटी (आसाम) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

- | | | |
|----|----------------------|----------|
| 1. | श्री अभिनव चौकसे, | — स्वयं |
| 2. | श्रीमती मृगाखी डेका, | — पत्नी |
| 3. | सुश्री मैत्री डेका | — पुत्री |

(2) श्री अभिनव चौकसे, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, महिला सुरक्षा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अभिनव चौकसे, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न राज्यपाल के परिसहाय, राजभवन, भोपाल, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अभिनव चौकसे, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अभिनव चौकसे, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिनव चौकसे, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2024

क्र. एफ 1(ए) 83-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री आर. आर. एस. परिहार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पीटीआरआई पु. मु., भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 19 से 28 फरवरी 2024 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 17-18 फरवरी 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत लक्षद्वीप जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

- | | | |
|----|-------------------------|---------|
| 1. | श्री आर. आर. एस. परिहार | — स्वयं |
| 2. | श्रीमती अंजना परिहार | — पत्नी |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. आर. एस. परिहार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, पीटीआरआई, पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आर. आर. एस. परिहार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. आर. एस. परिहार, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1-45-2019-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री वरूण कपूर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, आर. ए.पी.टी.सी., इन्दौर को दिनांक 19 से 23 फरवरी 2024 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 17-18 व 24-25 फरवरी 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित इजिप्ट की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :—

- विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
- विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
- विदेश में कोई (Assignment) नहीं लेंगे।

(2) श्री वरूण कपूर, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक/सेनानी, आर. ए. पी. टी. सी., इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री वरूण कपूर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, आर. ए.पी.टी.सी., इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री वरूण कपूर, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री वरूण कपूर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वरूण कपूर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1 (ए)-109-2020-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री विजय कुमार भागवानी, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (एसआईएसएफ), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 19 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक, कुल तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 17-18 फरवरी व 03 मार्च 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत कोच्चि (केरल) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. श्री विजय कुमार भागवानी — स्वयं
2. श्रीमती मंजु भागवानी — पत्नी

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार भागवानी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक पुलिस महानिरीक्षक (एसआईएसएफ), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री विजय कुमार भागवानी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कुमार भागवानी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2024

क्र. ई. एफ-1864828-2024-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (अजाक), पु. मु., भोपाल को दिनांक 14 मई से 14 जून 2024 तक, बत्तीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15-17 जून, 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ

के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका (यू. एस. ए.) की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई (Assignment) नहीं लेंगे।

(2) श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, के अवकाश अवधि में अति. पुलिस महानिदेशक (अजाक), पु. मु., भोपाल का कार्य प्रभार श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (महिला सुरक्षा), पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (अजाक), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2024

क्र. एफ 1 (ए) 148-1995-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, परिवहन आयुक्त, ग्वालियर, मध्यप्रदेश, को दिनांक 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 25 फरवरी व 01 मार्च 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न परिवहन आयुक्त, ग्वालियर, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2024

क्र. एफ 1 (ए) 10-2003-ब-2-दो.—राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18 जनवरी 2024 द्वारा श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर का दिनांक 15 से 19 जनवरी 2024 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश अपरिहार्य कारणों से उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2024

फा. क्र. 793-2021-इक्कीस-ब(एक) 2024.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2021 की चयन सूची दिनांक 22 फरवरी 2023 में निम्नलिखित 04 अभ्यर्थियों द्वारा

भोपाल, दिनांक 29 फरवरी 2024

फा. क्र. 986-इक्कीस-ब(एक)-2024.—अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लेखित सेशन न्यायाधीश / अपर सेशन न्यायाधीश को, कॉलम (2) में उल्लेखित जिले के लिए, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने हेतु विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :-

सारणी

क्र.	जिले का नाम	सेशन न्यायालय
(1)	(2)	(3)
"1.	अनूपपुर	श्री रविन्दर सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर."

F-No. 986-XXI 3(1)-2024.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989) the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Sessions Judge/ Additional Sessions Judge mentioned in column (3), as Special Judge for districts mentioned in column (2) of the table given below to try the offences under the said Act, namely :-

TABLE

S.No.	Name of District	Sessions Court
(1)	(2)	(3)
"1.	Anuppur	Shri Ravinder Singh, Principal District and Sessions Judge, Anuppur."

फा. क्र. 1086-इक्कीस-ब(एक)-2024.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1998 (1988 का सं. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1-1-88-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 24 अक्टूबर 2009, में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 06 नवम्बर, 2009 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 42 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र. (1)	सेशन न्यायाधीश/अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (2)	स्थानीय क्षेत्र (3)
“42	सेशन न्यायाधीश, श्योपुर	श्योपुर.”

F-No. 1086-XXI B(1)-2024.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department Notifications, F. No. 1-1-88-XXI-B(1), dated 24th October, 2009, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated 6th November, 2009, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the Schedule, for serial number 42 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

S.No.	Sessions Judge / Additional Sessions Judge (2)	Local area (3)
“42	Sessions Judge, Sheopur	Sheopur.”

फा. क्र. 1087-इक्कीस-ब(एक)-2024.—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1)3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर 2013, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 10 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (3)
“10.	देवास	श्री यशपाल सिंह, चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, देवास.”

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F-No. 1087-XXI (B-I)-2024.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following farther amendment in this department's Notification F-No. B(1) 3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial number 10 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S.No.	Name of District	Name and Designation of Special Judge
(1)	(2)	(3)
"10.	Dewas	Shri Yashpal Singh, IV District and Additional Sessions Judge, Dewas."

(2) This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

संशोधित अधिसूचना

फा. क्र. 1088-इक्कीस-ब(एक)-2024.—कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा क्र. 17 (ई) 17-2016-इक्कीस-ब (एक)-2311-19, दिनांक 5 अप्रैल 2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 17 मई, 2019 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, जिला न्यायाधीश स्तर से निम्न अर्थात् व्यवहार न्यायाधीश स्तर के नीचे दी गई सारणी में, अनुक्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

क्र.	स्थान	न्यायिक अधिकारी का नाम (सिविल न्यायाधीश स्तर)
(1)	(2)	(3)
"3	जबलपुर	श्रीमती विधि डागलिया, दशम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, जबलपुर."

F-No. 1088-XXI B(1)-2024.—In exercise of the powers conferred by section 3 of Commercial Courts, Act, 2015 (No. 4 of 2016) the State Government, with the concurrence of Hon'ble Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this department's notification No. 17(E) 17-2016-XXI-B(1) 23-11-2019 dated 05th April, 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I, dated 17th May, 2019, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for Serial Number 3 for (Civil Judge Level) and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S.No.	Place	Name of the Judicial Officer (Civil Judge Level)
(1)	(2)	(3)
"3	Jabalpur	Smt. Vidhi Dagliya Xth Civil Judge, Senior Division, Jabalpur."

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2024

फा. क्र. 1250-2024-इक्कीस-ब(एक).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन, एतद्द्वारा, श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2017 के नियम 5(1) (ए) के अंतर्गत उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर), वेतनमान रुपये 1,44,840 से 1,94,660 (J-5) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश पाण्डव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2024

पंजी. क्र. 709-2024-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, जिला अनूपपुर में विभागीय आदेश दिनांक 12 दिसम्बर 1983 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री सुन्दरलाल सोनी को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर के माध्यम से प्राप्त आवेदन अनुसार अस्वस्थ रहने के कारण उनके द्वारा स्वेच्छा से आगे नोटरी व्यवसाय चालू नहीं रखने के आधार पर उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास भट्टेले, अतिरिक्त सचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2024

क्र. एफ-22-14-2000-ई-चार.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2022 द्वारा राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) (संशोधित अधिनियम, 2000) की धारा 10(ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

श्री अजीत केसरी, तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल को मध्यप्रदेश वित्त निगम के संचालक मण्डल में संचालक के पद हेतु नामांकित किया गया था. श्री अजीत केसरी, तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग का अन्यत्र स्थानांतरण हो गया है.

2. अतएव, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री अजीत केसरी, तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के स्थान पर श्री मनीष सिंह, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल को मध्यप्रदेश वित्त निगम के संचालक मण्डल में संचालक पद हेतु तत्काल प्रभाव से नामांकित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कठाने, अवर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2024

शुद्धि-पत्र

क्र. यूडीएच-3-0006-2024-अठारह-5.—नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्र. यूडीएच-3-0006-2024-अठारह-5, दिनांक 12 फरवरी 2024 को साधारण राजपत्र में प्रकाशित कराये जाने हेतु लिखा गया था उक्त सूचना का साधारण राजपत्र में दिनांक 16 फरवरी 2024 प्रकाशित हुई है. विभागीय सूचना दिनांक 12 फरवरी 2024 में टंकन त्रुटिवश कुल रकबा 0.280 के स्थान पर 0.670 अंकित हुआ है. कृपया उक्त सूचना में कुल रकबा 0.670 के स्थान पर कुल रकबा 0.280 पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2024

क्र. 566-1882333-24-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने

तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात्:—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अशोकनगर	अशोकनगर	श्रीमती पूनम कटारिया, JMFC

No. 566-1882333-24-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015, the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column no. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ashoknagar	Ashoknagar	SMT. Poonam Katariya, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय कटेशारिया, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2024

क्र. एफ 15-15-2006-दस-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिसूचना के दिनांक से तीन वर्ष के लिए मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड का पुनर्गठन निम्नानुसार करता है:—

पदेन शासकीय सदस्य

1.	माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
2.	माननीय वनमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन	उपाध्यक्ष
3.	माननीय वन राज्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
4.	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग	सदस्य
6.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग	सदस्य
7.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, भोपाल	सदस्य
8.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम	सदस्य

9.	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं अध्यक्ष, मध्यप्रदेश, टाइगर सेल	सदस्य
10.	निदेशक, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान	सदस्य
11.	सेना का एक प्रतिनिधि जो बिग्रेडियर से कम स्तर का अधिकारी न हो सदस्य (भारत सरकार द्वारा नामांकित किया जाएगा)	सदस्य
12.	संचालक, पशुपालन विभाग, भोपाल	सदस्य
13.	संचालक, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग, भोपाल	सदस्य
14.	संचालक, वन्यप्राणी भारत सरकार या उसके प्रतिनिधि	सदस्य
15.	निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के प्रतिनिधि	सदस्य
16.	बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि	सदस्य
17.	जुलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि	सदस्य
18.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक (वन्यप्राणी)	सदस्य सचिव

माननीय विधायकगण

19.	श्री हेमंत खंडेलवाल, माननीय विधायक विधान सभा क्षेत्र, बैतूल	सदस्य
20.	श्री मधु सिंह गेहलोत, माननीय विधायक, विधान सभा क्षेत्र आगर-मालवा	सदस्य
21.	श्री नीरज सिंह ठाकुर, माननीय विधायक, विधान सभा क्षेत्र बरगी	सदस्य

वन्यप्राणियों से संबंधित प्रतिष्ठित अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधि

22.	दीनदयाल शोध संस्थान, चित्रकूट	सदस्य
23.	भाऊराव भिस्कुटे न्यास, नर्मदापुरम	सदस्य
24.	भारत-भारती, बैतूल	सदस्य

अनुसूचित जनजाति के विशेषज्ञ सदस्य

25.	श्री रूप नारायण मांडवे, वन्यप्राणी संरक्षण विशेषज्ञ, 87, नेशनल हाउसिंग सोसायटी, फेज-2, एकलव्य आदिवासी छात्रावास के बगल में, हाईकोर्ट सोसायटी के पास, मांडवा रोड, छपर रामपुर, जबलपुर, मध्यप्रदेश. पर्यावरणविद्/वन संरक्षण विषय विशेषज्ञ सदस्य	सदस्य
26.	डॉ. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री काल्यासिंह चौहान, भैसदेही जिला बैतूल (वर्तमान पता चौहान मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, टैगोर वार्ड, गंज, बैतूल) मध्यप्रदेश. पर्यावरणविद्/वन संरक्षण विषय विशेषज्ञ सदस्य	सदस्य
27.	श्री मोहन नागर, भारत भारती संस्था	सदस्य
28.	डॉ. सुदेश बागमारे, सेवानिवृत्त सहायक वन संरक्षक, भोपाल	सदस्य
29.	श्री संतोष शुक्ला, शडडोल	सदस्य
30.	श्री मुकेश इंगले, उज्जैन	सदस्य
31.	श्री विजय मनोहर तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार एवं पूर्व राज्य सूचना आयुक्त	सदस्य
32.	डॉ. आलोक कुमार, सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भोपाल	सदस्य
33.	श्री शेखर चन्दा, वन्यप्राणी संरक्षण क्षेत्र में विशेष अभिरूचि, उज्जैन	सदस्य
34.	डॉ. नारायण व्यास, मकान नं. 95, फाइन एवेन्यू, कोलार रोड, भोपाल	सदस्य

2. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 6(3) के अनुसार बोर्ड के सदस्य (पदेन सदस्यों के सिवाय) अपने कर्तव्यों के निष्पादन में उपगत खर्चों के बावत् ऐसे भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो विहित किये जायेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2024

क्र. एफ-04-01-06-0001-2023-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है।

2. अतएव मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष नियम 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है।

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा।

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व का क्षेत्र जो संरक्षण के अधीन है	क्षेत्रफल (हे. में)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	सीहोर	बुधनी	गिन्नौरगढ़	किला	आरक्षित कक्ष क्र. 558	(36.90 हे. में से 06 हे.)	वन विभाग	नहीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील दुबे, उपसचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2024

क्र. एफ-3-1-8-0001-2024-Sec. 2-07(Rev).—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 240 के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (इकसठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम, की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन का अवसान होने पर संशोधन के उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो संशोधन के उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर या उसके पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमों में, नियम 73 के पश्चात् निम्नानुसार नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“74. **राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अधीन अधिसूचित वृक्षों के संबंध में प्रावधान.**—एसे वृक्ष जो, राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम, 2002 (क्रमांक 18 सन् 2003) की धारा 38 के अधीन अधिसूचित किये गये हैं, को काटे जाने, गिराये जाने, घेरे जाने या अन्यथा क्षति पहुंचाये जाने की, इस नियमों के अधीन कोई अनुज्ञा नहीं दी जायेगी.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश कुमार कौल, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2024

क्र. एफ-3-1-8-0001-2024-Sec. 2-07(Rev).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-3-1-8-0001-2024-Sec. 2-07(Rev) दिनांक 6 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश कुमार कौल, अवर सचिव.

Bhopal, the 6th March 2024

F-3-1-8-0001-2024-Sec. 2-07-(Rev).—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Vividh) Niyam, 2020, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (1xi) of sub-section (2) of Section 258 read with Section 240 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) is hereby published as required by sub-section (3) of Section 258 of the said Code for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment shall be taken in to consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received by the Secretary, Government of Madhya Pradesh, Revenue Department, Vallabh Bhawan, Mantralaya, Bhopal from any person with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, after rule 73, the following rule shall be inserted, namely:—

“74. **Provisions regarding trees notified under the National Biological Diversity Act, 2002.**—No permission shall be granted for cutting, felling, girdling or otherwise damaging such trees which are notified under the provisions of Section 38 of the National Biological Diversity Act, 2002 (No. 18 of 2003), under these Rules.”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJESH KUMAR KAUL, Under Secy.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र. 157-भू-अर्जन-2024

सीधी, दिनांक 9 फरवरी 2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रति कर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	चुरहट
(ग) ग्राम	-	सांड़ा
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	-	सांड़ा
(ङ.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	-	रकवा 0.748 हे०

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	28/1	0.030	0.024	विनय कुमार सिंह पिता गोकुल सिंह
2	54/2	0.022	0.014	रामकृष्ण पिता गंगा राम ब्रा०
3	63/1/1	0.402	0.042	रविशंकर, हरिशंकर पिता मोली लाल ब्रा०
4	64/1/1	0.100	0.060	राजेश कुमार कुशवाहा पिता भोला प्रसाद कुशवाहा
5	64/2/1	0.099	0.020	रमाशंकर, गयादीन, सुशीला पिता जयराम कुशवाहा
6	65/1	0.007	0.002	पुष्परज सिंह, कलावती बेवा छोटेलाल सिंह, कृष्णेश्वर सिंह पिता गोविन्द सिंह, मु० सन्तोष सिंह बेवा गोविन्द बहादुर सिंह
7	73/1	0.046	0.036	राजेश कुमार पिता छोटेलाल ब्राह्मण
8	74/1	0.014	0.014	राजेश कुमार कुशवाहा पिता भोला प्रसाद कुशवाहा
9	76/1/1	0.090	0.060	श्याम सुन्दर, हीरालाल, हरिप्रसाद, लल्लू भईया पिता रामसखा, मु० बेवा राजभान, कालू पिता राजभान, प्रदीप, अनीता, अंकिता, रविता पिता लालमणि मु० बेवा लालमणि
10	77/1	0.105	0.105	यज्ञभान पिता मटुकधारी पटेल
11	78/1	0.060	0.016	जगदीश पिता शिवरथी पटेल
12	78/2	0.070	0.032	कालू जगन्नाथ, दीनबन्धु पिता साधू कर्मी
13	79/1	0.029	0.029	भोला पिता गौरीचरण, मु० बेवा गौरीचरण
14	80/1	0.094	0.084	तालाशंकर पिता रामजियावन पटेल
15	81	0.130	0.005	मु० प्रेमवती बेवा रामखेलावन, रामनिवास, सुखनिवास, विनोद कुमार, जय कुमार पिता रामखेलावन 1/4, छोटेलाल पिता साधूराम 1/4, दयाशंकर, उमाशंकर, राहुल पिता चक्रपाणि, बाबू पिता अनिल
16	138	0.020	0.010	रामनरेश पिता रामसिया पटेल, मुनिया बेवा रामशरण पटेल, पुष्परज, पारसनाथ पिता रामशरण पटेल, कौशिल्या बेवा भारत, रामसजीवन रतिभान पिता रामसिया पटेल
17	139	0.030	0.005	रामकिशोर पिता रामाश्रय कुर्मी, बेवा प्रेमवती पत्नी रामानुज, रविनंदन, रामकृष्ण पिता रामानुज पटेल, दयाशंकर पिता रामानुज पटेल
18	140	0.080	0.055	मु० पार्वती पति रामधनी, रामरहीश, कमला, बच्चूलाल पिता रामधनी पटेल
19	141/1	0.038	0.038	रामरहीश पिता रामधनी पटेल

क्रमांक	असरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में	टिप्पणी
1	2	3	4	5
20	142/1	0.031	0.031	विश्वनाथ पिता बंशी पटेल, ललवा पटेल, घुरिया पटेल, मनकिरिया पटेल पिता मंगल पटेल
21	143/1	0.005	0.005	दयाशंकर, उमाशंकर, राहुल पिता चक्रपाणि त्रिपाठी
22	144/1	0.006	0.006	हरिनाथ, प्रेमलाल, रामसुमिरन, फुलेल पिता दधिबल, रामकली बेवा दधिबल कुर्मी
23	145/1	0.013	0.013	श्यामसुन्दर, हीरालाल, हरिप्रसाद, लल्लू भईया पिता रामसखा, मु० बेवा राजभान, कालू पिता राजभान, प्रदीप, अनीता, अंकिता, रविता पिता लालमणि मु० बेवा लालमणि
24	150/2	0.008	0.008	विश्वनाथ पिता बंशी पटेल, ललवा पटेल, घुरिया पटेल, मनकिरिया पटेल पिता मंगल पटेल
25	259/1	0.040	0.034	सावित्री, शैल कुमारी, विजय पिता सुन्दरलाल, मु० कलावती बेवा श्यामलाल, अरुण कुमार, अजय कुमार पिता श्यामलाल ब्रा०
निजी भूमि का योग		1.569	0.748	

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 159-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रति कर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

--: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	चुरहट
(ग) ग्राम	-	शिवपुरवा
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	-	शिवपुरवा
(ङ.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	-	रकवा 0.440 हे०

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	58/1	0.017	0.015	रामरती बेवा बद्दी सिंह 1/3, लालजी पिता बद्दी सिंह 1/3, हरिशरण सिंह पिता बद्दी सिंह 1/3
2	53/1	0.925	0.100	रविनन्दन पिता रंगदेव सिंह बघेल
3	48/1	0.326	0.026	हीरालाल पिता सिरी 1/12, भैयालाल पिता सिरी 1/12, श्यामलाल पिता सिरी 1/12, शिवलाल पिता सिरी 1/12, फूलमती पत्नी जमुना 1/12, उमाशंकर पिता मोतीलाल 1/24, रमाकान्त पिता मोतीलाल 1/24, गणेश पिता काशी 1/6, अजय पिता महेश 1/24, राजेश पिता महेश 1/24, कुसुमकली पिता महेश 1/24, पियका पिता महेश 1/24, विलसुआ पत्नी सुरेश 1/30, लखपति पिता सुरेश 1/30, जितेन्द्र पिता सुरेश 1/30, सोनू पिता सुरेश 1/30, राजा पिता सुरेश 1/30
4	74/1	0.311	0.041	भैयालाल पिता समल 1/6, लोलर पिता समल 1/6, लालमणि पिता समल 1/6, श्यामवती बेवा रामसुखी 1/24, नीलू पिता रामसुखी 1/24, रघुनन्दन पिता रामसुखी 1/24, रामसुंदर पिता धनुकधारी 1/3
5	73/1/1	0.198	0.0185	लालमणि पिता समल पटेल
6	73/2/1	0.199	0.0185	लोलर पटेल पिता समल पटेल
7	73/3/1	0.198	0.0185	भैयालाल पिता समल पटेल
8	73/4/1	0.209	0.0185	श्यामवती पत्नी रामसुखी पटेल 1/2, रघुनंदन पिता रामसुखी पटेल 1/2
9	75/1/1	0.163	0.025	लोलर पटेल पिता समल पटेल
10	75/2/1	0.171	0.025	भैयालाल पिता समल पटेल
11	75/3/1	1.162	0.026	श्यामवती पत्नी रामसुखी पटेल 1/2, रघुनंदन पिता रामसुखी पटेल 1/2
12	80/1	0.031	0.026	भैयालाल पिता समल पटेल 1/4, लालमणि पिता समल 1/4, लोलर पिता समल 1/4, श्यामवती बेवा रामसुखी 1/8, रघुनंदन पिता रामसुखी 1/8

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में	टिप्पणी
1	2	3	4	5
13	83/1	0.019	0.014	गमेशिया पत्नी सिद्धनाथ 1/12, मनबोध पिता बैजनाथ 1/6, शिवशंकर पिता बैजनाथ 1/6, सत्यनारायण पिता सिद्धनाथ 1/12, रामनरेश पिता सिद्धनाथ 1/12, शान्ती पत्नी देवतादीन 1/24, प्रदीप पिता देवतादीन 1/24, शिवमूरत पिता रामसेवक 1/3
14	86/1	2.943	0.043	रमेश प्रसाद पिता मंदकिशोर राम 1/3, लीलायती देवा अवधेश प्रसाद 1/6, दिनेश प्रसाद पिता मंदकिशोर राम 1/3, भवण कुमार पिता अवधेश प्रसाद 1/6
15	54/1/1	0.018	0.006	लालमणि पिता समल पटेल
16	54/2/1	0.018	0.006	लोलर पटेल पिता समल पटेल
17	54/3/1	0.008	0.007	भैयालाल पिता समल पटेल
18	54/4/1	0.017	0.006	श्यामयती पत्नी रामसुखी पटेल 1/2, रघुनंदन पिता रामसुखी पटेल 1/2
निजी भूमि का योग		6.933	0.440	

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 161-भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रति कर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	चुरहट
(ग) ग्राम	-	बड़खरा 739
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	-	बड़खरा 739
(ङ.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	-	रकबा 0.375 हे०

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	510/1	0.090	0.006	जय कुमार पिता चिंतामणि
2	497/1	0.270	0.021	मुद्रिका प्रसाद पिता चतुर्भुज
3	282/1	0.220	0.020	दिनकर प्रसाद पिता गंगाराम ब्रा०
4	284/1	0.030	0.013	शांति तिवारी बेवा राममणि तिवारी 1/2, हरिनारायण तिवारी पिता राममणि तिवारी 1/2
5	285/1	0.040	0.016	चन्द्रमणि प्रसाद पिता रामखेलावन राम 1/3, इन्द्रमणि प्रसाद पिता रामखेलावन 1/3, सूर्यमणि राम पिता रामखेलावन राम 1/3
6	286/1	0.040	0.002	शांति तिवारी बेवा राममणि तिवारी 1/2, हरिनारायण तिवारी पिता राममणि तिवारी 1/2
7	294/1/1	0.295	0.0085	राधिकेश कुमार पिता दिनकर प्रसाद तिवारी
8	294/2/1	0.295	0.0085	कमलेश कुमार पिता दिनकर प्रसाद तिवारी
9	315/1/1	0.453	0.010	राजमणि 1/24, राजीव लोचन 1/24, राजेश 1/24, देववती 1/24, शिववती 1/24, बुटान 1/24 पिता उदयभान, पन्नलाल पिता शत्रुघनराम 1/4, रोशनलाल पिता अंजनी प्रसाद 1/16, अजीत पिता रामगोपाल 1/16, आशीष पिता रामगोपाल 1/16, अमरीश पिता रामगोपाल 1/16
10	313	0.200	0.004	राजमणि 1/24, राजीव लोचन 1/24, राजेश 1/24, देववती 1/24, शिववती 1/24, बुटान 1/24 पिता उदयभान, पन्नलाल पिता शत्रुघनराम 1/4, रोशनलाल पिता अंजनी प्रसाद 1/16, अजीत पिता रामगोपाल 1/16, आशीष पिता रामगोपाल 1/16, अमरीश पिता रामगोपाल 1/16
11	325/1/1/1	0.050	0.006	रमाशंकर पिता रामभजन
12	325/1/2/1	0.010	0.006	नागेन्द्र पिता रामायण
13	325/1/3/1	0.010	0.006	नारेन्द्र पिता रामायण

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में	टिप्पणी
1	2	3	4	5
14	325/1/4/1	0.010	0.006	ऋषिराज पिता रामायण
15	325/1/5/1	0.010	0.006	कमलाकांत पिता सुरेश प्रसाद शुक्ला
16	325/1/6/1	0.010	0.006	मनबोध पिता रमेश प्रसाद
17	325/1/7/1	0.010	0.006	नारेन्द्र व्यास पिता शिवसहाय
18	325/1/8/1	0.010	0.006	भोला प्रसाद पिता घनश्याम प्रसाद
19	325/1/9/1	0.010	0.006	अनुपा उर्फ अनुपा पत्नी संजय पाण्डेय
20	325/1/10/1	0.010	0.006	वेद प्रकाश पिता रामलखन
21	325/1/2/1	0.140	0.006	दयाशंकर पिता रामभजन
22	325/1/3/1	0.130	0.007	कृपाशंकर पिता रामभजन
23	109/1/1	0.170	0.006	विनोद कुमार सिंह पिता मोतीलाल सिंह
24	109/2/1/1	0.070	0.006	नवीन पिता बबूलाल सिंह
25	109/2/2/1	0.070	0.006	सचीन पिता बबूलाल सिंह
26	109/3/1	0.080	0.006	पवन कुमार सिंह पिता मोतीलाल सिंह
27	109/4/1/1	0.020	0.006	सतीश कुमार सिंह पिता शिवकुमार सिंह
28	109/4/2/1	0.020	0.005	प्रवीण कुमार सिंह पिता शिव कुमार सिंह
29	73/1/1	0.290	0.025	जय प्रकाश पिता राममणि शर्मा
30	73/2/1/1/1/1	0.096	0.025	जय प्रकाश पिता राममणि शर्मा
31	73/3/1/1/1	0.100	0.025	राकेश कुमार पिता राममणि
32	75/1/1/1/1	0.745	0.025	सन्तोष कुमार पिता सूर्य प्रताप
33	75/1/2/1	0.775	0.020	पवन कुमार पिता सूर्य प्रताप
34	124/1/1/1	0.156	0.038	अशोक कुमार पिता राम प्रसाद
निजी भूमि का योग		4.935	0.375	

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
साकेत मालवीय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 12 फरवरी 2024

क्रमांक 1400 / भू-अर्जन / 2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 005/37-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ़ के ग्राम-जटियाखेड़ी के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि कार्यपालन यंत्री सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग, ब्यावरा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति म.प्र. राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) पर्यावरण योजना और समन्वय संगठन, पर्यावरण परिसर ई-5, अरेरा कॉलोनी भोपाल के पत्र क्रं. 1111/ *म। दिनांक 03.06.2021 द्वारा जारी की गयी है। पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये जाते समय विभाग द्वारा प्रस्तुत अंतिम ई.आई.ए./ई.एम.पी. प्रतिवेदन में भी सामाजिक समाघात निर्धारण अध्याय को सम्मिलित कराया गया था। तत्पश्चात प्रथक से सामाजिक समाघात निर्धारण भी कराया जा चुका है।

—: अनुसूची (1) :-

तहसील : सुठालिया

जिला : राजगढ़

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम-जटियाखेड़ी

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम-जटियाखेड़ी की शेष भूमि की आवश्यकता।	28.736	10.840
	कुल योग :	28.736	10.840

—: अनुसूची (2) :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	उमराबबाई बेवा कंवरलाल जाति भोई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	23/2/1	0.632	0.480
		कुल 1 किता	0.632	0.480
2	मौंगीलाल पिता बालकिशन हि. 1/2 भाग, रामप्रसाद पिता बालकिशन हि. 1/2 भाग, जाति भोई पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	23/2/2	1.897	0.220
		कुल 1 किता	1.897	0.220

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
3	जालम पिता बक्शू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	44/1	0.237	0.075
		कुल 1 किता	0.237	0.075
4	तुलारामगिरधारी पिता गिरधारी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	44/7 45/4 77/3/4	1.012 0.243	0.692 0.150
		कुल 2 किता	1.255	0.842
5	लाखनसिंह पिता मोहनलाल जाति गुर्जर पता नि.ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	43/1/3	2.597	2.097
		कुल 1 किता	2.597	2.097
6	प्रयागसिंह पिता मोहनलाल जाति गुजर पता जाटियाखेड़ी सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	43/1/4	3.001	1.100
		कुल 1 किता	3.001	1.100
7	कंचनसिंह पिता गुलाब जाति गुजर पता निय.ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	43/2	2.040	0.820
		कुल 1 किता	2.040	0.820
8	हरिसिंह पिता मोहनलाल हि. 1/7 भाग, लाखनसिंह पिता मोहनलाल हि. 1/7 भाग, प्रयागसिंह पिता मोहनलाल हि. 1/7 भाग, सोरमबाई पुत्री मोहनलाल हि. 1/7 भाग, छमाबाई पुत्री मोहनलाल हि. 1/7 भाग, पार्वतीबाई पुत्री मोहनलाल हि. 1/7 भाग, गोराबाई पुत्री मोहनलाल हि. 1/7 भाग, जाति गुजर पता जाटियाखेड़ी सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	42/2 43/1/1	0.214 0.701	0.125 0.260
		कुल 2 किता	0.915	0.385
9	देवीराम पिता धूल्या हि. 1/3 भाग, नोरंगबाई पुत्री धूल्या हि. 1/3 भाग, भगवतीबाई पुत्री धूल्या हि. 1/3 भाग, जाति चमार पता नि.ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	42/1	0.835	0.050
		कुल 1 किता	0.835	0.050
10	हरिसिंह पिता मोहनलाल जाति गुजर पता नि.ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	43/1/2	0.701	0.450
		कुल 1 किता	0.701	0.450
11	हरिनारायण पिता बन्शीलाल हि. 1/2 भाग, करणसिंह पिता बन्शीलाल हि. 1/2 भाग, जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम जाटियाखेड़ी तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	46/1	2.281	1.521
		कुल 1 किता	2.281	1.521
12	फतेसिंह पिता गिरधारी जाति गुजर पता नि.ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	47/2	0.720	0.120
		कुल 1 किता	0.720	0.120

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
13	देवीराम पिता हरकिशन हि. 1/2 भाग, मांगीलाल पिता हरकिशन हि. 1/2 भाग, जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	48/2	0.499	0.090
		कुल 1 किता	0.499	0.090
14	प्रेमसिंह, भारतसिंह, इमरतसिंह, रतनसिंह, मांगीबाई, दीपाबाई, मांगीबाई, दीपाबाई, चतरबाई, धापूबाई, पिता चैनसिंह मु० भूलीबाई बेवा चैनसिंह हि० 50 पैसे, मांगीलाल, हरिसिंह, दयालसिंह, गौरीलाल, पिता जगन्नाथ, कमलाबाई बेवा जगन्नाथ हि० 50 पैसे जाति गुजर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	50/1	1.923	0.300
		50/5	0.316	0.150
		कुल 2 किता	2.239	0.450
15	धीसालाल पिता राजाराम हि. 1/2 भाग, भारतसिंह पिता राजाराम हि. 1/2 भाग, जाति गुजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	50/2/1	1.689	0.090
		कुल 1 किता	1.689	0.090
16	भीकमसिंह पिता देवीराम जाति गुजर पता नि.ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	50/2/2	1.689	0.220
		कुल 1 किता	1.689	0.220
17	धुल्या पिता दोला हि. 1/4 भाग, देवा पिता दोला हि. 1/4 भाग, जगन्नाथ पित दोला हि. 1/4 भाग, बदाम पिता दोला हि. 1/4 भाग, जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	90/50	0.126	0.090
		कुल 1 किता	0.126	0.090
18	मांगीलाल पिता कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	77/3/6	3.801	1.012
		78	1.214	0.360
		कुल 2 किता	5.015	1.372
19	मांगीलाल पिता कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	44/2	0.237	0.237
		44/5	0.131	0.131
		कुल 2 किता	0.368	0.368
	महायोग :-	कुल 24 किता	28.736	10.840

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 1445 / भू-अर्जन/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 55/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ़ के ग्राम-भंवास के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि कार्यपालन यंत्री सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग, ब्यावरा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति म.प्र. राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) पर्यावरण योजना और समन्वय संगठन, पर्यावरण परिसर ई-5, अरेरा कॉलोनी भोपाल के पत्र क्रं. 1111/ SEIAA दिनांक 03.06.2021 द्वारा जारी की गयी है। पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये जाते समय विभाग द्वारा प्रस्तुत अंतिम ई.आई.ए./ई.एम.पी. प्रतिवेदन में भी सामाजिक समाघात निर्धारण अध्याय को सम्मिलित कराया गया था। तत्पश्चात् प्रथक से सामाजिक समाघात निर्धारण भी कराया जा चुका है।

—: अनुसूची (1) :—

तहसील :- सुठालिया

जिला :- राजगढ़

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की शेष भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव,
ग्राम-भंवास

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम-भंवास की शेष भूमि की आवश्यकता।	0.215	0.156
	कुल योग :	0.215	0.156

—: अनुसूची (2) :—

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
1	लच्छा रामा पिता घीसा मु. धुरीया बेवा घीसा हि. 33 पै. गिरधारी पिता देवा मु. भवरीबाई बेवा कालू हि. 67 पै. जाति लोदा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	132/1	0.126	0.126
		कुल 1 किता	0.126	0.126
2	मोरसिंह पिता कन्हैयालाल जाति कुम्हार पता भवास सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	134	0.089	0.030
		कुल 1 किता	0.089	0.030
	महायोग :-	कुल 02 किता	0.215	0.156

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 1447/भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 59/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ़ के ग्राम-हांसरोद के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि कार्यपालन यंत्री सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग, ब्यावरा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति म.प्र. राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) पर्यावरण योजना और समन्वय संगठन, पर्यावरण परिसर ई-5, अरेरा कॉलोनी भोपाल के पत्र क्रं. 1111/म.प्र. दिनांक 03.06.2021 द्वारा जारी की गयी है। पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये जाते समय विभाग द्वारा प्रस्तुत अंतिम ई.आई.ए/ई.एम.पी. प्रतिवेदन में भी सामाजिक समाघात निर्धारण अध्याय को सम्मिलित कराया गया था। तत्पश्चात प्रथम से सामाजिक समाघात निर्धारण भी कराया जा चुका है।

—: अनुसूची (1) :-

तहसील : सुठालिया

जिला : राजगढ़

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम-हांसरोद

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम-हांसरोद की शेष भूमि की आवश्यकता।	3.046	0.415
	कुल योग :	3.046	0.415

—: अनुसूची (2) :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
1	किशनलाल पिता रूगनाथ जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	755/2/2	0.664	0.100
		कुल 1 किता	0.664	0.100
2	सरदारबाई पत्नि कुमेरसिंह जाति सौंधिया पता हांसरोद ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	754/1/1	1.227	0.155
		कुल 1 किता	1.227	0.155

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
3	भगवानसिंह पिता कुमेरसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	754/2/1/1 ✓	0.759 ✓	0.040
		कुल 1 किता	0.759	0.040
4	जगमोहन पिता गंगाप्रसाद जाति कायस्त पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	752/1/1 ✓	0.396 ✓	0.120
		कुल 1 किता	0.396	0.120
	महायोग :-	कुल 4 किता	3.046	0.415

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 1449 / भू-अर्जन/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 57/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ़ के ग्राम-सीलखेड़ा के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11. के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि कार्यपालन यंत्री सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग, ब्यावरा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति म.प्र. राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) पर्यावरण योजना और समन्वय संगठन, पर्यावरण परिसर ई-5, अरेरा कॉलोनी भोपाल के पत्र क्रं. 1111/ SEIAA दिनांक 03.06.2021 द्वारा जारी की गयी है। पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये जाते समय विभाग द्वारा प्रस्तुत अंतिम ई.आई.ए./ई.एम.पी. प्रतिवेदन में भी सामाजिक समाघात निर्धारण अध्याय को सम्मिलित कराया गया था। तत्पश्चात् प्रथक से सामाजिक समाघात निर्धारण भी कराया जा चुका है।

—: अनुसूची (1) :-

तहसील :- सुठालिया

जिला :- राजगढ़

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की शेष भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव,
ग्राम-सीलखेड़ा

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम-सीलखेड़ा की शेष भूमि की आवश्यकता।	39.366	12.792
	कुल योग :	39.366	12.792

—: अनुसूची (2) :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	संदीप नाबा पिता दिनेश जाति अहीर पता नि. सीलखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. ग्राम भूमि स्वामी	398/2/2	0.242	0.026
	कुल 1 किता		0.242	0.026

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
2	सुरेन्द्रसिंह नाबालिग पिता लक्ष्मणसिंह सरपर माता नंदकुंवर पति लक्ष्मणसिंह, हि. 1/2 भाग, नरेन्द्रसिंह नाबालिग पिता लक्ष्मणसिंह सरपर माता नंदकुंवर पति लक्ष्मणसिंह, हि. 1/2 भाग जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	906	3.351	0.535
		कुल 1 किता	3.351	0.535
3	अमरसिंह पिता भोलाराम जाति चमार पता नि. सीलखेडी भूमि स्वामी	406/4	0.500	0.240
		कुल 1 किता	0.500	0.240
4	भारतसिंह पिता रोडजी जाति चमार पता राजगढ़ भूमि स्वामी	405/1/1/4	0.500	0.050
		कुल 1 किता	0.500	0.050
5	बद्रीलाल पिता नाथूलाल जाति अहीर पता नि. राजगढ़ भूमि स्वामी	408/4	0.126	0.037
		कुल 1 किता	0.126	0.037
6	मदन पिता नरबा जाति अहीर पता नि. राजगढ़ भूमि स्वामी	408/5	2.529	0.847
		408/6	1.075	0.090
		कुल 2 किता	3.604	0.937
7	काशीराम, अमरसिंह पिता शोभाराम, सुन्दरबाई पुत्री शोभाराम हि. 41 मोडसिंह मथरालाल पिता हजारीलाल पारवतीबाई बेवा हजारीलाल हि. 13 पे. बापूलाल दयाराम, जगन्नाथ, नारानसिंह पिता नरभा हि. 50 जाति अहीर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	417/1	1.618	0.638
		कुल 1 किता	1.618	0.638
8	नारायणसिंह पिता नरभा जाति अहीर पता राजगढ़ भूमि स्वामी	417/2	0.253	0.228
		कुल 1 किता	0.253	0.228
9	धन्नालाल पिता बंशीलाल जाति अहीर पता राजगढ़ भूमि स्वामी	420/1	0.821	0.038
		कुल 1 किता	0.821	0.038
10	बनेसिंह पिता शम्भूलाल जाति अहीर पता नि. राजगढ़ भूमि स्वामी	423/1/2/2	0.506	0.309
		कुल 1 किता	0.506	0.309
11	प्रेमसिंह पिता खुशीलाल जाति अहीर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	423/2	1.770	0.312
		कुल 1 किता	1.770	0.312
12	लीला बाई पति मांगीलाल जाति अहीर पता नि. राजगढ़ भूमि स्वामी	424/1	1.068	0.208
		कुल 1 किता	1.068	0.208
13	हेमराज पिता शम्भूलाल जाति अहीर पता नि. राजगढ़ भूमि स्वामी	424/2/2	0.535	0.057
		कुल 1 किता	0.535	0.057

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
14	पर्वतसिंह पिता दयाराम जाति अहीर पता नि. राजगढ़ भूमि स्वामी	425/2/1	0.174	0.018
		कुल 1 किता	0.174	0.018
15	सजनसिंह पिता दयाराम जाति अहीर पता नि. राजगढ़ भूमि स्वामी	425/2/2	0.174	0.026
		कुल 1 किता	0.174	0.026
16	दयाराम पिता नंदराम कलाबाई पुत्री नंदराम सम्पतबाई बेवा नंदराम जाति भोई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	922/323/1	0.126	0.063
		कुल 1 किता	0.126	0.063
17	छोटिया पिता खुशीलाल जाति भोई पता राजगढ़ भूमि स्वामी	922/323/3	0.126	0.075
		कुल 1 किता	0.126	0.075
18	मांगीलाल पिता कालूराम जाति गुर्जर पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	900/11	0.304	0.050
		कुल 1 किता	0.304	0.050
19	हरिसिंह पिता जगन्नाथ जाति अहीर पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	416/3	0.379	0.083
		कुल 1 किता	0.379	0.083
20	हरिओम, सावित्रीबाई संगीताबाई ममताबाई पिता देवसिंह सरदारबाई बेवा देवसिंह जाति धोबी पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	908/1	0.380	0.100
		कुल 1 किता	0.380	0.100
21	लक्ष्मणसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत पता राजगढ़ भूमि स्वामी	912	2.706	0.115
		कुल 1 किता	2.706	0.115
22	मांगीलाल पिता ईसर जाति अहिर पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	909/1	0.158	0.419
		कुल 1 किता	0.158	0.419
23	प्रेमसिंह पिता ईसर जाति अहिर पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	909/2	0.384	0.115
		कुल 1 किता	0.384	0.115
24	बंशीलाल पिता दयाराम जाति अहीर पता नि. राजगढ़ भूमि स्वामी	416/2/2/1	0.206	0.065
		कुल 1 किता	0.206	0.065
25	भारतसिंह पिता दयाराम जाति अहीर पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	416/2/2/2	0.207	0.045
		कुल 1 किता	0.207	0.045
26	बनेसिंह पिता गोरेलाल जाति अहीर पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	416/2/4	0.126	0.020
		कुल 1 किता	0.126	0.020

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
27	रोडजी पिता राधेलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	886/7/3	0.364	0.150
		कुल 1 किता	0.364	0.150
28	फुन्दीलाल पिता राधेलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	886/7/4	0.228	0.080
		कुल 1 किता	0.228	0.080
29	ग्यारगीराम भोला नाथू पन्ना पिता कोकल्या मु. भंवरी बेवा कोकल्या हि. 5 पे. भोना प्रभू धूल्या पिता, गोपीलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1067/899	0.797	0.152
		कुल 1 किता	0.797	0.152
30	आसाराम कालू पिता सरदार मु. मेवाबाई बेवा सरदार कंवरलाल मंगू रामप्रसाद पिता दोला किशन, मु. कस्तुरी बेवा बालकिशन मु. काशी बेवा हीरा जाति भोई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	892 893 894	0.101	0.101
		कुल 1 किता	0.101	0.101
31	हरिसिंह पिता खुशीलाल जाति भोई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	922/323/2	0.127	0.127
		कुल 1 किता	0.127	0.127
32	निर्मलाबाई पति प्रेमसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	922/2	0.759	0.759
		कुल 1 किता	0.759	0.759
33	कवरलाल पिता बालकिशन जाति भोई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	922/3	0.759	0.759
		कुल 1 किता	0.759	0.759
34	श्यामलाल पिता गोपीलाल जाति बृजा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1071/900	0.253	0.050
		896/3	0.100	0.080
		1126/895	0.190	0.190
		1072/896/2	0.100	0.050
		895/2/3	0.243	0.115
		895/2/2/1	0.126	0.080
		896/2/1	0.222	0.090
	कुल 7 किता	1.234	0.655	
35	रमेश पिता भंवरिया जाति अहीर हि. 6/100 भाग, रामबाबू पिता भंवरिया जाति अहीर हि. 6/100 भाग, मानसिंह पिता भंवरिया जाति अहीर हि. 5/100 भाग, हजारीलाल पिता भोना जाति बिरजा हि. 25/100 भाग, वसन्तीबाई पुत्री दौला जाति अहीर हि. 437/100 भाग, रूपसिंह पिता रामचरण जाति अहीर हि. 63/100 भाग, प्रेमसिंह पिता किशनलाल जाति अहीर हि. 2/100 भाग, रमेशचन्द्र पिता किशनलाल जाति अहीर हि. 2/100 भाग, घीसालाल पिता लक्ष्मण जाति अहीर हि. 2/100 भाग, भारतसिंह पिता गंगाराम जाति अहीर हि. 2/100 भाग, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1060/896	0.885	0.100
		421	1.365	0.450
		कुल 2 किता	2.250	0.550

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
36	लक्ष्मीनारायण पिता किशनलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	423/1/1/2	0.126	0.126
		कुल 1 किता	0.126	0.126
37	किशनलाल पिता प्रभूलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	426/2	2.796	0.150
		कुल 1 किता	2.796	0.150
38	हरिसिंह पिता जगन्नाथ जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1307/416	0.418	0.050
		कुल 1 किता	0.418	0.050
39	दयालसिंह पिता गोरेलाल जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	923/4	0.255	0.170
		कुल 2 किता	0.255	0.170
40	बंशीलाल पिता दयाराम जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	923/2/1	0.175	0.055
		कुल 1 किता	0.175	0.055
41	भारतसिंह पिता दयाराम जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	923/2/2	0.175	0.055
		कुल 1 किता	0.175	0.055
42	बद्रीलाल पिता नाथूलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	923/1	0.127	0.038
		कुल 1 किता	0.127	0.038
43	हरिसिंह पिता हीरालाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	406/7	0.500	0.190
		कुल 1 किता	0.500	0.190
44	कमलसिंह पिता सुखराम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	406/6	0.500	0.270
		कुल 1 किता	0.500	0.270
45	बापूलाल पिता भोलाराम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	406/5	0.500	0.180
		कुल 1 किता	0.500	0.180
46	उधमसिंह पिता शंकर हि. 1/2 भाग, हेमराज पिता शंकर हि. 1/2 भाग, जाति वृजा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	406/9	0.500	0.290
		कुल 1 किता	0.500	0.290
47	भारतसिंह पिता अमरसिंह जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	406/8	0.500	0.210
		कुल 1 किता	0.500	0.210
48	मांगीलाल पिता हीरालाल हि. 1/2 भाग, कंचनबाई पति मांगीलाल हि. 1/2 भाग, जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	406/1	0.250	0.140
		कुल 2 किता	0.250	0.140

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
49	मांगीलाल पिता अमरसिंह जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	406/3	0.375	0.180
		कुल 1 किता	0.375	0.180
50	भवरलाल पिता भागीरथ जाति वृजा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	405/1/1/1	0.500	0.190
		कुल 1 किता	0.500	0.190
51	मुलचन्द पिता गोपीलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	405/1/1/11	0.500	0.370
		कुल 1 किता	0.500	0.370
52	भवरलाल पिता घीसालाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	405/1/1/15	0.500	0.410
		कुल 1 किता	0.500	0.410
53	धूलजी पिता खुमान जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	408/1	0.126	0.025
		कुल 1 किता	0.126	0.025
54	बद्रीलाल पिता मदनसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	408/3	0.759	0.305
		कुल 1 किता	0.759	0.305
55	बद्रीलाल पिता लक्ष्मण जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	920/2/2/2	0.139	0.100
		कुल 1 किता	0.139	0.100
56	शोभाराम पिता गोपीलाल जाति वृजा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	895/2/1	0.529	0.080
		कुल 1 किता	0.529	0.080
57	अर्जुन पिता रूपसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	896/2/2	0.068	0.068
		कुल 1 किता	0.068	0.068
58	सुरेन्द्रसिंह नाबालिंग पिता लक्ष्मणसिंह सरपर माता नंदकुवर पति लक्ष्मणसिंह हि. 1/2 भाग, नरेन्द्रसिंह नाबालिंग पिता लक्ष्मणसिंह सरपर माता नंदकुवर पति लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	397/1/2	1.265	0.060
		कुल 1 किता	1.265	0.060
59	दयाराम पिता नंदराम कलाबाई पुत्री नंदराम सम्पतबाई बेवा नंदराम जाति भोई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	895/1/1	0.161	0.090
		1130/922/1	0.008	0.008
		कुल 2 किता	0.169	0.098

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
60	छोटिया पिता खुशीलाल जाति भोई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	895/1/3	0.160	0.160
		1130/922/3	0.009	0.009
		कुल 2 किता	0.169	0.169
61	धापूबाई पिता बंशीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	900/4	0.164	0.100
		कुल 1 किता	0.164	0.100
62	हरिसिंह पिता खुशीलाल जाति भोई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	895/1/2	0.160	0.160
		1130/922/2	0.008	0.008
		कुल 2 किता	0.168	0.168
63	शंभूलाल पिता मूलचंद जाति ब्रजा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1077/900/1	0.102	0.102
		कुल 1 किता	0.102	0.102
64	रामप्रसाद पिता अमरसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	414/3	0.048	0.048
		कुल 1 किता	0.048	0.048
65	ऑनलाईन दर्ज नहीं है।	417/3	0.000	0.253
		कुल 1 किता	0.000	0.253
	कुलयोग :-	कुल 76 किता	39.366	12.792

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 1451/भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ़ के ग्राम-गुजरखेड़ी कलां के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अंतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि कार्यपालन यंत्री सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग, ब्यावरा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति म.प्र. राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) पर्यावरण योजना और समन्वय संगठन, पर्यावरण परिसर ई-5, अरेरा कॉलोनी भोपाल के पत्र क्रं. 1111/ SEIAA दिनांक 03.06.2021 द्वारा जारी की गयी है। पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये जाते समय विभाग द्वारा प्रस्तुत अंतिम ई.आई.ए./ई.एम.पी. प्रतिवेदन में भी सामाजिक समाघात निर्धारण अध्याय को सम्मिलित कराया गया था। तत्पश्चात प्रथक से सामाजिक समाघात निर्धारण भी कराया जा चुका है।

—: अनुसूची (1) :-

तहसील :- सुठालिया

जिला :- राजगढ़

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की शेष भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव,
ग्राम-गुजरखेड़ी कलां

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम-गुजरखेड़ी कलां की शेष भूमि की आवश्यकता।	26.601	19.309
	कुल योग :	26.601	19.309

—: अनुसूची (2) :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	काशीराम पिता हरिसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	183	0.342	0.260
		160/1	0.631	0.063
		167	0.051	0.051
		कुल 3 किता	1.024	0.374
2	लाखनसिंह पिता बंशीलाल हि. 1/2 भाग, हिम्मतसिंह पिता बंशीलाल हि. 1/2 भाग, जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	160/2	1.341	1.241
		159	0.215	0.215
		कुल 2 किता	1.556	1.456
3	नरेन्द्र पिता लाखनसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	161/1/2	0.714	0.240
		कुल 1 किता	0.714	0.240

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
4	कन्हैयालाल पिता अमृतलाल हि. 1/2 भाग, शिवचरण पिता अमृतलाल हि. 1/2 भाग, जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	161/2	3.101	0.875
		168	0.038	0.010
		158	0.190	0.190
		166	0.038	0.038
		कुल 4 किता	3.367	1.113
5	पर्वतसिंह, फूलसिंह पिता मोडसिंह जाति राजपूत हिस्सा 18 पैसा भंवरजी, इमरत, चनसिंह, हरिप्रसाद, केशरसिंह पिता हरिप्रसाद, कालू, गोपी, फतेसिंह, नारानबाई, पिता पथी हिस्सा 25 पैसा बलराम पिता अमरसिंह हिस्सा 14 पैसा जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	169	0.759	0.669
		171	0.658	0.658
		175	0.531	0.531
		177	1.050	1.050
		कुल 4 किता	2.998	2.908
6	चेनसिंह पिता बंशीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	176	0.999	0.519
		कुल 1 किता	0.999	0.519
7	बलराम पिता अमरसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	179/1	0.494	0.090
		178/1	0.050	0.010
		197/2	0.093	0.093
		195/2	0.250	0.250
		195/6	0.340	0.340
		142/1	0.035	0.035
		कुल 6 किता	1.262	0.818
8	सावंतसिंह पिता मानसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	196/3	0.592	0.382
		कुल 1 किता	0.592	0.382
9	अर्जुनसिंह पिता चेनसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	189/3/1/3	0.632	0.080
		कुल 1 किता	0.632	0.080
10	सत्यनारायण पिता बलराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	189/3/1/2	0.632	0.040
		कुल 1 किता	0.632	0.040
11	लखनसिंह पिता हरिकिशन जाति लोधी पता निवासी ग्राम टोड़ी तहसील ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	189/3/2	1.265	0.990
		कुल 1 किता	1.265	0.990
12	चेनसिंह पिता उंकार जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	180/4	0.516	0.140
		197/3	0.123	0.123
		195/3	0.220	0.220
		195/8	0.340	0.340
		कुल 4 किता	1.199	0.823
13	हेमराज पिता मोडसिंह जाति लोधी लोधी पता गुजरखेडीकला सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	187/1/1	0.249	0.159
		कुल 1 किता	0.249	0.159
14	सुंदरलाल पिता अमरचन्द जाति लोधी लोधी पता गुजरखेडीकला सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	187/1/2	0.250	0.060
		कुल 1 किता	0.250	0.060

सं.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
15	अभयसिंह पिता रामचरण जाति लोधी पता गुजरखेड़ीकला सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	186	0.620	0.105
		कुल 1 किता	0.620	0.105
16	गंगाराम, नंदराम, लक्ष्मीनारायण, सौदानसिंह पिता आशाराम, स्वरूपबाई बेवा आशाराम, कलाबाई बेवा रामसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	178/2	0.051	0.051
		197/1	0.040	0.040
		195/7	0.340	0.340
		कुल 3 किता	0.431	0.431
17	मांगीलाल पिता कनीराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	50/1	0.500	0.500
		कुल 1 किता	0.500	0.500
18	गोविंदसिंह लाखनसिंह कन्हैयालाल पिता अमृतलाल धनराज शिवचरण सावित्रीबाई पिता अमृतलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	162/1	0.715	0.715
		कुल 1 किता	0.715	0.715
19	उमरावबाई बेवा बंशीलाल मांगीलाल जगन्नाथ पिता बंशीलाल ममताबाई बेवा हरिसिंह अंकित स्मिता पिता हरिसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र.	174	0.632	0.632
		197/4	0.073	0.073
		195/5	0.340	0.340
		कुल 3 किता	1.045	1.045
20	बंशीलाल पिता उंकार जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	195/4	0.269	0.269
		कुल 1 किता	0.269	0.269
21	आशाराम पिता उंकार जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	195/1	0.303	0.303
		कुल 1 किता	0.303	0.303
22	वर्तमान खसरे में भूमि स्वामी का नाम दर्ज नहीं है।	165/3	0.063	0.063
		कुल 1 किता	0.063	0.063
23	वर्तमान खसरे में भूमि स्वामी का नाम दर्ज नहीं है।	65	0.139	0.139
		कुल 1 किता	0.139	0.139
24	वर्तमान खसरे में भूमि स्वामी का नाम दर्ज नहीं है।	98	0.114	0.114
		कुल 1 किता	0.114	0.114
25	वर्तमान खसरे में भूमि स्वामी का नाम दर्ज नहीं है।	128/2	0.051	0.051
		128/3	0.025	0.025
		128/4	0.025	0.025
		कुल 3 किता	0.101	0.101
26	रामेश्वर पिता वलराम जाति गुर्जर पता गुर्जरखेड़ी कला सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	189/1	1.770	1.770
		कुल 1 किता	1.770	1.770
27	राधेश्याम पिता वलराम जाति गुर्जर पता गुर्जरखेड़ी कला सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	189/2	1.770	1.770
		कुल 1 किता	1.770	1.770

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमाणित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
28	मुल्लोबाई बेवा रोड जी जाति लोधी पता गुर्जरखेड़ी कलां सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	189/3/1/1	1.000	1.000
		कुल 1 किता	1.000	1.000
29	गोविंदसिंह पिता अमृतलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	15	0.936	0.936
		कुल 1 किता	0.936	0.936
30	बलराम पिता अमरसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	141/1	0.041	0.041
		142/1	0.035	0.035
		कुल 2 किता	0.076	0.076
31	बंशीलाल पिता जंकार जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	141/2	0.010	0.010
		कुल 1 किता	0.010	0.010
	महायोग :-	कुल 55 किता	26.601	19.309

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 1453 /भू-अर्जन/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 58/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ़ के ग्राम-बगवाज के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि कार्यपालन यंत्री सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग, ब्यावसा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्र. SIA/MP/RIV/34715/2019 लंबित है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे।

—: अनुसूची (1) :—

तहसील : सुठालिया

जिला : राजगढ़

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की शेष भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, बगवाज

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित ग्राम-बगवाज की शेष भूमि की आवश्यकता।	12.325	2.819
	कुल योग :	12.325	2.819

—: अनुसूची (2) :—

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	कंचनबाई पति धीरपसिंह जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	385/2	0.506	0.146
		कुल 1 किता	0.506	0.146
2	रोशनलाल पुत्र सोबक्ष जाति लोदा पता बगवाज ब्यावसा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	398/9/1	0.095	0.076
		कुल 1 किता	0.095	0.076
3	बाबूलाल, कालूराम, जगदीश, ओमप्रकाश, सौरमबाई, अजबबाई, पिता मिश्रीलाल कमलाबाई बेवा मिश्रीलाल जाति नाई पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	399/2	0.632	0.179
		कुल 1 किता	0.632	0.179

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
4	करणसिंह पिता हरिराम जाति लोदा पता ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	407 408/2	0.266	0.026
		कुल 1 किता	0.266	0.026
5	ज्वालाप्रसाद पिता बंशीलाल जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	416/1	1.518	0.111
		कुल 1 किता	1.518	0.111
6	लखन पिता बापूलाल हि. 1/5 भाग, सरवनसिंह पिता बापूलाल हि. 1/5 भाग, कलाबाई बेवा बापूलाल हि. 1/5 भाग, प्रेमसिंह पिता अमरसिंह हि. 1/5 भाग, तखतसिंह पिता अमरसिंह हि. 1/5 भाग, जाति लोदा पता बगवाज सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	417/1/2	1.701	0.140
		474	0.190	0.010
		480 481	0.405	0.010
		कुल 3 किता	2.296	0.160
7	भंवरलाल पिता सोवक्ष जाति लोदा पता बगवाज ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	398/9/2	0.095	0.076
		कुल 1 किता	0.095	0.076
8	लालचंद पिता ग्यारसीराम जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	453/1	1.000	0.050
		कुल 1 किता	1.000	0.050
9	गुलाबसिंह पिता ग्यारसीराम जाति लोधा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	453/4	1.264	0.206
		कुल 1 किता	1.264	0.206
10	गुलाबसिंह पिता रतन हि. 1/2 भाग, नारानीबाई बेवा रतन हि. 1/2 भाग, जाति मीना पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	454/5	1.010	0.168
		कुल 1 किता	1.010	0.168
11	रोशनलाल पिता किशोरीलाल जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	458/1	0.051	0.028
		कुल 1 किता	0.051	0.028
12	प्रतापसिंह पिता हजारीलाल जाति लोधा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	411/2/2	0.168	0.038
		कुल 1 किता	0.168	0.038
13	बब्लू पिता रतनलाल जाति लोदा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	395/1/3	1.012	0.160
		कुल 1 किता	1.012	0.160
14	फूलसिंह पिता किशोरिया जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	395/2	0.506	0.506
		कुल 1 किता	0.506	0.506

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
15	प्रतापसिंह पिता हजारीलाल हि. 1/2 भाग, सैतानबाई बेवा हजारीलाल हि. 1/2 भाग, जाति लोदा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	427	0.569	0.569
		कुल 1 किता	0.569	0.569
16	भगवानसिंह पिता रतनलाल जाति लोदा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	395/1/2	0.755	0.080
		कुल 1 किता	0.755	0.080
17	राकेश पिता नन्नूलाल जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	395/3	0.200	0.200
		कुल 1 किता	0.200	0.200
18	परसराम मांगीलाल सरूपीबाई सरदारबाई लीलाबाई गोराबाई पिता देवीराम सुशीलाबाई पिता मानसिंह सविता शिवानी सोनिया पिता मानसिंह राजकुमार नाबा पिता मानसिंह सप माता सुशीलाबाई बेवा मानसिंह जाति लोधा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	473	0.126	0.012
		कुल 1 किता	0.126	0.012
19	रामचरण पिता काशीराम हि. 1/2 भाग, प्रेमबाई पति काशीराम हि. 1/2 भाग, जाति गाडरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	419/1/1	0.256	0.015
		कुल 1 किता	0.256	0.015
20	ऑनलाईन दर्ज नहीं है।	398/10/4	0.000	0.013
		कुल 1 किता	0.000	0.013
	कुल योग :-	कुल 22 किता	12.325	2.819

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 1455/भू-अर्जन/2023, चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 54/35-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ़ के ग्राम-मुआलिया गुजर के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि कार्यपालन यंत्री सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग, ब्यावरा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति म.प्र. राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) पर्यावरण योजना और समन्वय संगठन, पर्यावरण परिसर ई-5, अरेरा कॉलोनी भोपाल के पत्र क्रं. 1111/ SEIAA दिनांक 03.06.2021 द्वारा जारी की गयी है। पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये जाते समय विभाग द्वारा प्रस्तुत अंतिम ई.आई.ए/ई.एम.पी. प्रतिवेदन में भी सामाजिक समाघात निर्धारण अध्याय को सम्मिलित कराया गया था। तत्पश्चात प्रथक से सामाजिक समाघात निर्धारण भी कराया जा चुका है।

—: अनुसूची (1) :-

तहसील : सुठालिया

जिला : राजगढ़

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव,
ग्राम-मुआलिया गुजर

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम-मुआलिया गुजर की भूमि की आवश्यकता।	14.860	5.593
	कुल योग :	14.860	5.593

—: अनुसूची (2) :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	हजारी पिता भीमसिंह जाति गुजर निवासी ग्राम राजगढ़ म.प्र. भूमिस्वामी	44	3.377	0.844
		कुल 1 किता	3.377	0.844
2	बापूलाल पिता भावसिंह जाति गुजर पता सुठालिया राजगढ़ म.प्र., उमरावसिंह पिता बापूलाल जाति गुजर पता सुठालिया राजगढ़ म.प्र.	52 ✓	2.567	2.567
		53	2.630	0.789
		कुल 2 किता	5.197	3.356

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
3	महेन्द्रसिंह पिता उमरावसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र.	54/2	0.746	0.149
		61/1/2	0.254	0.050
		कुल 2 किता	1.000	0.199
4	प्रेमसिंह पिता उमरावसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र.	56	0.734	0.220
		कुल 1 किता	0.734	0.220
5	कृष्णाबाई पति उमरावसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र.	61/1/1	2.920	0.438
		कुल 1 किता	2.920	0.438
6	घनश्याम पिता उमरावसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र.	61/1/3	0.216	0.064
		60	0.784	0.156
		कुल 1 किता	1.000	0.220
7	उमरावसिंह पिता बापूलाल जाति गुजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र.	61/2	0.632	0.316
		कुल 1 किता	0.632	0.316
	महायोग :-	कुल 9 किता	14.860	5.593

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 1457/भू-अर्जन/2024, चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 53/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ़ के ग्राम-महाराजखेड़ा के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि कार्यपालन यंत्री सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग, ब्यावरा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्र. SIA/MP/RIV/34715/ 2019 लंबित है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे।

-: अनुसूची (1) :-

तहसील : सुठालिया

जिला : राजगढ़

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की शेष भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, महाराजखेड़ा

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित ग्राम-महाराजखेड़ा की शेष भूमि की आवश्यकता।	16.248	3.311
	कुल योग :	16.248	3.311

-: अनुसूची (2) :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	बापूलाल पिता अमरसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	62	1.278	0.214
	योग :-	कुल 1 किता	1.278	0.214
2	बालकृष्ण पिता पन्नालाल जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	188/1	0.158	0.032
	योग :-	कुल 1 किता	0.158	0.032

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
3	प्रदीपकुमार पिता मोहनलाल हि. 1/3 भाग, प्रमोदकुमार पिता मोहनलाल हि. 1/3 भाग, पवनकुमार पिता मोहनलाल हि. 1/3 भाग, जाति ब्राह्मण पता नि.ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	188/2	0.158	0.027
	योग :-	कुल 1 किता	0.158	0.027
4	गुलाबबाई बेवा भंवरलाल, भूरजी, गंगाराम, देवीसिंह पिता जगन्नाथ रामबाबू पिता रामप्रसाद, कमलेश, लीलाबाई पिता रामप्रसाद गीताबाई बेवा रामप्रसाद जाति भोई पता निवासी लसूडियामीना तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	72	0.569	0.029
	योग :-	कुल 1 किता	0.569	0.029
5	सौरभबाई पति कंवरलाल जाति लोधा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	223/2/3	0.386	0.221
	योग :-	कुल 1 किता	0.386	0.221
6	सुमित्राबाई पत्नी घीसालाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	193/2	1.176	0.174
	योग :-	कुल 1 किता	1.176	0.174
7	भारतसिंह पिता मांगीलाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	196	0.316	0.063
	योग :-	कुल 1 किता	0.316	0.063
8	मांगीलाल पिता रामलाल हि. 1/2 भाग, कमलाबाई पति मांगीलाल हि. 1/2 भाग, जाति बसोड पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	202/1/7	0.923	0.035
	योग :-	कुल 1 किता	0.923	0.035
9	करनसिंह पिता हजारीलाल हि. 1/4 भाग, कैलाश पिता हजारीलाल हि. 1/4 भाग, नारानसिंह पिता हजारीलाल हि. 1/4 भाग, रामसिंह पिता हजारीलाल हि. 1/4 भाग, जाति अहीर पता महाजखेड़ा ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	78/1	1.390	0.052
	योग :-	कुल 1 किता	1.390	0.052
10	विजयसिंह पिता बापूलाल हि. 379/1947 भाग, रतनसिंह पिता बापूलाल हि. 379/1947 भाग, भगवानसिंह पिता बापूलाल हि. 380/1947 भाग, प्रीतमसिंह पिता बापूलाल हि. 380/1947 भाग, शिवनारायण पिता बापूलाल हि. 143/1947 भाग, पारवतीबाई पुत्री बापूलाल हि. 143/1947 भाग, गीताबाई पुत्री बापूलाल हि. 143/1947 भाग, जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	53 56/1/1/2 57/2	1.176 0.771	0.450 0.040 0.127
	योग :-	कुल 3 किता	1.947	0.617
11	मांगीलाल पिता फूलसिंह हि. 1/2 भाग, प्रहलादसिंह पिता बनेसिंह हि. 1/2 भाग, जाति अहीर पता महाराजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	64	0.291	0.100
	योग :-	कुल 1 किता	0.291	0.100

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
12	गुलाबबाई बेवा भंवरलाल, भूरजी, गंगाराम, देवीसिंह, पिता जगन्नाथ, रामबाबू, कमलेश, लीलाबाई पिता रामप्रसाद, गीताबाई बेवा रामप्रसाद जाति भोई पता निवासी लसूळियामीना तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	71/2	1.075	0.400
	योग :-	कुल 1 किता	1.075	0.400
13	प्रेमलता पत्नि हरिसिंह पंवार जाति सौंधिया पता निवासी लसूळिया मीना तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	71/1	0.537	0.537
	योग :-	कुल 1 किता	0.537	0.537
14	रामप्रसाद पिता मोहनलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	85/2	1.075	0.200
	योग :-	कुल 1 किता	1.075	0.200
15	वापूलाल पिता अमरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	60		0.025
	योग :-	कुल 1 किता	0.000	0.025
16	भारतसिंह पिता मांगीलाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	197 196	0.645	0.329
	योग :-	कुल 1 किता	0.645	0.329
17	विक्रमसिंह पिता प्रभूलाल केदारबाई पति विक्रमसिंह जाति बलाई निवासी ग्राम अहस्तांतरणीय	220/1/2	4.324	0.256
	योग :-	कुल 1 किता	4.324	0.256
	महायोग :-	कुल 19 किता	16.248	3.311

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 1459 / भू-अर्जन / 2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 52/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ़ के ग्राम-शेखनपुर के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि कार्यपालन यंत्री सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग, ब्यावरा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्र. SIA/MP/RIV/34715/ 2019 लबित है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे।

—: अनुसूची (1) :-

तहसील : सुठालिया

जिला : राजगढ़

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की शेष भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, शेखनपुर

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित ग्राम-शेखनपुर की शेष भूमि की आवश्यकता।	18.384	10.677
	कुल योग :	18.384	10.677

—: अनुसूची (2) :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	दरियावसिंह पिता मोडसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	59	0.581	0.581
		60/1	0.207	0.040
		कुल 2 किता	0.788	0.621
2	गजराज पिता रामसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	19/3	0.949	0.949
		20	0.443	0.443
		7/2/5	0.344	0.140
		11/3	0.188	0.050
		कुल 4 किता	1.924	1.582

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
3	शंकरसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	38/1	0.202	0.130 ✓
		कुल 1 किता	0.202	0.130
4	राजेन्द्रसिंह पिता विष्णुसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	38/2/1	0.101	0.060 ✓
		कुल 1 किता	0.101	0.060
5	चन्द्रपालसिंह पिता विष्णुसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	38/2/2	0.102	0.060 ✓
		कुल 1 किता	0.102	0.060
6	गणपतसिंह पिता मदनसिंह जाति राजपूत पता शेखनपुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	39/1	0.127 ✓	0.054 ✓
		कुल 1 किता	0.127	0.054
7	चैनसिंह पिता मदनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम शेखनपुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	39/2	0.127,	0.054 ✓
		7/3/3	0.142	0.142 ✓
		कुल 2 किता	0.269	0.196
8	प्रेमसिंह पिता मदनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	39/3	0.128,	0.054 ✓
		7/3/4	0.141	0.014 ✓
		कुल 2 किता	0.269	0.068
9	मोहनसिंह पिता मदनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	39/4	0.128	0.054,
		कुल 1 किता	0.128	0.054
10	मोहनसिंह पिता मदनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	7/4/4	0.500	0.019 ✓
		कुल 1 किता	0.500	0.019
11	उदमसिंह पिता मदनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	39/5	0.123	0.054
		कुल 1 किता	0.123	0.054
12	जसरथसिंह पिता वापूसिंह हि. 46/100 भाग, रामनाथसिंह पिता वापूसिंह हि. 2/100 भाग, प्रेमसिंह पिता वापूसिंह हि. 52/100 भाग, सर्व जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	40/1	0.095 ✓	0.095 ✓
		कुल 1 किता	0.095	0.095
13	दोलतपुरी पिता चंदुपुरी हि. 1/2 भाग, लक्ष्मणपुरी पिता चंदुपुरी हि. 1/2 भाग, जाति गुसई पता निवासी कानरखेड़ी तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	12	0.582	0.100 ✓
		कुल 1 किता	0.582	0.100

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
14	रामकंवरबाई पति बापूसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	66/2	0.138	0.050 ✓
		कुल 1 किता	0.138	0.050
15	माधोसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	11/1 56 7/2/3	0.114 0.519 0.283	0.114 ✓ 0.250 ✓ 0.140
		कुल 3 किता	0.916	0.504
16	नरभेसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	118/3/6 24/3/3 55/1 118/4/1	0.199 0.523 0.335 0.226	0.060 ✓ 0.523 0.013 0.140 ✓
		कुल 4 किता	1.283	0.736
17	शंकरसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	118/4/2	0.434	0.150 ✓
		कुल 1 किता	0.434	0.150
18	बहादुरसिंह पिता मोडसिंह जाति राजपूत पता राजगढ़ म. प्र. भूमि स्वामी	60/2	0.187 ✓	0.040 ✓
		कुल 1 किता	0.187	0.040
19	विक्रमसिंह पिता मोडसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	60/3	0.188 ✓	0.040
		कुल 1 किता	0.188	0.040
20	दोलतपुरी पिता चंदुपुरी हि. 1/2 भाग, लक्ष्मणपुरी पिता चंदुपुरी हि. 1/2 भाग, जाति गुसई पता निवासी कानरखेड़ी तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	61	1.088 ✓	0.150 ✓
		कुल 1 किता	1.088	0.150
21	भगवान सिंह पिता अर्जुनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	74/2	1.202	0.100
		कुल 1 किता	1.202	0.100
22	कल्लूसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	11/2 7/2/4 ✓	0.141 0.311	0.100 0.140
		कुल 2 किता	0.452	0.240
23	राजेन्द्रसिंह पिता बापूसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	10/2/1 7/2/1 ✓	0.175 0.160	0.030 0.140
		कुल 2 किता	0.335	0.170
24	नारायणसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	7/2/2 ✓	0.040 ✓	0.040
		कुल 1 किता	0.040	0.040 ✓

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
25	नारानसिंह पिता शंकरसिंह हि. 1/2 भाग, तेज कुवर वाई पिता शंकरसिंह हि. 1/2 भाग, जाति राजपूत पता शेखनपुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	7/4/2	0.500	0.420
		कुल 1 किता	0.500	0.420
26	अर्जुनसिंह पिता इन्दरसिंह जाति राजपूत पता तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	7/4/3	0.413	0.060
		कुल 1 किता	0.413	0.060
27	प्रेमसिंह पिता किशनलाल हि. 1/2 भाग, जगदीश पिता किशनलाल हि. 1/2 भाग. जाति अहीर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	10/1	0.253	0.200
		कुल 1 किता	0.253	0.200
28	जालमसिंह पिता जगन्नाथ जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	24/1/1/1	0.785	0.785
		कुल 1 किता	0.785	0.785
29	बैजनाथसिंह पिता जगन्नाथ सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	24/1/1/2	0.784	0.784
		कुल 1 किता	0.784	0.784
30	चेनसिंह पिता मदनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	24/1/2	0.253	0.253
		24/3/2	0.221	0.221
		24/3/1	0.222	0.222
		कुल 3 किता	0.696	0.696
31	महेन्द्रसिंह पिता बैजनाथसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	24/2/1	0.523	0.523
		24/2/3/1	0.477	0.477
		कुल 2 किता	1.000	1.000
32	प्रेमसिंह पिता मदनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	24/2/2	0.523	0.523
		कुल 1 किता	0.523	0.523
33	सोनकुँवर पति बैजनाथसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	24/2/3/2	0.046	0.046
		कुल 1 किता	0.046	0.046
34	रिंकूसिंह पिता नारानसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	55/2	0.336	0.220
		कुल 1 किता	0.336	0.220

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
35	ओमपालसिंह पिता बापूलाल जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	10/2/2	0.335	0.030
		कुल 1 किता	0.335	0.030
36	मोहनसिंह पिता मदनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	2/2/3	0.607	0.150
		कुल 1 किता	0.607	0.150
37	विष्णुसिंह पिता हरीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	2/5/1	0.633	0.450
		कुल 1 किता	0.633	0.450
	कुल योग :-	कुल 53 किता	18.384	10.677

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 1461 / भू-अर्जन / 2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 49/35-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ़ के ग्राम-नादनपुर के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि कार्यपालन यंत्री सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग, ब्यावरा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्र. SIA/MP/RIV/34715/ 2019 लंबित है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे।

—: अनुसूची (1) :-

तहसील : सुठालिया

जिला : राजगढ़

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की शेष भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव,
नादनपुर

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित ग्राम-नादनपुर की शेष भूमि की आवश्यकता।	7.422	2.137
	कुल योग :	7.422	2.137

—: अनुसूची (2) :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	प्रेमनारायण पिता हजारीलाल जाति लोडा पता नादनपुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	230/1/3	1.220	0.430
		कुल 1 किता	1.220	0.430
2	बबलू सुल्तानसिंह सुमित्राबाई प्रीतिबाई पिता सरजनसिंह सैनकाबाई बेवा सरजनसिंह जाति लोडा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	230/1/4/1/1/1	0.330	0.027
		कुल 1 किता	0.330	0.027

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
3	रोडीलाल पिता देवीराम जाति लोडा पता नांदनपुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	230/1/4/1/1/2	0.077	0.054
		कुल 1 किता	0.077	0.054
4	फूलसिंह पिता रामकिशन जाति लोडा पता नांदनपुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	240/2	0.128	0.016
		कुल 1 किता	0.128	0.016
5	रामकिशन पिता देवीराम जाति लोडा पता नांदनपुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	246	0.658	0.101
		कुल 1 किता	0.658	0.101
6	सागरसिंह पिता गोपीलाल जाति मीना पता नांदनपुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	229/5	0.132	0.079
		कुल 1 किता	0.132	0.079
7	पप्पू पिता गोपीलाल जाति मीना पता नांदनपुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	228/2	0.515	0.107
		कुल 1 किता	0.515	0.107
8	रामस्वरूप, लाखनसिंह, बृजमोहन पिता कन्हैयालाल जाति मीना पता नांदनपुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	224	0.253	0.157
		कुल 1 किता	0.253	0.157
9	रामदयाल पिता जमनालाल जाति मीना पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	225/2/1/1	0.082	0.038
		कुल 1 किता	0.082	0.038
10	शांतिबाई बेवा अमरलाल जाति मीना पता नांदनपुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	223/1	0.248	0.061
		कुल 1 किता	0.248	0.061
11	प्रेमनारायण पिता रामनारायण जाति मीना पता नांदनपुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	220/2	0.190	0.077
		कुल 1 किता	0.190	0.077
12	पवनकुमार पिता नारायणसिंह जाति देशवाली पता नि. ग्राम तहसील ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	106/1/3	0.400	0.110
		कुल 1 किता	0.400	0.110
13	रामचंद्र पिता नारायणसिंह जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	105/1	0.038	0.025
		कुल 1 किता	0.038	0.025
14	रामदयाल पिता नारायणसिंह जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	105/2	0.101	0.025
		कुल 1 किता	0.101	0.025

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
15	ना.बा. जगदीश, सन्जू, रामहेत, भूलीबाई, नैनीबाई पिता रोडजी सर माता ओमवतीबाई विधवा रोडजी जाति मीना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	213/1	0.250	0.040
		कुल 1 किता	0.250	0.040
16	मन्टीलाल पिता भंवरलाल जाति मीना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	213/2	0.244	0.040
		कुल 1 किता	0.244	0.040
17	रामनारायण पिता नाथूलाल जाति मीना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	223/3	0.610	0.360
		कुल 1 किता	0.610	0.360
18	रामनारायण पिता नाथूलाल जाति मीना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	227	0.177	0.110
		कुल 1 किता	0.177	0.110
19	पप्पू पिता अमरलाल जाति मीना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	234/1	0.420	0.050
		कुल 1 किता	0.420	0.050
20	सरजनसिंह पिता अमरलाल जाति मीना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	234/2	0.421	0.070
		कुल 1 किता	0.421	0.070
21	राजबाई पति सजनसिंह जाति मीना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	234/3/1	0.253	0.050
		कुल 1 किता	0.253	0.050
22	रामकन्याबाई पति पप्पूलाल जाति मीना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	234/3/2	0.168	0.050
		कुल 1 किता	0.168	0.050
23	मोरसिंह पिता अमरलाल जाति मीना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	234/4	0.381	0.030
		कुल 1 किता	0.381	0.030
24	बबलू सुल्तानसिंह सुमित्राबाई प्रीतिबाई पिता सरजनसिंह सैनकाबाई बेवा सरजनसिंह जाति लोढ़ा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	39/2	0.021	0.005
		कुल 1 किता	0.021	0.005
25	रोडीलाल पिता देवीराम जाति लोढ़ा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	39/3	0.021	0.005
		कुल 1 किता	0.021	0.005
26	लाखनसिंह पिता देवीराम जाति लोढ़ा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	39/4	0.021	0.005
		कुल 1 किता	0.021	0.005

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
27	रामचरण पिता देवीराम जाति लोढ़ा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	39/5	0.021	0.005
		कुल 1 किता	0.021	0.005
28	सागरसिंह पिता देवीराम जाति लोढ़ा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	39/6	0.021	0.005
		कुल 1 किता	0.021	0.005
29	मथरालाल पिता देवीराम जाति लोढ़ा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	39/7	0.021	0.005
		कुल 1 किता	0.021	0.005
	सहायोग :-	कुल 29 किता	7.422	2.137

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 1463/भू-अर्जन/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 56/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ़ के ग्राम-पाडलीठाकुर के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि कार्यपालन यंत्री सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग, ब्यावरा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्र. SIA/MP/RIV/34715/ 2019 लंबित है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे।

—: अनुसूची (1) :—

तहसील : सुठालिया

जिला : राजगढ़

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की शेष भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, पाडलीठाकुर

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित ग्राम-पाडलीठाकुर की शेष भूमि की आवश्यकता।	37.921	6.900
	कुल योग :	37.921	6.900

—: अनुसूची (2) :—

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
1	गोरधनसिंह पिता गुमानसिंह जाति राजपूत पता सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	21/2/2	1.517	0.170
		कुल 1 किता	1.517	0.170
2	मदनसिंह, शंकरसिंह, मोतीसिंह, हिम्मतसिंह, भोनसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	26/1/1/1	1.948	0.235
		कुल 1 किता	1.948	0.235
3	रामसिंह पिता डूगरसिंह जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	139/2	1.370	0.376
		कुल 1 किता	1.370	0.376

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
4	अजयपालसिंह पिता हिम्मतसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	26/1/1/4	1.948	0.810
		कुल 1 किता	1.948	0.810
5	रघुवीरसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	18/3	0.413	0.009
		19/3	0.349	0.013
		कुल 2 किता	0.762	0.022
6	राजवर्धनसिंह पिता भंवरसिंह हि. 1/3 भाग, महेन्द्रवर्धनसिंह पिता भंवरसिंह हि. 1/3 भाग, श्यामाकुंवर पिता भंवरसिंह हि. 1/3 भाग, जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	18/4	0.233	0.057
		19/4	0.253	0.009
		कुल 2 किता	0.486	0.066
7	रतनसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	18/2	0.413	0.029
		कुल 1 किता	0.413	0.029
8	रूपसिंह, सोनाथसिंह, कल्याण, भेरू, हेमराज पिता गुलाबसिंह मुलकुवर पिता गुलाब जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	211/3	0.759	0.270
		कुल 1 किता	0.759	0.270
9	विजयपालसिंह पिता मंगलसिंह हि. 1/2 भाग, जतनकुंवर बेवा मंगलसिंह हि. 1/2 भाग, जाति राजपूत राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	26/2/2	0.454	0.157
		कुल 1 किता	0.454	0.157
10	गजराजसिंह पिता गुलाबसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	210/5	0.131	0.013
		कुल 1 किता	0.131	0.013
11	जालमसिंह दौलतराम पिता जगन्नाथ भूली बाई बेवा जगन्नाथ जाति लोधा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	234/2	0.063	0.006
		कुल 1 किता	0.063	0.006
12	नन्लाल पिता मेहताब जाति लोधा पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	234/1	0.064	0.006
		कुल 1 किता	0.064	0.006
13	रामचरण पिता मेहताब जाति लोधा पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	233/3	0.424	0.078
		234/3	0.063	0.006
		कुल 2 किता	0.487	0.084
14	नाथूलाल पिता मेहताब जाति लोधा पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	233/4	0.423	0.108
		कुल 1 किता	0.423	0.108

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
15	श्रीमति लालकुंवर पत्नी सोमनाथसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	211/1/2	0.759	0.043
		कुल 1 किता	0.759	0.043
16	हिम्मतसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	217/1/1/1	1.000	0.200
		कुल 1 किता	1.000	0.200
17	बलबहादर पिता मोहनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	217/1/1/2	1.000	0.430
		217/1/2	0.682	0.068
		कुल 2 किता	1.682	0.498
18	मोतीसिंह सिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	244	1.227	0.123
		246		
		4/1	1.195	0.372
		कुल 3 किता	2.422	0.495
19	खेमराजसिंह पिता हिम्मतसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	243/1	1.101	0.239
		कुल 1 किता	1.101	0.239
20	रामगोपाल पिता जगन्नाथ हि. 1/3 भाग, सीताराम पिता जगन्नाथ हि. 1/3 भाग, रमेश पिता जगन्नाथ हि. 1/3 भाग, जाति बैरागी पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	243/2	1.391	0.683
		कुल 1 किता	1.391	0.683
21	महेन्द्रपालसिंह पिता मोहनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	4/2	1.196	0.192
		कुल 1 किता	1.196	0.192
22	धर्मपालसिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	21/1	2.355	0.166
		कुल 1 किता	2.355	0.166
23	कुमेरसिंह पिता हरिसिंह हि. 1/6 भाग, नरेन्द्रसिंह पिता हरिसिंह हि. 1/6 भाग, भंवरसिंह पिता प्रभुनाथसिंह हि. 1/6 भाग, प्रहलादसिंह नाबा पिता रतनसिंह हि. 1/6 भाग, हरिसिंह नाबा सरपरस्त पिता रामनाथसिंह सरपरस्त पिता स्वयं हि. 1/6 भाग, प्रेमसिंह नाबा पिता नवलसिंह सरपरस्त पिता स्वयं हि. 1/6 भाग, जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	22/1/1	2.528	0.211
		कुल 1 किता	2.528	0.211
24	घीसालाल पिता धनीराम हि. 1/2 भाग, सोनीबाई बेवा धनीराम हि. 1/2 भाग, जाति लोडा पंता पाड़ली ठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	68	0.038	0.028
		64	0.152	0.040
		कुल 2 किता	0.190	0.068

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
25	रघुराजसिंह पिता हेमराजसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम पाड़ली ठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	210/6	0.133	0.133
		कुल 1 किता	0.133	0.133
26	भंवरसिंह पिता प्रभुनाथसिंह हि. 1/3 भाग, कृष्णपालसिंह पिता प्रभुनाथसिंह हि. 1/3 भाग, प्रेमकंवर बेवा प्रभुनाथसिंह हि. 1/3 भाग, जाति राजपूत पता निवासी ग्राम पाड़ली ठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	221/1	0.139	0.050
		220	0.139	0.050
		219/1/1	0.525	0.200
		कुल 3 किता	0.803	0.300
27	नरेंद्रसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम पाड़ली ठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	219/1/2	0.753	0.200
		कुल 1 किता	0.753	0.200
28	कृष्णपालसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	219/2/1	0.513	0.150
		कुल 1 किता	0.513	0.150
29	रूपसिंह, सोनाथसिंह, कल्याण, भेरू, हेमराज, मुलकुवर पिता गुलाबसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम पाड़ली ठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	218/1	0.253	0.100
		219/3	1.164	0.300
		कुल 2 किता	1.417	0.400
30	हजारी हि. 7 पैसे जमाना हि. 11 पैसे आ नरमा शक्करिया बाई बेवा नरमा हि. 7 पैसे अमरा आ. कालू हि. 67 पैसे जाति चमार, खेमराजसिंह पिता हिम्मतसिंह हि. 8 पैसे जाति राजपूत, निवासी ग्राम भूमि स्वामी	218/2	0.190	0.100
		कुल 1 किता	0.190	0.100
31	गुमानसिंह पिता केशरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	239	0.190	0.050
		242/1	2.547	0.150
		कुल 2 किता	2.737	0.200
32	भूपेद्रसिंह पिता जगदीशसिंह हि. 1/2 भाग, गोतमकुंवर पति भूपेद्रसिंह हि. 1/2 भाग, जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	242/2/2	1.258	0.130
		कुल 1 किता	1.258	0.130
33	रामगोपाल पिता जगन्नाथ हि. 1/3 भाग, सीताराम पिता जगन्नाथ हि. 1/3 भाग, रमेश पिता जगन्नाथ हि. 1/3 भाग, जाति बैरागी पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	250/2	0.190	0.100
		कुल 4 किता	0.190	0.100

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
34	धीरपसिंह, घासीराम, पिता कन्हैयालाल, खेमीबाई बेवा कन्हैयालाल, ज्वालाप्रसाद पिता बंशीलाल, फूलबाई बेवा बंशीलाल जाति लोदा पता निवासी ग्राम पाड़ली ठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	231	3.630	0.010
		कुल 1 किता	3.630	0.010
35	नन्चूलाल पिता मेहताब जाति लोदा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	233/1	0.424	0.010
		कुल 1 किता	0.424	0.010
36	जालमसिंह दौलतराम पिता जगन्नाथ भूली बाई बेवा जगन्नाथ जाति लोधा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	233/2	0.424	0.020
		कुल 1 किता	0.424	0.020
	कुल योग :-	कुल 46 किता	37.921	6.900

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क. / 10/अ-84/2025-24

राजगढ़ दिनांक 23/02/2024

प्रारंभिक अधिसूचना

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में नाईहेडा जलाशय तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ नाईहेडा जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र, पाल एंव वेस्टवियर में प्रभावित होने से प्रकरण में आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

क्र.	नाईहेडा जलाशय विवरण	तहसील - खिलचीपुर अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)	जिला - राजगढ़
	निजी भूमि नाईहेडा जलाशय के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	प्रभावित रकबा	
1	ग्राम- नाईहेडा की भूमि	7.636	
2	ग्राम- खेमापुरा की भूमि	2.839	
	योग	10.475	

अनुसूची (2)

नाइहेडा जलाशय के डूब क्षेत्र में प्रभावित निजी भूमि का भू-अर्जन प्रकरण ग्राम नाइहेडा

तहसील - खिलचीपुर		जिला - राजगढ़			
क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	देवा पिता गेंदा जाति लोडा नि ग्राम भू-स्वामी	1	0.684	0.212	
		198/3/1	0.010	0.010	
		230/3/2	0.461	0.185	
	योग :-	3	1.155	0.407	
2	लालचंद, नारायणसिंह, बद्रीलाल पिता चम्पा, गंगाबाई बैवा बीरम हि. बराबर 1/4 जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	198/3/2	0.343	0.343	
		202/3/2	0.619	0.090	
		21/1/2	0.309	0.309	
	योग :-	3	1.271	0.742	
3	लालजी, नारायणसिंह, बद्रीलाल पिता चम्पालाल हि. बराबर 1/3 जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	198/3/3/1	0.253	0.253	

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
	योग :-	1	0.253	0.253	
4	मोडसिंह, चैनसिंह, सुजान, प्रकाश पिता मांगीलाल, गुलाबबाई बैवा मांगीलाल हि. बराबर 1/10, मदनलाल, रेडीबाई पिता शंकरलाल हि. बराबर 1/4 जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	237/3/1	0.443	0.220	
		283/3/1	0.158	0.158	
	योग :-	2	0.601	0.378	
5	देवसिंह पिता धुलीलाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	237/3/2	0.443	0.220	
	योग :-	1	0.443	0.220	
6	घीसा पिता रामलाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	270/3	0.660	0.660	
	योग :-	1	0.660	0.660	
7	पप्पूसिंह पिता घीसालाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	238/3	0.709	0.060	
		281/3	0.113	0.113	
	योग :-	2	0.822	0.173	
8	करनसिंह, फुलसिंह, मोहनलाल पिता भैरूलाल, गोपीलाल, प्रभुलाल, नंदा, मेहताब, कनीराम, रूघनाथ, पांचु पिता बंशी जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	239/3/2	0.024	0.024	
	योग :-	1	0.024	0.024	
9	गोपीलाल, प्रभुलाल, नंदा, मेहताब, कनीराम, रूघनाथ, पांचु पिता बंशी जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	230/3/1/1	0.200	0.080	
		211/4/1	0.154	0.154	
	योग :-	2	0.354	0.234	
10	करनसिंह, मोहनलाल फुलसिंह पिता भैरूलाल हि. बराबर 1/3 जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	230/3/1/2	0.201	0.080	
		211/4/2	0.155	0.155	
	योग :-	2	0.356	0.235	
11	गोकुल पिता भंवरलाल जाति लोडा नि.ग्राम भू-स्वामी	22/1	0.018	0.018	
		23/2	0.060	0.060	
		198/3/3/2/2	0.030	0.030	
		202/3/1/1	0.310	0.175	
	योग :-	4	0.418	0.283	
12	बनवारी पिता भंवरलाल जाति लोडा नि.ग्राम भू-स्वामी	22/2	0.018	0.018	
		23/3	0.060	0.060	
		198/3/3/2/3	0.030	0.030	
		202/3/1/2	0.309	0.250	
	योग :-	4	0.417	0.358	
13	मांगीलाल पिता भंवरलाल जाति लोडा नि.ग्राम भू-स्वामी	23/1	0.131	0.131	
		21/1/1	0.025	0.025	
		198/3/3/2/1	0.030	0.030	
	योग :-	3	0.186	0.186	

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	कुल रकबा	प्रमावित रकबा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
14	मांगीलाल, बीरम, नन्दराम, पुरीबाई, नरबदीबाई, गंगाबाई, नारायणीबाई पिता भैरिया हि. बराबर 1/14 मांगीलाल, कालू, सुंदरबाई पुत्री भवाना हि. बराबर 1/6 जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	6 25	0.470 0.036	0.470 0.036	
	योग :-	2	0.506	0.506	
15	पुरीलाल पिता रामा जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	21/1/3	0.308	0.308	
	योग :-	1	0.308	0.308	
16	बापूलाल पिता देवा जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	21/2/1	0.119	0.119	
	योग :-	1	0.119	0.119	
17	बीरम, पिता भंवरलाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	21/2/2	0.119	0.119	
	योग :-	1	0.119	0.119	
18	श्रीलाल पिता सालग्या हि. 1/3, राधेश्याम, शिवसिंह, नौरंगबाई पिता नाथू, नन्दूबाई बैवा नाथू हि. बराबर 1/12, सौरमबाई पुत्री कनीराम हि. 1/3 जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	227/3	0.458	0.100	
	योग :-	1	0.458	0.100	
19	बन्शी, भैरु पिता नरभा हि. बराबर 1/2 जाति लोडा नि ग्राम भू- स्वामी	5	0.393	0.393	
	योग :-	1	0.393	0.393	
20	घीसा पिता रामलाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	4	0.012	0.012	
	योग :-	1	0.012	0.012	
21	कालू फूलसिंह, करणसिंह, मोहन पिता भैरु जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	282/3/1 282/3/2	0.221 0.600	0.221 0.600	
	योग :-	2	0.821	0.821	
22	मदनलाल, रोडीबाई पिता शंकर, अमरा, गजरीबाई पिता भवाना, मोडसिंह चैनसिंह सुजान प्रकाश पिता मांगीलाल, गुलाबबाई बैवा मांगीलाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	26	1.368	0.406	
	योग :-	1	1.368	0.406	
23	गीताबाई पत्नि मदनलाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	28 29/1	0.267 0.441	0.267 0.060	
	योग :-	2	0.708	0.327	
24	बनेसिंह पिता घीसालाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	205/3	0.214	0.214	
	योग :-	1	0.214	0.214	

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
25	कालू पिता गणेश हि. 1/2, लक्ष्मण हजारीलाल हेमराज गुलाबसिंह जगदीश पिता पन्ना हि. बराबर 1/10 जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	283/3/2	0.158	0.158	
	योग :-	1	0.158	0.158	
	कुल योग ग्राम नाइहेडा :-	44	12.144	7.636	
नाइहेडा जलाशय के डूब क्षेत्र में प्रभावित निजी भूमि का भू-अर्जन प्रकरण ग्राम खेमापुरा					
1	हरलाल पिता काना जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	11	0.506	0.506	
	योग :-	1	0.506	0.506	
2	भंवरलाल, मानसिंह, भेरूलाल, नारायणसिंह, सुजानसिंह, भीमा पिता मन्ना, रूक्मीबाई बेवा मन्ना, हरलाल पिता काना जाति लोडा	11/1	0.494	0.494	
	योग :-	1	0.494	0.494	
3	मुकेश, ममताबाई, संतराबाई, धापूबाई, कमलीबाई, सीमाबाई पिता राधेश्याम, नोरंगबाई बेवा राधेश्याम हि. बराबर 1/12, चम्पालाल पिता देवीलाल हि. 1/12, गोपीया बापू मांगीबाई पिता धुल्या, सोनीबाई बेवा धुल्या हि. बराबर 1/6, रामा नाथिया, सरदारबाई गंगाबाई पिता भेरू हि. बराबर 1/6, अमरा चम्पाबाई घिसीबाई पिता रूपा हि. बराबर 1/6, हीराबाई पत्नि भूरा हि. 1/6, भूरीबाई पत्नि घिसा हि. 1/6 जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी,	12	0.559	0.179	
	योग :-	2	0.773	0.369	
4	गंगाराम पिता गुलजी जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	23	0.393	0.100	
	योग :-	1	0.393	0.100	
5	बापूलाल पिता गोपीलाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	26	0.251	0.125	
	योग :-	2	0.834	0.320	
6	देवीसिंह पिता धूलीलाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	101/1/1	0.224	0.224	
	योग :-	1	0.224	0.224	
7	बंशीलाल पिता धूलीलाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	101/1/2	0.015	0.015	
	योग :-	1	0.015	0.015	
8	भीमा पिता श्रीलाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	103/1/2	0.167	0.030	
	योग :-	1	0.167	0.030	
9	प्रभुलाल पिता देवीराम जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	103/1/3	0.166	0.056	
	योग :-	1	0.166	0.056	

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
10	कंकूबाई कनीराम बापू किशना रामचन्द्र पिता कनीराम, रुकमी बैवा चम्पा, रंगलाल पिता चम्पा केदा हि. 50 पेसे, धीसालाल बन्शीलाल पिता देव्या हि. 50 पेसे जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	133/1/1	0.279	0.075	
	योग :-	1	0.279	0.075	
11	पूरीलाल पिता हरिसिंह जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	135/1/1	0.166	0.100	
	योग :-	1	0.166	0.100	
12	रमकूबाई पति मोहनलाल, रेशमबाई पति मुकेश जाति लोडा नि नाइहेडा भू-स्वामी	135/1/2	0.506	0.470	
	योग :-	1	0.506	0.470	
13	प्रभुलाल पिता धुलीलाल नि ग्राम भूस्वामी	136/1/2	0.225	0.080	
	योग :-	1	0.225	0.080	
	कुल योग ग्राम खेमापुरा :-	15	4.748	2.839	
	महायोग ग्राम नाइहेडा एवं खेमापुरा :-	59	16.892	10.475	

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी खिलचीपुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 692-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 20 फरवरी 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - गंगवरिया

(घ) क्षेत्रफल- 2.0680हे०

क .	आराजी नं.	अर्जित रकवा (हे.में.)
1	679/2	0.011
2	637/1/1	0.014
3	636/2/1	0.006
4	639/2/1	0.010
5	640/2/1	0.010
6	642/1/1/1	0.025
7	644	0.007
8	631/4/1/1	0.009
	630/3/1/10	0.011
	629/3/1/1	0.015
9	631/2/1	0.009
	629/1/1/1	0.015
	630/1/1/1	0.011
10	631/3/1/1	0.009
	630/2/1/1	0.011
	629/2/1/1	0.015
11	527/1/2/3	0.005
12	525/2/1/1	0.225
	524/2/1	0.030
13	525/1/1	0.370
14	523/1376	0.010
15	523/1	0.020
16	679/3/1	0.010

17	680/1	0.020
18	683/1	0.010
19	682/1/1	0.022
20	683/2	0.010
21	714/1	0.010
22	1008	0.028
23	1006/1	0.016
	1005/1	0.016
24	985/1	0.005
25	1004/1	0.016
26	1003/1	0.073
27	1012/1/1	0.021
28	1013/1	0.016
	1014/1/1/1	0.033
29	1001/1/1/1/1	0.014
30	1001/2/1	0.014
31	1000/1/1/1	0.026
	997/2/1	0.011
32	1000/2/1	0.026
33	997/1/1/1	0.070
34	996/1	0.011
	995/1	0.062
35	986/1/1	0.080
36	715/1	0.008
37	735/1	0.005
38	734	0.012
39	739/1/3	0.005
40	739/1/4	0.005
41	937/1/1/1/1/1/1	0.085
42	937/1/1/3/1/1/1	0.085
43	934/1/1/1	0.197
44	933/1/1/1	0.012
45	933/2/1/1	0.012
46	933/3/1/1	0.012
47	935/1/1/1	0.027

48	935/2/1/1	0.027
49	737/1/1/1	0.003
50	737/1/2/1	0.003
51	737/1/2/3/1	0.003
52	737/1/2/2	0.003
53	737/1/2/4/1	0.003
54	741/1/1/1	0.061
	742/1	0.015
	743	0.015
55	985/2	0.002
	कुल योग रकबा-	2.0680

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II) पश्चिम मध्य रेलवे सतना म.प्र. द्वारा ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 755-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 26 फरवरी 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम - रामपुर मुड़वार

(घ) क्षेत्रफल- 0.5420 हे०

स०क०	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे.में.
1	2	3
1	74	0.0020
2	92	0.0030
3	94/1	0.0450
4	78	0.0350
5	79	0.0020
6	80	0.0500
7	81	0.0050
8	82	0.0150
9	84	0.0050
10	85	0.0200
11	86	0.0720
12	87	0.0020
13	93	0.0720
14	72	0.1040
15	75	0.0530
16	43/2	0.0220
17	46	0.0270
18	48	0.0080
	कुल योग रकबा-	0.5420

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की खरवाही वितरिका की खेरिया पैपखार माइनर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 756-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम - कोनिया मोहनदास

(घ) क्षेत्रफल- 0.3870 हे०

स०क०	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे.मे.
1	2	3
1	13/1/1/1/1/2	0.0720
2	13/1/1/2/1	0.0280
3	30	0.0280
4	31	0.2590
	कुल योग रकबा-	0.3870

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की खरवाही वितरिका की खेरिया पैपखार माइनर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 757-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम - नेमुआ

(घ) क्षेत्रफल- 6.4370 हे०

स.क्र.	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे.में.
1	2	3
1	267/2	0.0670
2	267/3	0.0020
3	260	0.1070
4	25	0.0300
5	318/82/3	0.0520
6	292	0.0070
7	283/1/1	0.0220
8	283/2	0.0800
9	283/3	0.0980
10	283/4	0.0400
11	224/1	0.1100
12	224/2	0.1370
13	225/1	0.0980
14	225/2	0.0800
15	225/3	0.0920
16	226	0.0250
17	106/1	0.0600
18	106/2	
19	39/1/1	0.0030
20	39/2/1	0.0450
21	39/2/2	
22	39/2/3	
23	39/2/4	
24	39/2/5	

25	95	0.0680
26	96/1	0.0550
27	49	0.1010
28	108	0.0200
29	31/1/1	0.1040
30	31/1/2	
31	31/1/3	
32	31/1/4	
33	31/1/5	
34	31/2	0.0960
35	50	0.0160
36	51	0.0170
37	289/2/2	0.0730
38	29/2/2	0.1010
39	119	0.0950
40	26/1/2	0.0900
41	26/1/3	0.1600
42	26/1/4	0.1100
43	262/1	0.1080
44	262/2	0.0030
45	262/3	0.2000
46	23	0.0320
47	116/1/2	0.0180
48	117	0.0840
49	40	0.0410
50	41	0.0410
51	120	0.3160
52	122	0.0080
53	126/2/1	0.0450
54	126/2/2	0.0600
55	127	0.0540
56	128	0.0030
57	118	0.0100
58	148/1/2	0.0220
59	148/1/3	0.0440

60	148/3	0.0190
61	186/1	0.0210
62	186/2	
63	187/2	0.3340
64	187/3	
65	24	0.0330
66	265/1	0.1960
67	265/2/1/1/2	0.0200
68	265/2/1/2	0.0760
69	265/2/2	0.0240
70	266	0.1210
71	103/2	0.0080
72	103/3	0.0250
73	45	0.1280
74	285/2/2	0.0840
75	285/3	0.0100
76	47/1	0.0030
77	48	0.0120
78	30/1/1/1	0.3160
79	30/1/1/2	0.0440
80	30/1/2	0.0440
81	308	0.1870
82	302/1/1	0.0460
83	302/1/2	0.0540
84	302/1	0.0490
85	302/2/2	0.0440
86	302/3	0.0830
87	302/4/1	0.0760
88	302/4/2	
89	302/4/3	
90	302/4/4	
91	93	0.0080
92	94	0.0080
93	78	0.0470
94	76	0.1080

95	77/2	0.0220
96	270/4	0.0120
97	271/1	0.2810
98	271/2	
99	272	0.0290
100	227/1	0.0150
101	104	0.0260
102	88	0.0130
103	262/4/1	0.0550
104	262/4/2	
105	42/5/1	0.0020
106	42/5/2/1	0.0080
107	42/5/2/2	0.0210
108	42/6	0.2900
109	125	0.0280
110	310/1/1	0.0540
111	310/1/2	0.0030
	कुल योग रकबा-	6.4370

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की सोनौरा वितरिका माइनर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 758-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला -सतना
 (ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
 (ग) नगर /ग्राम - गुड्डहरू
 (घ) क्षेत्रफल- 6.1490 हे०

क्र०	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे.में.
1	2	3
1	346/2	0.0580
2	347/1	0.0330
3	327	0.0140
4	322/1	0.1150
5	322/2	0.1150
6	309/1/1/1	0.0020
7	309/1/1/2	0.0020
8	309/1/2	0.0020
9	309/1/3/1/1	0.0020
10	309/1/3/1/2	0.0020
11	309/1/3/1/3	0.0020
12	309/1/4/1	0.0020
13	309/1/4/2	0.0020
14	309/2/1/1	0.0020
15	309/2/1/2	0.0020
16	309/2/2	0.0020
17	290/2	0.0600
18	251/1	0.0320
19	252/2	0.0840
20	236	0.0920
21	209/1/2	0.0280
22	279/3/3/1	0.0680
23	279/3/4	0.0500
24	279/5/2	0.0180
25	279/1/2	0.0160
26	279/1/3	0.0900
27	278/2/4	0.0240
28	231/2	0.0880
29	213/2	0.0890

30	213/1/2	0.0450
31	213/1/1/3	0.0120
32	213/1/1/2	0.0320
33	213/1/1/1	0.0220
34	338/3/1/1	0.0260
35	337/1/2/2/3	0.0270
36	337/1/2/2/2	0.0270
37	337/1/2/2/1	0.0260
38	337/1/2/1	0.0800
39	239	0.1090
40	238/2	0.0560
41	238/1/3	0.0370
42	238/1/2	0.0150
43	238/1/1	0.0370
44	230/3/1	0.0080
45	336/1/1	0.0850
46	217/7	0.0140
47	217/6	0.0140
48	217/5	0.0140
49	217/4	0.0240
50	217/3	0.0140
51	217/2	0.0140
52	217/1	0.0140
53	216/7	0.0260
54	216/6	0.0260
55	216/5	0.0260
56	216/4	0.0260
57	216/3	0.0260
58	216/2	0.0260
59	216/1	0.0260
60	332/2	0.0080
61	332/1/2	0.0920
62	332/1/1/2	0.0900
63	332/1/1/1	0.0900
64	247/1	0.0920
65	247/2	0.0950
66	312/5	0.0240
67	312/4	0.0480
68	312/3/3	0.0080
69	312/3/2	0.0080
70	312/3/1	0.0080
71	312/2	0.0480
72	312/1	0.0480
73	311/6	0.0260
74	311/5	0.0260
75	311/4	0.0260
76	311/3	0.0260

77	311/2	0.0260
78	311/1	0.0280
79	310/1	0.0190
80	237/2	0.0160
81	237/1	0.0800
82	291	0.0700
83	289	0.0480
84	318/2	0.1180
85	318/1	0.1180
86	246/1/1	0.0300
87	245/1	0.0370
88	245/2	0.0180
89	245/3	0.0680
90	244/2	0.0200
91	244/1	0.0040
92	243/2/2	0.0250
93	243/1/1/3	0.0250
94	317/10	0.0440
95	317/4	0.0440
96	317/2	0.0160
97	316/2/3	0.0960
98	316/2/2	0.1310
99	316/2/1/1/2	0.0160
100	316/2/1/1/1/3	0.0200
101	316/2/1/1/1/2	0.0200
102	316/2/1/1/1/1	0.0730
103	221/1	0.2240
104	202/2	0.0060
105	202/1/2	0.1430
106	201/2/1	0.1680
107	345/3	0.0640
108	229/1/1	0.0330
109	229/1/2	0.0330
110	229/2	0.0630
111	302/2/1	0.0480
112	302/2/3	0.0480
113	302/2/2	0.1160
114	302/1/1	0.1880
115	302/3/1/3	0.0240
116	302/3/2	0.0480
117	302/3/1/2	0.0600
118	302/3/1/1	0.0240
119	302/3/3	0.0140
120	227/2	0.0240
121	227/1	0.0240
122	277/2	0.0930
123	328	0.0120
124	326	0.2740
125	325/1/3	0.1000
126	325/1/1	0.3150
	कुल योग रकबा-	6.1490

- (2) सावजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की सोनौरा वितरिका तथा गुडुहरू माइनर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 759-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम - खेरिया पैपखार

(घ) क्षेत्रफल- 1.0280 हे०

स०क०	खसरा नं.	अर्जित रकबा
1	2	3
1	2/1/2/2/1	0.0410
2	2/1/2/2/2	0.1030
3	2/1/2/2/3	0.0540
4	2/2/1	0.0540
5	2/3/1/1/2	0.0480
6	2/3/1/1/3	
7	2/3/1/1/4	
8	2/3/1/2/3/1/1	0.0490
9	2/3/1/2/3/2/1	
10	2/3/1/2/3/2/2	
11	2/3/1/2/3/3/1	
12	2/3/1/2/2/1	0.0490
13	2/3/1/2/2/2	
14	2/3/1/2/2/3	
15	2/3/1/2/2/4	
16	2/3/1/2/1	
17	2/3/2	0.0480
18	2/4/1	0.1600
19	2/4/2	0.0530
20	2/4/3	0.0530
21	5/1/1	0.1050
22	5/1/2	0.1120
23	5/1/3	0.0990
	कुल योग रकबा-	1.0280

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की सोनौरा वितरिका माइनर निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 760-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम - जमुनिया 158

(घ) क्षेत्रफल- 1.6580 हे०

स०क०	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे.में.
1	2	3
1	18	0.0100
2	7	0.0280
3	8	0.0840
4	4	0.7360
5	6/1	0.0400
6	20	0.0780
7	24	0.0380
8	26	0.0550
9	25	0.0850
10	27	0.0480
11	33	0.1130
12	35	0.0160
13	36	0.1030
14	37	0.0100
15	38	0.0780
16	39	0.0450
17	46/1	0.0270
18	46/2	0.0270
19	46/3	0.0280
20	45	0.0090
	कुल योग रकबा-	1.6580

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की खरवाही वितरिका की जमुनिया कला माइनर-2 निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 761-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम - कोनिया धर्मपुरहन

(घ) क्षेत्रफल- 1.0200 हे०

स०क०	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे.में.
1	2	3
1	140/1/1	0.0560
2	140/3/1	0.0020
3	140/3/2	0.0320
4	141/1/1/1/2	0.0320
5	141/1/3	0.0560
6	141/1/4	0.0160
7	141/2/3	0.0160
8	141/2/4	0.0600
9	152/2/1	0.0050
10	152/2/2	0.1200
11	149/1/1/1	0.0130
12	149/1/2	0.0640
13	149/2	0.1440
14	159/3	0.0240
15	160/1	0.1040
16	160/2	0.0100
17	160/3	0.0980
18	163/1	0.1080
19	163/2/1	0.0600
20	163/2/2	
21	163/2/3	
22	163/2/4	
23	163/2/5	
	कुल योग रकबा-	1.0200

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की खरवाही वितरिका की खेरिया पैपखार माइनर निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 762-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम - लिलहा

(घ) क्षेत्रफल- 5.4150 हे०

स.क्र.	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे.में.
1	2	3
1	10/3	0.0020
2	43	0.0650
3	29/1	0.0020
4	25/2/1	0.1150
5	70/1	0.1250
6	70/2	0.1450
7	71	0.1350
8	32/1	0.0320
9	32/2	0.0210
10	18/1/2	0.2520
11	27/1/1	0.0360
12	27/2	0.1380
13	28/1/2	0.1000
14	3/1/1	0.3240
15	3/2	0.1640
16	44	0.3280
17	45/2	0.1520
18	45/3	0.3400
19	36	0.0490
20	37	0.0320
21	38/1	0.3370
22	38/2	

23	39/2/1/1/1	
24	39/2/1/1/2	
25	39/2/1/2/1	0.3120
26	39/2/1/3	
27	39/2/1/4	
28	41	0.3850
29	42	0.0030
30	74/1	0.1520
31	74/2	0.0260
32	91/1/1/1	0.0800
33	91/1/1/3	0.1100
34	91/1/2/1	0.0500
35	91/1/2/2	0.0350
36	91/1/2/3	0.0160
37	91/1/2/4	0.0150
38	91/1/3	0.0480
39	93/1/1	0.1900
40	93/1/3	0.0300
41	93/2	0.1860
42	94	0.0870
43	94/248	0.0090
44	95/1	0.0640
45	95/251/1	0.0250
46	95/251/2	0.0150
47	95/251/3	0.0260
48	95/251/4	0.0150
49	96/1	0.0650
50	96/2	0.0310
51	96/3	0.0580
52	96/4	0.0360
53	96/252/1	0.0020
54	75/1/1/1	0.2400
55	127	0.0110
56	128/1	0.0300
57	132/2	0.0400
58	133/3/1	0.1290
	कुल योग रकबा-	5.4150

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की सोनौरा वितरिका एवं गुडहुरु माइनर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 763-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम - कोनिया पुरानिक

(घ) क्षेत्रफल- 0.7680 हे०

स०क०	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे.में.
1	2	3
1	129/1/1	0.0800
2	129/1/2	0.0720
3	129/1/3	
4	129/1/4	
5	100	0.1980
6	100/152	0.0020
7	101/2	0.0640
8	101/3	0.0350
9	101/4/1	0.0720
10	101/4/2	0.0640
11	140/2/1	0.0340
12	140/2/2	0.0640
13	140/2/2/2	0.0170
14	140/2/2/3	0.0640
15	141/1	0.0020
	कुल योग रकबा-	0.7680

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की खरवाही वितरिका की खेरिया पैपखार माइनर निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 764-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम - टिकुरी

(घ) क्षेत्रफल- 3.7550 हे०

स०क०	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे.में.
1	2	3
1	236/2	0.0170
2	139	0.0170
3	238	0.0370
4	237	0.0140
5	232/2	0.0070
6	232/3	0.0100
7	222	0.0360
8	223	0.0090
9	224	0.0020
10	202/1	0.0550
11	202/2	0.0050
12	198	0.0110
13	194	0.0760
14	189/1/1/1	0.0030
15	190	0.0800
16	300/1	0.1000
17	300/2/1	0.0220
18	300/3	0.0580
19	301/1	0.0680
20	301/2	0.0040
21	302/1	0.0210
22	302/2	0.0570

23	303/1	0.0490
24	303/3	0.1210
25	345/1	0.1580
26	345/2	
27	344/1	0.1700
28	344/2	
29	344/3	
30	344/4	
31	344/5	
32	339	0.0240
33	340	0.1130
34	338/2	0.1210
35	332	0.0100
36	335/1/2	0.0510
37	335/2	0.0770
38	335/4	0.0410
39	331	0.0790
40	334/1	0.0800
41	326	0.2450
42	304/2	0.3160
43	203	0.1200
44	204	0.0040
45	205	0.0080
46	266/2/1	0.0100
47	219	0.0360
48	207	0.0360
49	208/1	0.0050
50	197/1	0.0100
51	197/2	0.2100
52	218	0.0480
53	220/1	0.1020
54	220/2	
55	220/3	
56	220/4	

57	221/1	
58	221/2	
59	221/3	0.1240
60	221/4	
61	221/5	
62	200	0.1900
63	242	0.0220
64	327/1	0.0900
65	194/362	0.0760
66	206	0.2600
67	241	0.0400
	कुल योग रकबा-	3.7550

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की खरवाही वितरिका माइनर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र.क्र. 27-अ-82-23-24

कटनी, दिनांक 20 फरवरी 2024

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दौयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है। राज्य शासन इसके द्वारा बिन्दु क्र. 2 में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 उपधारा 3 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की कार्यवाही से समुचित सरकार/कलेक्टर महोदय द्वारा विमुक्त किया गया है।

अतः उक्त आपेक्षित कार्यवाही का सारांश नहीं दिया जा रहा है, धारा-11 की उपधारा 4 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारम्भिक अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

:: अनुसूची ::

1- भूमि का वर्णन :-

(क) जिला	:	कटनी
(ख) तहसील	:	विजयराघवगढ
(ग) ग्राम	:	चरी प.ह. न. 44
(घ) अर्जित क्षेत्रफल	:	0.680 हेक्टेयर

भूमि का विवरण							
स. क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)	स.क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)
1	773/1,2,3	1.230	0.100	5	780/1,2,3	1.480	0.070
2	774/1, 2	3.200	0.150	6	781	0.100	0.020
3	776	1.570	0.060	7	782	1.710	0.210
4	779	0.170	0.070	निजी भूमि कुल रकवा -			0.680 हे.

- 2- धारा-12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी- कार्यपालन यंत्री दौयी तट नहर संभाग क्रं.1 कटनी (म.प्र.)
- 3- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ शाखा नहर निर्माण हेतु।
- 4- भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 28-अ-82-23-24

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दौयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है। राज्य शासन इसके द्वारा बिन्दु क्र. 2 में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 उपधारा 3 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की कार्यवाही से समुचित सरकार/कलेक्टर महोदय द्वारा विमुक्त किया गया है।

अतः उक्त आपेक्षित कार्यवाही का सारांश नहीं दिया जा रहा है, धारा-11 की उपधारा 4 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारम्भिक अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

:: अनुसूची ::

1- भूमि का वर्णन :-

(क) जिला	:	कटनी
(ख) तहसील	:	विजयराघवगढ
(ग) ग्राम	:	मझगवां प.ह. न. 11
(घ) अर्जित क्षेत्रफल	:	3.800 हेक्टेयर

भूमि का विवरण							
स. क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)	स. क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)
1	41/1, 2	1.530	0.060	22	246/1, 2,3	0.430	0.020
2	43/1, 2,3,4,5	0.090	0.020	23	259/1, 2	0.270	0.040
3	44	0.080	0.030	24	260/1,2,3,4, 5,6,7,8,9,10	0.770	0.190
4	46/1, 2, 3, 4,5,6,7	1.560	0.080	25	261	0.230	0.140
5	52	0.130	0.060	26	262	0.310	0.030
6	53/1, 2	0.270	0.070	27	289	2.710	0.190
7	54/1, 2	3.730	0.110	28	290	0.800	0.030
8	57	0.850	0.180	29	291/1, 2	2.010	0.230

9	58	0.550	0.040	30	299/1,2,3,4, 5,6,7,8,9	2.100	0.220
10	121	0.110	0.010	31	302/1,2,3	0.680	0.180
11	123	0.340	0.010	32	303/1,2,3	0.370	0.080
12	231	0.620	0.020	33	409/3	1.440	0.150
13	232	0.840	0.150	34	409/18	0.440	0.130
14	245	0.150	0.050	35	410	0.260	0.060
15	233	0.610	0.060	36	411/1,2,3	4.390	0.080
16	235	0.660	0.100	37	412	0.670	0.120
17	236/1, 2	0.650	0.120	38	413	0.370	0.130
18	238	0.840	0.050	39	414	0.280	0.030
19	241	0.230	0.020	40	415	0.390	0.060
20	242	0.290	0.070	41	424/1,2,3,4	3.170	0.310
21	244	0.200	0.070	निजी भूमि कुल रकवा-			3.800 हेक्ट.

- 2- धारा-12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी- कार्यपालन यंत्री दौयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र.)
- 3- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ़ शाखा नहर की रमना माइनर नहर निर्माण हेतु।
- 4- भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 29-अ-82-23-24

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दौयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है। राज्य शासन इसके द्वारा बिन्दु क्र. 2 में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 उपधारा 3 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की कार्यवाही से समुचित सरकार/कलेक्टर महोदय द्वारा विमुक्त किया गया है।

अतः उक्त आपेक्षित कार्यवाही का सारांश नहीं दिया जा रहा है, धारा-11 की उपधारा 4 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारम्भिक अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

:: अनुसूची ::

1- भूमि का वर्णन :-

(क) जिला	:	कटनी	
(ख) तहसील	:	विजयराघवगढ	
(ग) ग्राम	:	सलैया कोहारी	प.ह. न. 39
(घ) अर्जित क्षेत्रफल	:	<u>4.170</u> हेक्टेयर	

भूमि का विवरण							
स. क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)	स. क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)
1	336	0.290	0.040	32	735	0.300	0.080
2	669	0.580	0.030	33	740	0.530	0.080
3	670/1,2	0.110	0.040	34	741	0.400	0.050
4	671	0.470	0.130	35	744	0.180	0.040
5	672	0.300	0.010	36	745	0.750	0.040
6	684	0.230	0.040	37	811	0.740	0.040
7	686	0.830	0.080	38	808	0.340	0.040
8	688	0.160	0.040	39	809	0.830	0.050
9	689/1,2,3	0.460	0.060	40	810	0.600	0.040
10	724	0.750	0.030	41	814	2.090	0.200
11	755/1,2	0.330	0.040	42	815/1,2,3,4	0.440	0.070

12	762	0.180	0.080	43	816/1,2,3,4	0.630	0.070
13	763/1,2	1.550	0.210	44	867	0.480	0.040
14	765	0.180	0.080	45	868	1.110	0.120
15	766	0.460	0.100	46	892	0.890	0.210
16	767	0.240	0.050	47	891	0.930	0.030
17	770/1,2	0.860	0.020	48	903/1,2	0.580	0.040
18	580	0.130	0.040	49	904	0.210	0.080
19	581	0.230	0.030	50	905	0.050	0.030
20	582/1,2	0.140	0.030	51	907/1,2,3, 4,5,6,7	1.950	0.200
21	700	0.140	0.040	52	908	0.180	0.010
22	701	0.070	0.010	53	909/1,2	1.020	0.130
23	702	0.260	0.070	54	921/1,2	2.170	0.130
24	703	0.200	0.040	55	960/1,2	1.040	0.170
25	720	0.110	0.060	56	968	0.710	0.080
26	721	0.260	0.020	57	969	0.770	0.070
27	722	0.240	0.060	58	970/1,2,3	0.990	0.100
28	723	0.130	0.030	59	971	0.500	0.050
29	724	0.750	0.110	60	974	1.640	0.080
30	725/1, 2	0.490	0.080	61	989/1/1,2	1.800	0.030
31	734	0.510	0.070	निजी भूमि कुल रकवा-			4.170 हेक्ट.

- 2- धारा-12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी- कार्यपालन यंत्री दौयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र.)
- 3- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ शाखा नहर की सलैया कोहारी माइनर व सबमाइनर नहर निर्माण हेतु।
- 4- भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 30-अ-82-23-24

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दायी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है। राज्य शासन इसके द्वारा बिन्दु क्र. 2 में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 उपधारा 3 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की कार्यवाही से समुचित सरकार/कलेक्टर महोदय द्वारा विमुक्त किया गया है।

अतः उक्त आपेक्षित कार्यवाही का सारांश नहीं दिया जा रहा है, धारा-11 की उपधारा 4 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

:: अनुसूची ::

1- भूमि का वर्णन :-

(क) जिला	:	कटनी
(ख) तहसील	:	विजयराघवगढ़
(ग) ग्राम	:	कारीतलाई प.ह. न. 45
(घ) अर्जित क्षेत्रफल	:	8.414 हेक्टेयर

भूमि का विवरण							
स. क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)	स. क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)
1	53	0.390	0.090	49	700	0.160	0.060
2	54	0.260	0.070	50	701	0.150	0.050
3	56/2	0.390	0.030	51	702	0.470	0.030
4	56/3	0.770	0.010	52	706	0.100	0.030
5	56/5	0.390	0.090	53	704	0.520	0.040
6	59	0.430	0.020	54	705	0.190	0.030
7	60	0.520	0.210	55	708	0.840	0.080
8	70	0.820	0.160	56	712	1.310	0.220
9	71	1.070	0.360	57	713	0.800	0.110
10	96	1.360	0.010	58	1507	0.440	0.080
11	97/1,2,3	0.890	0.140	59	1508/1,2	0.730	0.030
12	98/1,2,3	0.930	0.160	60	1510	1.260	0.150

13	102	0.230	0.060	61	1520	0.290	0.040
14	103	0.120	0.030	62	1521	0.350	0.090
15	104	0.270	0.040	63	1522	1.530	0.080
16	106/1,2,3	2.090	0.040	64	1535	0.250	0.050
17	107	0.170	0.130	65	1536	1.040	0.110
18	108	0.230	0.020	66	1537	0.480	0.140
19	267/1	1.370	0.010	67	1538/1,2,3	2.380	0.110
20	268/1,2,3,4,5 ,6,7,8,9,10,11 ,12,13,14	3.540	0.250	68	1539	0.500	0.050
21	269	0.220	0.020	69	1548	0.290	0.060
22	273/1	0.200	0.004	70	1588	0.210	0.020
23	273/3	0.200	0.080	71	1589/1,2	0.800	0.030
24	273/4	0.200	0.080	72	1600	0.150	0.020
25	274/1	0.400	0.060	73	1601	3.150	0.140
26	274/2	0.400	0.060	74	1604/1,2	0.930	0.070
27	275/1,2	0.820	0.120	75	1605	1.020	0.150
28	276/1,2	1.780	0.010	76	1606	1.880	0.110
29	359/1	0.220	0.040	77	1607/1,2, 3,4	2.630	0.120
30	359/2	0.210	0.040	78	1646	1.710	0.170
31	360/1,2,3,4,5, 6,7,8,9	3.180	0.240	79	1655	1.180	0.080
32	366/1,2	0.740	0.150	80	1656	1.290	0.120
33	367	0.330	0.010	81	1659	2.660	0.190
34	368/1	0.120	0.060	82	1661/1,2,3, 4,5,6,7,8,9	4.410	0.170
35	368/2	0.200	0.010	83	1663/1,2,3	0.730	0.100
36	370/1	0.620	0.070	84	1664/1,2	1.400	0.100
37	370/2	0.610	0.130	85	1669	1.170	0.130
38	676	1.160	0.170	86	1672	1.480	0.080
39	681/1,2	0.930	0.030	87	1673/1,2, 3,4	2.890	0.120
40	682/1,2	0.130	0.030	88	1674/1, 2	1.480	0.080
41	683	1.960	0.160	89	1675/1, 2	1.530	0.090
42	684/1,2,3,4,5 ,6,7,8,9,10,11 ,12,13,14, 15,16	2.650	0.220	90	1683/1, 2	1.350	0.110
43	693	1.080	0.070	91	1684	0.200	0.070
44	694/2	1.310	0.020	92	1688/1, 2	1.180	0.050
45	696/1	0.200	0.050	93	1690/1,2,3,4	3.070	0.110
46	698/2	0.840	0.040	94	1725	0.570	0.100
47	698/3	0.840	0.110	95	1726/1,2,3	2.780	0.210
48	699	0.730	0.020	निजी भूमि कुल रकवा-			8.414हेक्ट.

- 2- धारा-12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी- कार्यपालन यंत्री दौयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र.)
- 3- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ़ शाखा नहर की कारीतलाई माइनर, बम्होरी माइनर व भदई माइनर नहर निर्माण हेतु।
- 4- भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 31-अ-82-23-24

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दायी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है। राज्य शासन इसके द्वारा बिन्दु क्र. 2 में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 उपधारा 3 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की कार्यवाही से समुचित सरकार/कलेक्टर महोदय द्वारा विमुक्त किया गया है।

अतः उक्त आपेक्षित कार्यवाही का सारांश नहीं दिया जा रहा है, धारा-11 की उपधारा 4 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

:: अनुसूची ::

1- भूमि का वर्णन :-

(क) जिला	:	कटनी
(ख) तहसील	:	विजयराघवगढ
(ग) ग्राम	:	कारीतलाई प.ह. न. 45
(घ) अर्जित क्षेत्रफल	:	3.750 हेक्टेयर

भूमि का विवरण							
स. क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)	स. क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)
1	11	0.270	0.020	10	26	0.580	0.090
2	12/1,2,3,4,5	1.030	0.480	11	27/1, 2	1.230	0.030
3	15/1,2,3	1.070	0.350	12	45/1, 2	0.130	0.070
4	19	0.560	0.020	13	46	0.280	0.310
5	20/1, 2	1.490	0.480	14	47	0.160	0.020
6	21	0.660	0.190	15	56/1,2,3,4,5,6	2.520	0.760
7	22	0.680	0.030	16	79/1, 2	1.000	0.120
8	23	0.040	0.040	17	81/1, 2	1.880	0.640
9	24	0.230	0.100	निजी भूमि कुल रकवा-			3.750हेक्ट.

- 2- धारा-12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी- कार्यपालन यंत्री दायी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र.)
- 3- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ शाखा नहर निर्माण हेतु।
- 4- भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दायी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 32-अ-82-23-24

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दौयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है। राज्य शासन इसके द्वारा बिन्दु क्र. 2 में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 उपधारा 3 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की कार्यवाही से समुचित सरकार/कलेक्टर महोदय द्वारा विमुक्त किया गया है।

अतः उक्त आपेक्षित कार्यवाही का सारांश नही दिया जा रहा है, धारा-11 की उपधारा 4 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा।

:: अनुसूची ::

- 1- भूमि का वर्णन :-
- | | | |
|----------------------|---|-------------------|
| (क) जिला | : | कटनी |
| (ख) तहसील | : | विजयराघवगढ |
| (ग) ग्राम | : | अमुवारी प.ह. न. 1 |
| (घ) अर्जित क्षेत्रफल | : | 1.956 हेक्टेयर |

भूमि का विवरण							
स. क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)	स. क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)
1	18/1,2	1.520	0.100	11	118/1,2,3,4	0.510	0.100
2	19/1,2	2.320	0.250	12	119	0.490	0.136
3	31	2.670	0.100	13	120/1,2	1.400	0.110
4	37	0.780	0.020	14	121	2.060	0.110
5	38	0.520	0.110	15	64	1.340	0.030
6	54	0.620	0.190	16	65	0.410	0.130
7	55	0.560	0.090	17	66	0.330	0.060
8	57	0.480	0.110	18	68	1.070	0.060
9	58/1,2	1.150	0.150	निजी भूमि कुल रकवा-			1.956 हेक्ट.
10	117	0.650	0.100				

- 2- धारा-12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी- कार्यपालन यंत्री दौयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र.)
- 3- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ शौखा नहर की मझगवां डिस्ट्रीब्यूटरी व नन्हवाराकला माइनर नहर निर्माण हेतु।
- 4- भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 33-अ-82-23-24

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दौयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है। राज्य शासन इसके द्वारा बिन्दु क्र. 2 में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 उपधारा 3 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की कार्यवाही से समुचित सरकार/कलेक्टर महोदय द्वारा विमुक्त किया गया है।

अतः उक्त आपेक्षित कार्यवाही का सारांश नही दिया जा रहा है, धारा-11 की उपधारा 4 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारम्भिक अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा।

:: अनुसूची ::

- 1- भूमि का वर्णन :-
- | | | |
|----------------------|---|-------------------|
| (क) जिला | : | कटनी |
| (ख) तहसील | : | विजयराघवगढ |
| (ग) ग्राम | : | रजरवारा प.ह. न. 2 |
| (घ) अर्जित क्षेत्रफल | : | 2.720 हेक्टेयर |

भूमि का विवरण							
स. क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)	स. क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)
1	353	1.190	0.140	31	543	0.120	0.050
2	362	0.070	0.040	32	544	0.130	0.020
3	363/1, 2	0.050	0.020	33	546	0.060	0.020
4	364	0.150	0.050	34	547/1,2,3	0.230	0.080
5	365	0.200	0.010	35	548	0.170	0.070
6	379	0.030	0.010	36	604	0.310	0.040
7	380	0.060	0.010	37	606	0.130	0.020
8	393/1, 2, 3	0.280	0.010	38	605/1, 2	0.350	0.060
9	395	0.170	0.010	39	665	0.280	0.020
10	396	0.040	0.010	40	666/1,2	0.280	0.060
11	404	0.130	0.050	41	668/1, 2	0.890	0.120
12	405	0.020	0.020	42	672	0.140	0.010

13	406	0.080	0.030	43	673	0.670	0.060
14	408	0.290	0.020	44	677	0.570	0.060
15	410	0.080	0.050	45	678	0.130	0.040
16	413	0.020	0.010	46	679	0.300	0.100
17	414	0.020	0.010	47	680	0.680	0.010
18	417	0.050	0.010	48	681	0.070	0.060
19	422	0.060	0.010	49	734/1/1, 734/1/2 734/2 734/3	2.800	0.350
20	427	0.040	0.010	50	755	0.470	0.050
21	428	0.030	0.010	51	757	0.230	0.030
22	429	0.030	0.010	52	758/1, 2, 3,4	0.750	0.030
23	430	0.010	0.010	53	759	0.590	0.150
24	432	0.020	0.020	54	762	0.420	0.020
25	433	0.020	0.020	55	776	0.710	0.110
26	434	0.040	0.030	56	777/1, 2, 3	1.420	0.170
27	435	0.050	0.010	57	791/1, 2	0.430	0.050
28	437	0.030	0.020	58	792/1, 2	0.560	0.020
29	455/1, 2	0.390	0.060	निजी भूमि कुल रकवा-			2.720हेक्ट.
30	458/1, 3	0.720	0.120				

- 2- धारा-12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी- कार्यपालन यंत्री दौयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र.)
- 3- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ शाखा नहर की रमना माइनर नहर निर्माण हेतु।
- 4- भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 34-अ-82-23-24

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दायी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है। राज्य शासन इसके द्वारा बिन्दु क्र. 2 में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 उपधारा 3 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की कार्यवाही से समुचित सरकार/कलेक्टर महोदय द्वारा विमुक्त किया गया है।

अतः उक्त आपेक्षित कार्यवाही का सारांश नहीं दिया जा रहा है, धारा-11 की उपधारा 4 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारम्भिक अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

:: अनुसूची ::

1- भूमि का वर्णन :-

(क) जिला	:	कटनी
(ख) तहसील	:	विजयराघवगढ
(ग) ग्राम	:	कुसम्हा प.ह. न. 48
(घ) अर्जित क्षेत्रफल	:	3.374 हेक्टेयर

भूमि का विवरण							
स. क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)	स. क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)
1	31	0.640	0.110	32	240/1	0.130	0.030
2	32	0.300	0.060	33	240/2	0.260	0.030
3	34	0.270	0.040	34	243/1, 2, 3	0.170	0.060
4	36/1	0.040	0.010	35	244	0.220	0.020
5	36/2	0.040	0.040	36	245/1/1, 2, 3	0.700	0.110
6	36/3	0.040	0.010	37	246	0.450	0.020
7	38	0.100	0.040	38	247/1	0.120	0.060
8	39	0.170	0.070	39	359	0.770	0.010
9	387	0.070	0.010	40	362	0.190	0.080
10	40/1	0.130	0.030	41	365/1, 2	0.330	0.060
11	40/2	0.060	0.004	42	373	0.570	0.080
12	83/1, 2	0.880	0.160	43	374	2.580	0.220

13	86	0.160	0.020	44	385	0.250	0.070
14	88	0.150	0.070	45	386	0.260	0.100
15	87	0.120	0.040	46	388	0.300	0.010
16	89/1	0.030	0.020	47	389	0.110	0.050
17	89/2	0.030	0.020	48	392/1	0.170	0.060
18	89/3	0.030	0.020	49	392/2	0.140	0.060
19	162	0.410	0.040	50	393/1/1, 2	0.340	0.100
20	169	0.850	0.140	51	454/1, 2,3,4	3.740	0.190
21	170	0.120	0.040	52	457	0.860	0.080
22	171	0.090	0.020	53	458	1.180	0.170
23	172	0.200	0.040	54	465	0.270	0.060
24	173	0.300	0.070	55	466	0.270	0.020
25	174/1, 2	0.540	0.040	56	467	0.510	0.100
26	176	0.350	0.010	57	493	0.150	0.050
27	177	0.080	0.020	58	494/1	0.210	0.060
28	230	0.150	0.060	59	494/2	0.200	0.060
29	231	0.080	0.020	60	495	0.190	0.010
30	239	0.090	0.010	61	496	0.280	0.020
31	361	0.290	0.040	निजी भूमि कुल रकवा-			3.374हेक्ट.

- 2- धारा-12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी- कार्यपालन यंत्री दौयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र.)
- 3- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ शाखा नहर की बम्होरी माइनर नहर निर्माण हेतु।
- 4- भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 35-अ-82-23-24

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दौयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है। राज्य शासन इसके द्वारा बिन्दु क्र. 2 में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 उपधारा 3 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की कार्यवाही से समुचित सरकार/कलेक्टर महोदय द्वारा विमुक्त किया गया है।

अतः उक्त आपेक्षित कार्यवाही का सारांश नहीं दिया जा रहा है, धारा-11 की उपधारा 4 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारम्भिक अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

:: अनुसूची ::

- 1- भूमि का वर्णन :-
- | | | |
|----------------------|---|------------------|
| (क) जिला | : | कटनी |
| (ख) तहसील | : | विजयराघवगढ |
| (ग) ग्राम | : | बडारी प.ह. न. 10 |
| (घ) अर्जित क्षेत्रफल | : | 1.950 हेक्टेयर |

भूमि का विवरण							
स. क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)	स. क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)
1	257	0.650	0.060	9	404/1,2	2.070	0.170
2	318/1, 2	1.500	0.130	10	405	2.070	0.040
3	385	0.890	0.140	11	407/1,2	1.760	0.140
4	386	0.480	0.070	12	445	4.170	0.230
5	387/1,2,3,4	3.030	0.120	13	446/1,2	2.470	0.170
6	388/1,2,3,4	2.480	0.190	14	447/1,2	0.570	0.030
7	402	2.280	0.330	15	450/1,2,3,4	4.400	0.110
8	403	0.420	0.020	निजी भूमि कुल रकवा-			1.950 हेक्ट.

- 2- धारा-12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी- कार्यपालन यंत्री दौयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र.)
- 3- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ शाखा नहर की झिरिया माइनर नहर निर्माण हेतु।
- 4- भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 36-अ-82-23-24

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दायी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है। राज्य शासन इसके द्वारा बिन्दु क्र. 2 में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 उपधारा 3 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की कार्यवाही से समुचित सरकार/कलेक्टर महोदय द्वारा विमुक्त किया गया है।

अतः उक्त आपेक्षित कार्यवाही का सारांश नहीं दिया जा रहा है, धारा-11 की उपधारा 4 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

:: अनुसूची ::

1- भूमि का वर्णन :-

(क) जिला	:	कटनी
(ख) तहसील	:	विजयराघवगढ
(ग) ग्राम	:	झिरिया प.ह. न. 29
(घ) अर्जित क्षेत्रफल	:	6.410 हेक्टेयर

भूमि का विवरण							
स. क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)	स. क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)
1	75	1.200	0.120	40	522	0.260	0.020
2	81/1, 2	1.110	0.120	41	525	0.040	0.030
3	83/1, 2, 3	2.550	0.180	42	526	0.040	0.020
4	84	1.020	0.130	43	527	1.870	0.130
5	85	4.200	0.080	44	528	0.140	0.060
6	101/1/1, 101/1/2, 101/2	4.450	0.010	45	529	0.270	0.020
7	104	0.930	0.130	46	562		0.060
8	106	1.340	0.020	47	563		0.250
9	108/1, 2	2.540	0.210	48	564	1.610	0.180
10	109	1.710	0.080	49	565/1, 2, 3, 4, 5, 6	1.520	0.080

11	303	0.500	0.100	50	566	1.690	0.240
12	304	0.290	0.020	51	585/1, 2, 3	3.150	0.310
13	306	0.940	0.010	52	649/1,2,3,4	1.310	0.080
14	307	0.160	0.070	53	650		0.060
15	308/1, 2, 3	0.340	0.010	54	662		0.050
16	196/1, 2	2.210	0.270	55	664/1, 2	0.300	0.100
17	200/1, 2	0.640	0.140	56	665/1, 2	0.030	0.140
18	201/1, 2	0.280	0.040	57	666	0.390	0.110
19	221	0.850	0.140	58	667/1, 2, 3, 4, 5, 6	2.800	0.030
20	224/1, 2	0.890	0.080	59	632/1, 2, 3	0.030	0.010
21	225	0.480	0.004	60	633	0.130	0.100
22	237	0.090	0.010	61	637	0.280	0.060
23	238	0.080	0.040	62	638	0.350	0.040
24	239	0.290	0.040	63	642	0.570	0.090
25	243/1, 2	0.430	0.080	64	643	0.640	0.050
26	246	0.140	0.040	65	644	0.440	0.010
27	439/1, 2, 3	0.340	0.030	66	645/1, 2	0.450	0.040
28	440	0.110	0.050	67	647	0.290	0.030
29	441/1, 2	0.090	0.030	68	646		0.080
30	443/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	1.770	0.040	69	665/1, 2	0.500	0.020
31	442/1, 2	0.230	0.030	70	667/1, 2, 3, 4, 5, 6	2.800	0.110
32	445	0.120	0.030	71	748/1, 2, 3	0.440	0.160
33	446/1, 2	0.870	0.140	72	749	0.550	0.040
34	447/1, 2, 3, 4, 5	1.020	0.150	73	773/1, 2, 3, 4	3.610	0.320
35	453	0.330	0.080	74	774/1, 2, 3, 4, 5	4.380	0.170
36	454	0.460	0.030	75	776/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	0.300	0.050
37	515/1, 2, 3, 4	0.110	0.050	76	778	0.150	0.080
38	517/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	1.030	0.120	निजी भूमि कुल रकवा -			6.410 हेक्ट.
39	521	0.340	0.060				

- 2- धारा-12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी- कार्यपालन यंत्री दौयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र.)
- 3- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ शाखा नहर की माइनर एवं सबमाइनर नहर निर्माण हेतु।
- 4- भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 37-अ-82-23-24

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दायी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है। राज्य शासन इसके द्वारा बिन्दु क्र. 2 में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 उपधारा 3 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की कार्यवाही से समुचित सरकार/कलेक्टर महोदय द्वारा विमुक्त किया गया है।

अतः उक्त आपेक्षित कार्यवाही का सारांश नहीं दिया जा रहा है, धारा-11 की उपधारा 4 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारम्भिक अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

:: अनुसूची ::

- 1- भूमि का वर्णन :-
- | | | |
|----------------------|---|------------------------|
| (क) जिला | : | कटनी |
| (ख) तहसील | : | विजयराघवगढ |
| (ग) ग्राम | : | नन्हवाराकला प.ह. न. 10 |
| (घ) अर्जित क्षेत्रफल | : | 3.430 हेक्टेयर |

भूमि का विवरण							
स. क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)	स. क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)
1	156	0.040	0.010	23	784	0.370	0.060
2	158	0.080	0.020	24	785	0.330	0.080
3	161	0.170	0.050	25	786	0.580	0.090
4	162	0.380	0.050	26	793/1, 2	0.450	0.150
5	164/1,2,3,4,5,6,7,8,9	1.140	0.140	27	794	0.160	0.060
6	167	0.050	0.020	28	796	1.090	0.020
7	178	0.590	0.060	29	810	1.720	0.180
8	179	0.330	0.120	30	922	0.460	0.080
9	708	0.160	0.070	31	924	0.400	0.160

10	709	0.140	0.050	32	829	0.170	0.060
11	712	0.110	0.020	33	830/1, 2, 3,4	0.330	0.170
12	764/1, 2	0.040	0.020	34	861	0.510	0.070
13	765/1, 2	1.680	0.130	35	862	0.520	0.070
14	768	0.400	0.070	36	863/1, 2, 3, 4,5,6	1.240	0.080
15	773/1, 2, 3	3.480	0.230	37	867	0.260	0.120
16	775	2.340	0.120	38	868	0.230	0.050
17	776	0.600	0.050	39	923/1,2, 3,4	0.630	0.100
18	779	0.210	0.050	40	1029	2.000	0.280
19	780	0.100	0.030	41	1030	0.250	0.120
20	781	0.090	0.030	42	1031/1,2	0.310	0.020
21	783	0.370	0.060	निजी भूमि कुल रकवा-			3.430 हेक्ट.
22	782	0.220	0.010				

- 2- धारा-12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी- कार्यपालन यंत्री दौयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र.)
- 3- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ शाखा नहर की नन्हवाराकला माइनर व मझगवां डिस्ट्रीब्युटरी नहर निर्माण हेतु।
- 4- भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 38-अ-82-23-24

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दौयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है। राज्य शासन इसके द्वारा बिन्दु क्र. 2 में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 उपधारा 3 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की कार्यवाही से समुचित सरकार/कलेक्टर महोदय द्वारा विमुक्त किया गया है।

अतः उक्त आपेक्षित कार्यवाही का सारांश नहीं दिया जा रहा है, धारा-11 की उपधारा 4 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

:: अनुसूची ::

1- भूमि का वर्णन :-

(क) जिला	:	कटनी
(ख) तहसील	:	विजयराघवगढ
(ग) ग्राम	:	गुडगुडौहा प.ह. न. 35
(घ) अर्जित क्षेत्रफल	:	1.480 हेक्टेयर

भूमि का विवरण							
स. क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)	स. क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)
1	200/1, 2, 3, 4, 5, 6	5.620	0.060	7	407	0.668	0.100
2	260/1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10	8.554	0.280	8	412	0.206	0.030
3	262/1,2,3,4	1.133	0.250	9	416/2	0.688	0.100
4	302	0.210	0.050	10	416/3	0.485	0.200
5	303/1,2	0.733	0.100	11	440/1	1.983	0.210
6	309/1,2,3	1.360	0.100	निजी भूमि कुल रकवा-			1.480 हेक्ट.

- 2- धारा-12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी- कार्यपालन यंत्री दौयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र.)
- 3- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ शाखा नहर की देवरी मझगवां माइनर नहर निर्माण हेतु।
- 4- भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 39-अ-82-23-24

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दौयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है। राज्य शासन इसके द्वारा बिन्दु क्र. 2 में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 उपधारा 3 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की कार्यवाही से समुचित सरकार/कलेक्टर महोदय द्वारा विमुक्त किया गया है।

अतः उक्त आपेक्षित कार्यवाही का सारांश नहीं दिया जा रहा है, धारा-11 की उपधारा 4 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

:: अनुसूची ::

- 1- भूमि का वर्णन :-
- | | | |
|----------------------|---|------------------|
| (क) जिला | : | कटनी |
| (ख) तहसील | : | विजयराघवगढ |
| (ग) ग्राम | : | अमेहटा प.ह. न. 9 |
| (घ) अर्जित क्षेत्रफल | : | 2.050 हेक्टेयर |

भूमि का विवरण							
स. क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)	स. क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)
1	371	0.810	0.080	14	371	0.810	0.140
2	417	0.430	0.050	15	373	0.740	0.100
3	423	0.380	0.030	16	374	0.050	0.080
4	421/1,2,3	0.420	0.070	17	375	0.260	0.020
5	422	0.380	0.060	18	419	0.920	0.080
6	424	0.470	0.050	19	431	0.520	0.060
7	425/1,2,3,4	1.440	0.110	20	432/1,2	1.230	0.030
8	427	0.600	0.050	21	434/1,2	0.530	0.090
9	428	0.600	0.110	22	435	0.170	0.040
10	429/1,2,3,4,5	1.990	0.030	23	452/2	1.190	0.240
11	367	0.750	0.030	24	458/1,2,3,4	2.990	0.270
12	368	0.990	0.110	निजी भूमि कुल रकवा-			2.050 हेक्ट.
13	370/1,2	0.910	0.120				

- 2- धारा-12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी- कार्यपालन यंत्री दौयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र.)
- 3- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ शाखा नहर की मझगवां डिस्ट्रीब्युटरी व नन्हवाराकला माइनर नहर निर्माण हेतु।
- 4- भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 40-अ-82-23-24

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की निर्माणाधीन स्लीमनाबाद टनल नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है। राज्य शासन इसके द्वारा बिन्दु क्र. 2 में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 उपधारा 3 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की कार्यवाही से समुचित सरकार/कलेक्टर महो. द्वारा विमुक्त किया गया है।

अतः उक्त आपेक्षित कार्यवाही का सारांश नहीं दिया जा रहा है, धारा-11 की उपधारा 4 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

:: अनुसूची ::

1- भूमि का वर्णन :-

(क) जिला	:	कटनी	
(ख) तहसील	:	स्लीमनाबाद	
(ग) ग्राम	:	स्लीमनाबाद(मोहदापुरा बस्ती)	प.ह. न. 61
(घ) अर्जित क्षेत्रफल	:	0.110 हेक्टेयर	

भूमि का विवरण			
स.क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हेक्ट.मे.)	अर्जित रकवा (हेक्ट.मे.)
1	364	0.080	0.080
2	365	0.080	0.010
3	366	0.040	0.020
निजी भूमि कुल रकवा-			0.110 हेक्ट.

- 2- धारा-12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 5 कटनी (म.प्र.)
- 3- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना की निर्माणाधीन स्लीमनाबाद टनल निर्माण हेतु।
- 4- भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.5 कटनी (म0प्र0) के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 42-अ-82-23-24

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दौयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है। राज्य शासन इसके द्वारा बिन्दु क्र. 2 में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 उपधारा 3 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की कार्यवाही से समुचित सरकार/कलेक्टर महोदय द्वारा विमुक्त किया गया है।

अतः उक्त आपेक्षित कार्यवाही का सारांश नहीं दिया जा रहा है, धारा-11 की उपधारा 4 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

:: अनुसूची ::

- 1- भूमि का वर्णन :-
- | | | |
|----------------------|---|-----------------------|
| (क) जिला | : | कटनी |
| (ख) तहसील | : | विजयराघवगढ |
| (ग) ग्राम | : | बम्होरी प.ह. न. 46 |
| (घ) अर्जित क्षेत्रफल | : | 2.210 हेक्टेयर |

भूमि का विवरण							
स. क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)	स. क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)
1	14	0.580	0.070	18	182/2	0.090	0.030
2	16/1	0.840	0.150	19	186	0.190	0.060
3	16/2	0.400	0.060	20	187	0.420	0.060
4	23	1.520	0.260	21	335	0.360	0.040
5	24/2	0.380	0.030	22	336/1	0.240	0.010
6	51	1.320	0.020	23	336/2	0.140	0.010
7	52	0.110	0.040	24	352/2	0.530	0.080
8	55	0.130	0.020	25	360	0.260	0.060
9	56	0.240	0.040	26	361	1.020	0.120
10	57	0.290	0.110	27	368	0.720	0.110
11	58/1/1, 2	0.500	0.110	28	369	0.510	0.110
12	59/1/1, 2	0.200	0.060	29	372	0.120	0.020
13	146	0.150	0.060	30	373	0.150	0.020
14	147	0.250	0.080	31	374	0.360	0.020
15	177	0.710	0.100	32	375/1	0.430	0.100
16	181/2	0.150	0.080	33	376	0.340	0.040
17	182/1	0.100	0.030	निजी भूमि कुल रकवा-			2.210 हे०

- 2- धारा-12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी- कार्यपालन यंत्री दौयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र.)
 3- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ शाखा नहर की बम्होरी माइनर नहर निर्माण हेतु।
 4- भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 43-अ-82-23-24

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दायी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है। राज्य शासन इसके द्वारा बिन्दु क्र. 2 में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 उपधारा 3 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की कार्यवाही से समुचित सरकार/कलेक्टर महोदय द्वारा विमुक्त किया गया है।

अतः उक्त आपेक्षित कार्यवाही का सारांश नहीं दिया जा रहा है, धारा-11 की उपधारा 4 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

:: अनुसूची ::

1- भूमि का वर्णन :-

(क) जिला	:	कटनी
(ख) तहसील	:	विजयराघवगढ
(ग) ग्राम	:	परसवारा प.ह. न. 52
(घ) अर्जित क्षेत्रफल	:	3.238 हेक्टेयर

भूमि का विवरण							
स. क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)	स. क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)
1	81	0.260	0.100	30	560	0.160	0.004
2	82	0.050	0.030	31	561	0.530	0.090
3	83	0.070	0.040	32	562	0.130	0.060
4	84/1,2,3,4	0.420	0.100	33	563/1,2,3	0.350	0.030
5	92/1, 2	0.350	0.030	34	564	0.240	0.040
6	93	0.100	0.030	35	580	0.260	0.060
7	94/1,2,3	1.120	0.100	36	581	0.050	0.010
8	99	0.350	0.010	37	582	0.150	0.050
9	100	0.560	0.130	38	603	0.080	0.040
10	101	1.910	0.240	39	609	0.090	0.060
11	102/1, 2	1.900	0.010	40	594	0.120	0.020

12	105/1, 2, 3, 4, 5	1.430	0.050	41	595	0.250	0.110
13	114	0.600	0.080	42	596/1,2	0.280	0.010
14	115/1,2,3	1.190	0.110	43	601/1,2	0.830	0.120
15	116/1,2,3	1.120	0.170	44	602	0.040	0.020
16	120	0.260	0.070	45	604	0.020	0.010
17	122	0.370	0.090	46	607	0.120	0.040
18	123	0.240	0.060	47	610	0.110	0.010
19	141/1,2	0.870	0.020	48	608	0.060	0.010
20	155	0.160	0.030	49	612/1, 2, 3, 4, 5	0.490	0.110
21	161/1,2	0.220	0.060	50	613	0.230	0.030
22	163/1,2	0.260	0.050	51	614	0.110	0.020
23	164/1,2,3	0.550	0.080	52	615	0.120	0.010
24	168	0.550	0.004	53	617	0.340	0.060
25	170/1,2,3	0.970	0.030	54	618	0.310	0.090
26	194/1,2,3,4,5	0.330	0.050	55	619	0.070	0.040
27	195	0.560	0.080	56	620	0.310	0.010
28	196	0.640	0.070	57	633	1.260	0.020
29	197/1,2	0.580	0.130	निजी भूमि कुल रकवा-			3.238 हेक्ट.

- 2- धारा-12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी- कार्यपालन यंत्री दौयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र.)
- 3- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ शाखा नहर की परसवारा माइनर नहर निर्माण हेतु।
- 4- भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 44-अ-82-23-24

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दायी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है। राज्य शासन इसके द्वारा बिन्दु क्र. 2 में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 उपधारा 3 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की कार्यवाही से समुचित सरकार/कलेक्टर महोदय द्वारा विमुक्त किया गया है।

अतः उक्त आपेक्षित कार्यवाही का सारांश नहीं दिया जा रहा है, धारा-11 की उपधारा 4 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

:: अनुसूची ::

- 1- भूमि का वर्णन :-
- | | | |
|----------------------|---|-----------------------|
| (क) जिला | : | कटनी |
| (ख) तहसील | : | विजयराघवगढ |
| (ग) ग्राम | : | सिमरिया प.ह. न. 15 |
| (घ) अर्जित क्षेत्रफल | : | <u>1.930 हेक्टेयर</u> |

भूमि का विवरण							
स. क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)	स. क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)
1	9	0.290	0.030	12	104	0.380	0.100
2	10	0.260	0.120	13	105	0.780	0.020
3	22	2.230	0.170	14	127/1,2	0.310	0.110
4	11/1,2	0.690	0.100	15	128/1/1, 2, 3	0.970	0.140
5	12	0.660	0.120	16	150	1.150	0.080
6	19	0.140	0.030	17	152	0.330	0.080
7	23	0.300	0.080	18	153	0.350	0.080
8	39/1/1,2	1.610	0.140	19	187	0.250	0.070
9	74	0.910	0.070	20	188	0.210	0.070
10	77	0.370	0.080	21	157/1,2,3	0.990	0.120
11	78	0.750	0.120	निजी भूमि कुल रकवा-			1.930 हेक्ट.

- 2- धारा-12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी- कार्यपालन यंत्री दायी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र.)
- 3- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ शाखा नहर की सिमरिया माइनर नहर निर्माण हेतु।
- 4- भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दायी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 01-अ-82-23-24

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1- :: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन:-

क. जिला : कटनी
ख. तहसील : विजयराघवगढ
ग. ग्राम : अमुवारी प.ह. न. 1
घ. अर्जित क्षेत्रफल : 2.050 हेक्टेयर

ग्राम का विवरण	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)
ग्राम - अमुवारी प.ह. न. - 1	241/1	0.030	254	0.070	428	0.130
	241/2		441	0.210	429/1	0.120
	241/3		257	0.100	429/2	
	241/4		258	0.040	432	0.290
	241/5		266	0.060	438/1	0.140
	242/1	0.100	259	0.050	438/2	
	242/2		264	0.090	438/3	
	243/1	0.080	265/1	0.030	442/1	0.080
	243/2		265/2		442/2	
	247	0.080	269	0.030	449/1	0.070
	248	0.080	286/1	0.030	449/2/1	
	249	0.030	286/2		449/2/2	
	253/1	0.030	427/1	0.080	योग→	2.050
	253/2		427/2			
			427/3			

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की जिजनोडी डिस्ट्रीब्यूटरी माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है।
- (4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।
- (5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखांकन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा।

प्र.क्र. 02-अ-82-23-24

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1-

:: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन:-

क. जिला : कटनी
 ख. तहसील : विजयराघवगढ
 ग. ग्राम : सलैया कोहारी प.ह. न. 39
 घ. अर्जित क्षेत्रफल : 10.576 हेक्टेयर

ग्राम का विवरण	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)		
ग्राम - सलैया कोहारी प.ह.न. 39	126/3	0.040	248/1	0.130	586/1	0.060		
			248/2		586/2			
			248/3		587		0.410	
	127	0.020	249	0.070	588/1	0.250		
	128/1	0.210	250/1	0.010	588/2			
	128/2	0.150	250/2	0.050	629/2	0.004		
	129/1	0.510	252/1	0.060	630	0.100		
	129/3		252/2					
	129/2		465/1/1	0.010	631/1	0.030		
	129/4		465/1/2		632	0.060		
	129/5		633/1		0.300			
	129/6		467	0.010	634	0.250		
	129/7		130/1	0.290	468/1	0.360	639/2	0.240
	130/2		0.500	468/2	0.080	639/3	0.100	
				471	0.160			
	132/1		0.020	472	0.020	639/4	0.290	
	136	0.090	473	0.020	640	0.004		
	137	0.170	485	0.050	641	0.060		

	138	0.350	486	1.240	642	0.190
	158	0.030	574	0.010	643/1	0.100
	159	0.320	575	0.060	643/2	0.070
	160	0.110	577/1	0.070	644	0.030
	161	0.004	577/2		645	0.160
	167	0.010	577/3		652/1	0.080
	168	0.510	577/4		652/2	0.020
	169	0.170	577/5		693	0.180
	170/1	0.330	577/6		694	0.030
			578	0.100	695	0.030
	171	0.050	580	0.040	697/1	0.030
	172	0.004	582/1	0.070	697/2	
	243	0.360	582/2	0.030	698/1	0.060
	244	0.100	583	0.140	698/2	0.040
	245/1	0.050	584/1	0.010	702	0.010
	245/2	0.020	584/2	0.030	योग-	10.576
	246	0.030	584/3	0.030		
	247/1	0.020	585/1	0.060		
			585/2			

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है।
- (4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।
- (5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखाकन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा।

प्र.क्र. 03-अ-82-23-24

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1- :: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन:-

क. जिला : कटनी
 ख. तहसील : विजयराघवगढ
 ग. ग्राम : चरी प.ह. न. 44
 घ. अर्जित क्षेत्रफल : 11.582 हेक्टेयर

ग्राम का विवरण	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)
ग्राम - चरी प.ह. न. 44	252/2	0.380	774/1	0.090	843	0.070
	254	0.130	774/2	0.510	844/1	0.090
	255	0.460	788	0.410	844/2	0.050
	554	0.170	792/1	0.200	845	0.030
	576	0.004	792/2	0.330	849	0.180
	579	0.070	794/2	0.910	852/1	0.100
	580/1	0.330	794/3	0.310	852/2	0.070
	580/2	0.110	795/1	0.310	854	0.260
	583/4	0.004	795/2	0.280	855	0.110
	584	0.004	795/3	0.360	856/1	} 0.160
	585	1.340	826	0.060	856/2	
	597	0.020	73	0.020	856/3	
	598	0.490	827	0.100	858/1	0.070
	599/1	} 0.260	828/1	0.210	876	0.140
	599/2		828/2		877/1	0.070
	599/3		829/1	0.150	877/2	0.010
	599/4		829/2	0.140	878	0.180

	600/1	0.140	829/3	0.150	879	0.180
	600/2		829/4	0.110	880/1	0.140
	600/3		830	0.280	880/2	0.050
	600/4		832/1	0.150	880/3	0.050
	600/5		842/1	0.070	880/4	0.050
	773/1	0.300	842/2		881	0.020
	773/3	0.010	842/3			
	773/2	0.130	842/4		योग-	11.582

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है।
- (4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।
- (5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखांकन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा।

प्र.क्र. 04-अ-82-23-24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1-

:: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन:-

क.	जिला	:	कटनी
ख.	तहसील	:	विजयराघवगढ
ग.	ग्राम	:	हरैया प.ह. न. 40
घ.	अर्जित क्षेत्रफल	:	10.268 हेक्टेयर

ग्राम का विवरण	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)
ग्राम- हरैया पह.न. 40	477	0.070	551	0.080	661/3	0.200
	486	0.120	553	0.270	661/5	0.210
	487/1	0.170	554	0.004	662	0.010
	487/2		557	0.080	663/1	0.550
	489	0.230	558	0.250	663/2	
	495/1	0.750	559/1	0.120	663/3	
	495/2		559/2		663/4	
	495/3/1		560	0.150	663/5	
	495/3/2		561	0.130	668	0.440
	495/4		563/1	0.240	669/1	0.090
	495/5		563/2		669/2	
	495/6		564	0.210	702/1	0.040
	495/7	565/1	0.350	702/2		
	512	0.100		565/2	703	0.120
	513	0.004	603	0.010	704/1	0.470
	514/1	0.330	604	0.270	704/2	
	514/2/1		605	0.110	704/3	
	514/2/2		606/1	0.200	705/1	0.270
	514/3		606/2			
	515	0.380	617/1	0.060	705/3	
	517	0.260	617/2		706/1	0.160
	538/1	0.170	617/3		706/2	
	538/2		653/3	0.400	709	0.010
	538/3		660/1	0.330	712/1	0.090
	539	0.070	660/2		712/2	0.260
	541	0.030	660/3		713	0.610
	540	0.010	661/2	0.140	714	0.060
	542	0.090	661/4	0.490	योग-	10.268

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है।
- (4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।
- (5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखांकन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा।

प्र.क्र. 05-अ-82-23-24

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1- :: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन:-

क. जिला : कटनी
 ख. तहसील : विजयराघवगढ
 ग. ग्राम : खलवारा प.ह. न. 14
 घ. अर्जित क्षेत्रफल : 12.518 हेक्टेयर

ग्राम का विवरण	खसरा नं.	रकवा हेक्टे.	खसरा नं.	रकवा हेक्टे.	खसरा नं.	रकवा हेक्टे.
खलवारा प.ह.न. 14	240	0.010	321	0.240	338/1/1	0.920
	263/3	0.060	320/1	0.330	338/1/2	
	264	0.130	320/3		338/1/3	
	265/1	0.120	320/4		338/1/5	
	265/2	0.840	320/5		338/1/6	
	266/1	0.060	320/6		338/1/8	
	266/2	0.090	320/7		338/1/4	
	266/5	0.200	322		0.280	
			330	0.310	338/2	
	272	0.174	331	0.140	338/3/1	
	273	0.360	325	1.150	338/3/2	
	277/3	0.040	332	0.640	338/3/3	
	277/4	0.070	333/1	0.020	338/3/5	
	277/5	0.094	333/2	0.253	338/4	
	278	0.250	333/3	0.020		
	279/1	0.106	333/4	0.200	547	
279/2	0.120	334	0.450	548/1	0.290	
279/3	0.154	335/1	0.020	271	0.080	

	280/2	0.030	168	0.060	550/2	0.090	
	281	0.380	337/1	0.070	551/2	0.080	
	282	0.260	337/2	0.650	568	0.040	
	283	0.350	337/3	0.050	569	0.960	
	285	0.100	339/1/1	0.240	572/1	0.050	
			339/1/2		572/2		
	286/1	0.139	339/1/3		572/3		
	286/2	0.139	339/2/1		573/1	0.210	
	286/3	0.139	339/2/2				
	287	0.170	339/2/3				
	288	0.030	339/2/4		573/2		
	315	0.050	339/3		573/3		
					कुलयोग-	12.518 हेक्ट.	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है।
- (4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।
- (5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखांकन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा।

प्र.क्र. 07-अ-82-23-24

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1-

:: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन:-

क. जिला : कटनी
 ख. तहसील : विजयराघवगढ
 ग. ग्राम : खरखरी प.ह. न. 03
 घ. अर्जित क्षेत्रफल : 6.898 हेक्टेयर

ग्राम का विवरण	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)
ग्राम - खरखरी प.ह.न. 03	7	0.190	765	0.010	933/1	0.110
	9	0.160	472/1/	0.080	970	0.060
	14	0.080	472/2		972	0.060
	170	0.070	473/1	0.050	971	0.010
	171	0.100	474	0.090	973	0.020
	173	0.240	491/1	0.190	974/1	0.010
	174	0.040	491/2		974/3	0.060
	175	0.070	526	0.030	976/1/1	0.070
	176/1	0.140	741	0.050	976/11	0.020
			527	0.100	977/1/1	0.030
	177/1	0.120	528	0.050	977/1/2	
	177/2		529/1	0.010	548	0.180
	177/3		529/2		670	0.220
	323/1	0.110	740	0.110	550	0.120
	323/2		742	0.020		
	227	0.040	752	0.060	616	0.050
	228/1	0.130	753	0.040	620	0.070
	228/2	0.070	754	0.030	622	0.220
	229	0.110	760	0.020		
	283	0.010	764	0.070	625	0.060
284	0.120					

286/1	} 0.110	787/1	0.010	669/1/1	} 0.190
286/2		788/1	0.060	669/1/2	
307/1	0.020	788/2	0.004	669/2	
307/2	0.070	808	0.020	669/3	
308	0.060	809	0.040	669/4	
309	0.080	810	0.040	669/5	
313/1	0.060	811	0.060	कुलयोग-	
313/2	0.020	813	0.030		
314	0.100	823/1	0.0040		
315	0.010	823/2	0.040		
316/1	} 0.010				
316/2					
319	0.240	825	0.010		
94	0.030	826/1	0.010		
95	0.020	826/2	0.050		
96	0.010	827/1	0.040		
97/1	} 0.010	827/2	0.020		
97/2					
106/1	0.040	828	0.010		
106/2	0.040	833	0.040		
		834	0.005		
122/1	0.010	835	0.005		
		904	0.050		
123	0.100	905	0.110		
125	0.080	906	0.010		
128/3	0.040	926/1	0.020		
132/2	0.080	927/1	0.050		
134	0.070	927/2	0.010		
136	0.080	928	0.030		
135	0.170	929/1	0.020		
465/1	0.020	930/2	0.050		
471	0.070	930/4	0.040		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की जटवारा खुर्द माइनर, जिजनोडी डिस्ट्रीब्युटरी माइनर, खरखरी माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है।
- (4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।
- (5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखांकन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा।

प्र.क्र. 08-अ-82-23-24

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1-

:: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन:-

क. जिला : कटनी
 ख. तहसील : विजयराघवगढ
 ग. ग्राम : धनवाही प.ह. न. 37
 घ. अर्जित क्षेत्रफल : 4.020 हेक्टेयर

ग्राम का विवरण	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)
ग्राम - धनवाही पह.न. 37	250	0.030	291	0.100	329/1	0.170
	251	0.060	292/1	0.140	329/3	0.010
	252/2	0.010	292/2		330/1/1/1	0.230
	252/3	0.280	300/1	330/1/1/2		
	253/1	0.010	300/2	330/1/2		
	253/2	0.090	301	330/2/1		
	253/3	0.050	303	330/2/2		
	254	0.160	308	0.180	331/1	0.020
	255	0.120	309	0.130	331/2	0.070
	256/2	0.050	310	0.030	331/3	0.010
	256/3	0.080	315	0.100	401/1	0.190
	288	0.060	328/1	0.100	402/1	0.030
	289	0.030	328/2	0.260	403/2	0.570
	290	0.080	328/3	0.010	406	0.260
					योग→	4.020

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्के (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है।
- (4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकलन नहीं किया जा रहा है।
- (5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखांकन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवाई का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा।

प्र.क्र. 09-अ-82-23-24

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1-

:: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन:-

क. जिला : कटनी
 ख. तहसील : विजयराघवगढ़
 ग. ग्राम : देवराकला प.ह. न. 18
 घ. अर्जित क्षेत्रफल : 7.750 हेक्टेयर

ग्राम का विवरण	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)
ग्राम - देवराकला प.ह.न. 18	30	0.010	1174/1	0.010	38/1	0.030
	34	0.020	1174/2		38/2	
	35/1	0.050	1174/3		38/3	
	35/2		1174/4		38/4	
	35/3		1174/5		38/5	
	35/4		1174/6		41	0.190
	38/1	0.130	1174/7		44/1	0.120
	38/5		1174/8		44/2	0.010
	38/2		1174/9		45	0.020
	38/6		1174/10		46	0.040
	38/3		1174/11		47	0.020
	38/4		1174/12		48	0.050
	39/1	0.110	1174/13		300/1	0.080
	39/2	0.010	1174/14/1		300/2	
	54	0.030	1174/14/2		300/3	
	55	0.060	1174/15		352	0.080
	81/1	0.010	1174/16		353/1	0.070
	81/2		1174/17		353/2	
	81/3		1174/18		353/3	

	82/1	0.100	1174/19		359/1	0.050
	82/2	0.040	1174/20		359/2	
	85/1	0.110	1174/21		359/3	
	85/2		1174/22		360	0.020
	86/1	0.050	1174/23		367	0.010
	86/2		1174/24		368	0.040
	86/3		1174/27		369	0.040
	90/1	0.220	1174/25		370/2	0.080
	90/2		1174/26		379/1	0.010
	90/3		1174/28		379/2	
	90/4		1205/1	0.060	380/1	0.050
	90/5	1205/2	380/2			
	93/1	0.070	1205/3	385/1	0.080	
	93/2		1206	0.060	385/2	0.030
	93/3		1207	0.030	387	0.030
	93/4		1208	0.010	392	0.040
	110/1	0.010	1211	0.010	393	0.030
	110/2		1210	0.050	397	0.090
	111/1	0.030	1211	0.010	400	0.050
	111/2		1213	0.070	401	0.050
	112/1	0.180	1214	0.070	406	0.150
	112/2		1215/1	0.030	409	0.070
	114	0.020	1215/2		410	0.010
	115/1	0.200	1216/1	0.010	411	0.020
	115/2		1216/2		412/1	0.070
	115/3		1309	0.010	412/2	
	115/4		1310	0.070	1550/1	0.170
	115/5		1311	0.020	1550/2	
	115/6		1312	0.060	1563	0.100
	115/7		1313	0.100	1575/1	0.160
	116/1	0.110	1314	0.050	1575/2	
	116/2		1320/1	0.150	1579/1846	0.190
	116/3		1320/2		1586/1	0.140
	158	1320/5	1586/2			
	160	0.090	1320/11		1591/1	0.140
	161	0.100	1320/14		1591/2	
	205	0.040	1320/3	1607/1	0.180	
	206	0.030	1320/7	1607/4		
	207	0.070	1320/9	1607/2		
	257	0.010	1320/13	1607/3		
	258	0.020	1320/15	1607/5		
	259	0.160	1320/4	1621	0.050	

	1026/1	0.130	1320/6		1622/1	0.030
	1026/2		1320/12		1622/2	
	1026/3		1320/8		1623/1	0.020
	1027	0.010	1320/10		1623/4	
	1029	0.010	1321/1	0.020	1623/2	
	1030	0.100	1321/2		1623/3	
	1040/1	0.040	28	0.020	1623/5	
	1040/2		29/1	0.030	1624/1	0.080
	1041	0.050	29/2	0.010	1624/2	
	1042	0.050	30	0.030	1624/3	
	1043/1	0.020	31	0.040	1629	0.050
	1043/2		33	0.040	1630	0.040
	1044	0.030	34	0.050	1631	0.080
	1060	0.250	35/1	0.040	1635/1	0.090
	1065	0.220	35/2		1635/2	
	1066	0.050	35/3		1635/3	
	1087	0.030	35/4		1635/4	
	1168/1	0.110			1635/5	
	1168/2				1673	0.050
	1169	0.090			कुलयोग-	7.750हेक्ट.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की जटवारा खूर्द माइनर, देवराकला सबमाइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी मे किया जा सकता है।
- (4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।
- (5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखाकन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निर्धारण भू-धारक के पक्ष मे किया जावेगा।

प्र.क्र. 10-अ-82-23-24

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1-

:: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन:-

क.	जिला	:	कटनी
ख.	तहसील	:	विजयराघवगढ
ग.	ग्राम	:	दुर्जनपुर प.ह. न. 41
घ.	अर्जित क्षेत्रफल	:	7.360 हेक्टेयर

ग्राम का विवरण	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)
ग्राम- दुर्जनपुर पह.न. 41	1196/1	1.880	1352	0.100	1446	0.010
	1196/2		1353	0.090	1447	0.010
	1264	0.460	1354	0.130	1448	0.150
	1277	0.590	1355	0.020	1477	0.040
	1278/1	0.160	1356/1	0.030	1478	0.120
	1278/2		1356/2		1479	0.060
	1278/3		1356/3		1480	0.120
	1278/4		1434	0.060	1481	0.010
	1326	0.020	1437/1	0.010	1486	0.120
	1327/1	0.080	1438	0.110	1488	0.240
	1327/2	0.120	1439	0.150	1489/1	0.060
	1328/6	0.020	1440	0.290	1489/2	0.060
	1328/7		1441	0.170	1489/3	0.060
	1328/8		1442	0.240	1490	0.290
	1350/1	0.860	1443/1	0.120	1426	0.020
	1350/2		1443/2		1429	0.120
	1351	0.110	1444	0.050	योग→	7.360

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है।
- (4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।
- (5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखांकन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा।

प्र.क्र. 11-अ-82-23-24

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1-

:: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन:-

क.	जिला	:	कटनी
ख.	तहसील	:	विजयराघवगढ़
ग.	ग्राम	:	संगवारा प.ह. न. 4
घ.	अर्जित क्षेत्रफल	:	2.570 हेक्टेयर

ग्राम का विवरण	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)
ग्राम - संगवारा प०ह० न०- 4	31	0.300	526	0.020
	563	0.210	527	0.060
	549	0.040	530	0.060
	448	0.010	532	0.070
	457/1	0.010	533	0.040
	457/2	0.040	567	0.030
	458	0.070	534/1	0.030
	494/1	0.030	535	0.050
	494/2	0.030	537	0.040
	496	0.160	538	0.050
	498	0.040	539	0.030
	499	0.030	546	0.010
	500	0.060	550	0.070
	501	0.030	551/2	0.040
	502	0.020	552	0.060
	511	0.310	553	0.160
	512	0.020	568/1	0.140
	522	0.020	568/2	0.080
524	0.020	528	0.010	
525	0.030	योग →	2.570	
529	0.040			

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की जटवारा खुर्द माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है।
- (4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।
- (5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखांकन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा।

प्र.क्र. 12-अ-82-23-24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1- :: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन:-

क. जिला : कटनी
ख. तहसील : विजयराघवगढ
ग. ग्राम : बनगवां प.ह. न. 04
घ. अर्जित क्षेत्रफल : 1.120 हेक्टेयर

ग्राम का विवरण	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)
ग्राम - बनगवां प.ह. न. 4	37/1	0.040	83	0.080
	37/2	0.060	84	0.010
	37/3	0.030	119/1	0.240
	37/4	0.030	119/2	
	37/5	0.030	119/3	
	38	0.010	119/4	
	39	0.200	119/5/1	
	43	0.010	119/5/2	
	44	0.090	119/5/3	
	80	0.070	119/5/4	
	81	0.020	119/5/5	
	82	0.070	120	
			कुलयोग→	1.120 हेक्ट.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर जिजनोडी डिस्ट्रीब्युटरी माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है।
- (4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।
- (5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखांकन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवाई का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा।

प्र.क्र. 13-अ-82-23-24

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1-

:: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन:-

क. जिला : कटनी
 ख. तहसील : विजयराघवगढ
 ग. ग्राम : बरा प.ह. नं. 36
 घ. अर्जित क्षेत्रफल : 1.450 हेक्टेयर

ग्राम का विवरण	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे0)	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे0)	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे0)
ग्राम- बरा प.ह.नं.- 36	127/2	0.030	195/1	0.180	219/1	0.130
	129	0.030	195/2		219/2	0.020
	135	0.160	195/3		220	0.110
	140	0.080	195/4		221	0.030
	136	0.040	212	0.020	224	0.070
	137	0.010	213	0.100	225	0.110
	189	0.060	216/1	0.020	239/3	0.160
	190/1	0.020	216/3	0.070	कुलयोग-	1.450 हेक्ट.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की खिरवाखूर्द माइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है।
- (4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।
- (5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखाकन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा।

प्र.क्र. 15-अ-82-23-24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1- :: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन:-

क. जिला : कटनी
ख. तहसील : विजयराघवगढ
ग. ग्राम : खिरवा खूर्द प.ह. न. 39
घ. अर्जित क्षेत्रफल : 2.550 हेक्टेयर

ग्राम का विवरण	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे0)	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे0)	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे0)
ग्राम- खिरवाखूर्द प.ह.नं.- 39	35/1/1	0.070	106	0.130	147/2	0.060
	35/1/2		107/1	0.060	148/427	0.130
	35/2	0.180	107/2	0.070	151/1	0.030
	36	0.020	108	0.020	151/2	0.070
	56	0.080	109	0.010	151/3	0.010
	57/1	0.030	124	0.200	152/3	0.030
	57/2	0.030	126	0.130	152/4	0.060
	57/3	0.030	131/1	0.120	161	0.020
	72/2	0.090	131/2		162/2	0.100
	73/1	0.160	131/3		162/3	0.040
	74	0.030	131/4		296	0.030
	75	0.040	138	0.080	332	0.080
	78	0.040	139	0.060	कुलयोग→	2.550 हेक्ट.
	104	0.070	140	0.140		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की खिरवाखूर्द माइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है।
- (4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।
- (5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखांकन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा।

प्र.क्र. 16-अ-82-23-24

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1-

:: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन:-

क. जिला	:	कटनी
ख. तहसील	:	विजयराघवगढ
ग. ग्राम	:	कलहरा प.ह. न. 13
घ. अर्जित क्षेत्रफल	:	3.270 हेक्टेयर

ग्राम का विवरण	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)
ग्राम- कलहरा - पह.न. 13	126	0.070	380/1	0.210	530/1	0.110
	127/1	0.210	380/2		530/2	
	127/2		380/3		530/3	
	127/3		380/4		532/1	0.040
	128	0.100	380/5		532/3	0.040
	135	0.070	395	0.080	533	0.080
	137	0.120	396	0.250	536	0.070
	138/1	0.040	410	0.390	537	0.130
	138/2		411	0.010	538	0.010
	158/5	0.010	418	0.030	575	0.150
	159/1	0.370	419	0.030	576/1	0.080
	159/2		524	0.060	576/2	0.070
			528/1	0.040	576/5	0.020
			528/2		577	0.110
	159/3		529/2	0.140	578	0.130
					कुलयोग-	3.270हेक्ट.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की सलैया माइनर नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है।
- (4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।
- (5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखांकन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा।

प्र.क्र. 17-अ-82-23-24

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1- :: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन:-

क. जिला : कटनी
ख. तहसील : विजयराघवगढ
ग. ग्राम : खलवारा प.ह. न. 14
घ. अर्जित क्षेत्रफल : 2.810 हेक्टेयर

ग्राम का विवरण	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे0)	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे0)	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे0)
ग्राम- खलवारा प.ह.न. 14	528/1	0.130	756/1	0.080	776/2	0.030
	528/2	0.110	756/3	0.030	776/3	0.110
	529/2	0.030	756/2	0.020	776/4	0.030
	530	0.050	757	0.010	776/5	0.030
	551/1	0.040	761/4	0.200	776/6	0.020
	551/2	0.100	764/2	0.020	776/7	0.040
	552	0.120	765/1/1	0.200	784/2	0.070
	563/1	0.050	765/1/2		784/5	0.020
	563/2	0.040	765/1/3		689	0.020
	564/1	0.030	765/8		695/2	0.060
	564/2		765/2		699/2	0.080
	564/3		765/3		700	0.150
	564/4		765/4		772/1	0.110
	565	0.040	765/9		772/2	
	577	0.240	765/5		772/3	
	679	0.110	765/10		776/1	0.040
	682	0.070	765/6		योग:→	2.810
	683	0.030	765/7			
	688	0.080	770			

- (2) " सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की धनेडी कला माइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है।
- (4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।
- (5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखांकन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा।

प्र.क्र. 18-अ-82-23-24

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1-

:: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन:-

क.	जिला	:	कटनी
ख.	तहसील	:	विजयराघवगढ
ग.	ग्राम	:	दुर्जनपुर (शिवधाम) प.ह.न. 41
घ.	अर्जित क्षेत्रफल	:	0.700 हेक्टेयर

ग्राम का विवरण	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)
ग्राम - दुर्जनपुर (शिवधाम) प.ह.नं.- 41	1225/1	0.040	1271/1	0.060
	1225/2		1271/2	
	1269/1	0.040	1272	0.060
	1269/2	0.050	1273	0.070
	1269/3	0.020	1277	0.360
			कुलयोग-	0.700 हेक्ट.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर के परसवारा माइनर नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है।
- (4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।
- (5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखाकन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवाई का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा।

प्र.क्र. 19-अ-82-23-24

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1-

:: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन:-

क. जिला : कटनी
 ख. तहसील : विजयराघवगढ
 ग. ग्राम : देवरी मझगवां प.ह. न. 13
 घ. अर्जित क्षेत्रफल : 2.630 हेक्टेयर

ग्राम का विवरण	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)
ग्राम- देवरी मझगवां प.ह.नं.- 13	320	0.050	516/1	0.090	556	0.240
	321/1	0.100	516/2		569/1	0.160
			517/1/1	569/2		
			517/1/2	569/3		
	319	0.040	517/1/3	0.100	569/4	0.020
	322	0.050	517/2			
	343	0.050	518/1	0.210	574/1	0.070
	320	0.030	518/2		574/2	
	321/2	0.120	518/3		575/1	0.070
			518/4		575/2	0.040
			526	0.240	576	0.100
	344/1	0.020	527	0.090	588/1	0.060
	344/2	0.020	528	0.090	588/2	0.060
	345	0.010	541	0.070	591/4	0.120
	347	0.150	542/1	0.120		
351	0.040	542/2	कुलयोग→ 2.630 हेक्ट.			

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की धनेडीकलां माइनर नहर व देवरी मझगवां माइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है।
- (4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।
- (5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखांकन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा।

प्र.क्र. 20-अ-82-23-24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1- :: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन:-

क. जिला : कटनी
ख. तहसील : विजयराघवगढ
ग. ग्राम : हरैया प.ह. न. 40
घ. अर्जित क्षेत्रफल : 2.160 हेक्टेयर

ग्राम का विवरण	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)
ग्राम- हरैया प.ह.न.- 40	1051/1	0.100	1181	0.120	1211/1	0.020
	1051/2		1182	0.070	1211/2	
	1052	0.100	1200	0.040	1216	0.050
	1053	0.050	1201	0.140	1253	0.010
	1068	0.050	1206/1	0.180	1254	0.090
	1073	0.110	1206/2		1255	0.150
	1074	0.030	1206/3		1286	0.030
	1071/1	0.040	1209/1	0.120	1287	0.080
	1072	0.120	1209/2		1288	0.060
	1169/1	0.120	1210/1	0.160	कुल योग→	2.160 हेक्ट.
	1169/2		1210/2			
	1170	0.120				

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की सिमरिया माइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है।
- (4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।
- (5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखांकन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा।

प्र.क्र. 21-अ-82-23-24

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1-

:: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन:-

क. जिला	:	कटनी
ख. तहसील	:	विजयराघवगढ
ग. ग्राम	:	धनवाही प.ह. न. 37
घ. अर्जित क्षेत्रफल	:	0.400 हेक्टेयर

ग्राम का विवरण	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)
ग्राम- धनवाही प.ह.नं.- 37	402/1	0.060
	402/2	0.110
	403/2	0.030
	408	0.200
योग-		0.400

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की सिमरिया माइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है।
- (4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।
- (5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखांकन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा।

प्र.क्र. 22-अ-82-23-24

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1-

:: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन:-

क.	जिला	:	कटनी
ख.	तहसील	:	विजयराघवगढ़
ग.	ग्राम	:	सलैया प.ह. न. 10
घ.	अर्जित क्षेत्रफल	:	2.00 हेक्टेयर

ग्राम का विवरण	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)	खसरा नं.	अर्जित रकवा(हे०)
ग्राम- सलैया प.ह.नं.- 10	24	0.150	196	0.050	255/2	0.110
	28	0.080	197/1	0.040	255/3	0.030
	29	0.050	197/2		258	0.020
	31	0.110	198	0.030	449	0.140
	32	0.050	199	0.020	451	0.060
	34	0.020	203/1	0.070	452	0.060
	177/1	0.050	203/2		453	0.040
	177/2		208/1	0.040	455	0.040
	178	0.050	208/2		0.050	474/2
	180	0.050	210/3	0.030		
	181	0.030	211/1	0.080	476	0.060
	182	0.070	212/1			
	183/1	0.030	212/2			
	183/2	0.010	212/3			
	185/1	0.030	212/4			
	185/2	0.010	212/5			
	195	0.040	212/6	कुलयोग→	2.00 हेक्ट.	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की सलैया माइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है।
- (4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।
- (5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखांकन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवि प्रसाद, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 19-भू-अर्जन-24

देवास, दिनांक 2 फरवरी 2024

[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं 30 सन् 2013)]

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क.1 में दतूनी बांध परियोजना, बांध निर्माण अंतर्गत ग्राम सुकल्या तहसील कन्नौद जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे कमांक की भूमि दतूनी बांध परियोजना बांध निर्माण अंतर्गत ग्राम सुकल्या तहसील कन्नौद जिला देवास से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है :- अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

ग्राम- सुकल्या तहसील- कन्नौद

क.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (फीट)		
		सिंचित	असिंचित	योग
1.	दतूनी बांध परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण	-	22×20 फीट	22×20 फीट

अनुसूची-2

दतूनी बांध परियोजना बांध निर्माण अंतर्गत ग्राम सुकल्या तहसील कन्नौद की प्रभावित शासकीय चारागाह में स्थित हनुमान मंदिर का विवरण

ग्राम- सुकल्या तहसील- कन्नौद

क्र.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (फीट) में।	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
1	ग्राम सुकल्या स्थित सर्वेक्षण संख्या 01	शासकीय भूमि सर्वे नंबर 85 रकबा 0.19 हे० में स्थित हनुमान मंदिर जिसकी लंबाई लगभग 22 फीट और चौड़ाई 20 फीट है।	भूमि सर्वे नंबर 85 रकबा 0.19 हैक्टयर मद चारागाह	22×20 फीट	सुकल्या ग्रामवासियों के द्वारा गठित समिति- पवनपुत्र हनुमान समिति ग्राम सुकल्या तहसील कन्नौद जिला देवास।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 1303-भू-अर्जन-24

सिवनी, दिनांक 23 फरवरी 2024

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तिया लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है :-

अनुसूची

- 1 - परियोजना का नाम - धूपघटा जलाशय परियोजना
 2 - भूमि का विवरण :-
 (क) जिला - सिवनी
 (ख) तहसील - लखनादौन
 (ग) नगर/ग्राम - मचवाडा प.ह.नं. :- 63 रा.नि.मं. :- आदेगांव
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.91 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के क्षेत्रफल (हे० मं)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचन	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रगति	संख्या	प्रकार	स्थिति
1	345/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.29	सोमतीबाई बेवा झनकसिंह दिनेशकुमार विनीता पिता झनकसिंह जाति गोड नि.ग्रा भूमिस्वामी	मनोबाई ध.प.स्व. बखतसिंह ह बगैरह जाति लोधी की भूमि	सोमतीबाई बेवा झनकसिंह ह बगैरह जाति गोड की भूमि	शिवराम दिलीपि सह इमरत की भूमि	सोमतीबाई बेवा झनकसिंह ह बगैरह की शेष भूमि	-	-	-	-
2	346	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	शिवराम दिलीपसिंह इमरत पिता तीरथ जाति लमाना नि.ग्रा भूमिस्वामी	मनोबाई ध.प.स्व. बखतसिंह ह बगैरह जाति लोधी की भूमि	सोमतीबाई बेवा झनकसिंह ह बगैरह की भूमि	शिवराम दिलीपि सह इमरत की शेष भूमि	सोमतीबाई बेवा झनकसिंह ह बगैरह जाति गोड की भूमि	-	-	-	-
3	317/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.31	मनोबाई ध0प0स्व0 बखतसिंह इंदिराबाई आशाबाई पिता बखत सिंह जाति लोधी नि.ग्रा भूमिस्वामी	राजकुमार ना. पिता मनोहर की भूमि	सोमतीबाई बेवा झनकसिंह ह बगैरह की भूमि	मनोबाई ध.प.स्व. बखतसिंह ह बगैरह की शेष भूमि	मनोबाई ध.प.स्व. बखतसिंह ह बगैरह की शेष भूमि	-	-	-	-

4	317/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	राजकुमार नाबा. पिता मनोहर संरक्षक मां इन्द्राबाई जाति लोधी नि. लखनादौन भूमिस्वामी	ओमनारा यण बगैरह की भूमि	मनोबाई ध.प.स्व. बखतसिंह बगैरह जाति लोधी की भूमि	राजकुमार ना. पिता मनोहर जाति लोधी की शेष भूमि	डालचंद पिता नर्मदा की भूमि	-	-	-	-
5	316	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	सकरवती बेवा डालचंद दशरथ मनोहर दिमाकु देवकी पिता डालचंद जाति लमाना नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ओमनारा यण बगैरह की भूमि	मनोबाई ध.प.स्व. बखतसिंह बगैरह जाति लोधी की भूमि	ओमनारा यण बगैरह की भूमि	डालचंद पिता नर्मदा की शेष भूमि	-	-	-	-
6	309/1 /2/ 1	भूमिस्वामी	कृषि	0.18	ओमनारायण नरेन्द्रकुमार पि. देवराम जाति मेहरा नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ओमनारा यण बगैरह की भूमि	डालचंद पिता नर्मदा की शेष भूमि	ओमनारा यण बगैरह की भूमि	डालचंद पिता नर्मदा की शेष भूमि	-	-	-	-
7	314/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	विष्णु पिता सुंदरलाल जाति मेहरा नि.ग्रा. भूमिस्वामी	सुन्दरलाल पि. मुन्नालाल की भूमि	सुखराम बगैरह की भूमि	सुन्दरलाल पि. मुन्नालाल की शेष भूमि	सरदार बगैरह की भूमि	-	-	-	-
	278	भूमिस्वामी	कृषि	0.14		जालम पि अतर बगैरह की भूमि	द्रोपतीबाई पति खूबचंद की भूमि	सुन्दरलाल आ. मुन्नालाल बगैरह की शेष भूमि	जामन सिंह बगैरह की भूमि	-	-	-	-
8	315/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	सीताराम पिता बराती जाति अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वामी	सुन्दरलाल पि. मुन्नालाल की भूमि	सीताराम पिता बराती की शेष भूमि	ओमनारा यण बगैरह की भूमि	सुखराम बगैरह की भूमि	-	-	-	-
9	315/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	अंतराम रामलाल रामप्रसाद प्यारीबाई रमियाबाई पिता बराती देवलाल शकुनबाई पिता टेकलाल धनोबाई बेवा बराती हेमवती पिता सुखराम जाति अहीर नि. ग्रा. भूमिस्वामी	सुन्दरलाल पि. मुन्नालाल की भूमि	सुखराम बगैरह की भूमि	सीताराम पिता बराती की भूमि	सरदार बगैरह की शेष भूमि	-	-	-	-
10	313/4 /1	भूमिस्वामी	कृषि	0.38	सरदार पिता आशाराम जाति लमाना नि.ग्रा. भूमिस्वामी	गुपता पि. सरदार की भूमि	सुखराम बगैरह की भूमि	सरदार बगैरह की शेष भूमि	सरदार बगैरह की शेष भूमि	-	-	-	-
11	312/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	गुपता पिता सरदार जाति लमाना नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय सडक	सरदार बगैरह की भूमि	गुपता पि. सरदार की शेष भूमि	गुपता पि. सरदार की शेष भूमि	-	-	-	-
12	273/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	परमा देवसिंग प्रेमवती आमवती सुनीता पिता तखतसिंह कत्तीबाई ध.प. स्व. तखतसिंह जाति लमाना नि.ग्रा. भूमिस्वामी	जामन सिंह बगैरह की भूमि	शासकीय सडक	परमा बगैरह की शेष भूमि	जामन सिंह बगैरह की भूमि	-	-	-	-

13	272	भूमिस्वामी	कृषि	0.11	जामनसिंह जालम सुरेश महेश इन्नाबाई पिता अतरलाल भागवती ध.प. स्व. अतरलाल जाति अहीर नि.ग्रा भूमिस्वामी	द्रोपतीबाई पति खूबचंद की भूमि	शासकीय सडक	परमा बगैरह की भूमि	जामन सिंह बगैरह की भूमि	-	-	-	-
14	277/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	द्रोपतीबाई पति खूबचंद जाति लमाना नि.ग्रा. भूमिस्वामी	सखाराम पि. डमरू बगैरह की भूमि	जामन सिंह बगैरह की भूमि	द्रोपतीबाई पति खूबचंद की शेष भूमि	द्रोपतीबाई पति खूबचंद की शेष भूमि	-	-	-	-
15	269/2 /1	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	रोहणी पिता दमरू जाति लमाना नि.ग्रा. भूमिस्वामी	सखाराम की भूमि	द्रोपतीबाई पति खूबचंद की भूमि	सुन्दरलाल आ. मुन्नालाल बगैरह की भूमि	सखाराम पि. डमरू बगैरह की भूमि	-	-	-	-
16	269/4 /1	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	सखाराम पिता दमरू जाति लमाना नि.ग्रा. भूमिस्वामी	जालम पि अतर बगैरह की भूमि	रोहणी की भूमि	सुन्दरलाल आ. मुन्नालाल बगैरह की भूमि	सखाराम पि. डमरू बगैरह की भूमि	-	-	-	-
17	279/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.11	जालम सुरेश पिता अतरलाल जाति अहीर नि.ग्रा भूमिस्वामी	जालम पि अतर बगैरह की भूमि	सुन्दरलाल आ. मुन्नालाल बगैरह की शेष भूमि	धनीराम पिता पतिराम की भूमि	जामन सिंह बगैरह की भूमि	-	-	-	-
18	280/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.13	धनीराम पिता पतिराम जाति मेहरा नि.ग्रा भूमिस्वामी	धनीराम पिता पतिराम की भूमि	परमा बगैरह की भूमि	डेला प्रसाद पि. हुकमचंद की शेष भूमि	जालम पि अतर बगैरह की भूमि	-	-	-	-
19	283/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.18	डेलाप्रसाद पिता हुकमचंद जाति लमाना नि.ग्रा भूमिस्वामी	कोमल आ. खज्जू बगैरह की भूमि	परमा बगैरह की भूमि	परमू बगैरह की भूमि	धनीराम पिता पतिराम की भूमि	-	-	-	-
20	283/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	कलाबाई बेवा परसू मानसिंह टांडिया चंद्रकुमार पूजा विमला पिता परसू जाति लमाना नि.ग्रा. भूमिस्वामी	कोमल आ. खज्जू बगैरह की भूमि	परमू बगैरह की शेष भूमि	परमू बगैरह की शेष भूमि	डेला प्रसाद पि. हुकमचंद की भूमि	-	-	-	-
21	282/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	मनकीबाई बेवा बुध्द दयाल रामफल रामदीन चोखेलाल पि. बुध्द मंगल अगर अगरो परवी पिता लखन कलाबती बेवा लखन ममता पि. संतराम नरबदी बेवा परमसुख वीरसिंह दलसिंह अनीता पिता परमसुख वेदलाल वेदवती पिता फत्तेलाल जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय सडक	परमू बगैरह की शेष भूमि	कोमल आ. खज्जू बगैरह जाति लोहार की भूमि	कोमल आ. खज्जू बगैरह जाति लोहार की भूमि	-	-	-	-

22	227/7	भूमिस्वामी	कृषि	0.09	शिवराम पि. गोकल जाति लमाना नि.ग्रा भूमिस्वामी	आवलदे पि. हुकमचंद की भूमि	शासकीय सडक	पंचम पि. दुर्गा की भूमि	शिवराम पि. गोकल की शेष भूमि	-	-	-	-
23	227/6	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	पंचम पिता दुर्गा जाति लमाना नि.ग्रा. भूमिस्वामी	आवलदे पि. हुकमचंद की भूमि	शिवराम पि. गोकल की भूमि	पंचम पि. दुर्गा की भूमि	शिवराम पि. गोकल की भूमि	-	-	-	-
24	228/2 /1	भूमिस्वामी	कृषि	0.13	आवलदे पत्नी हुकमचंद जाति लमाना नि.ग्रा. भूमिस्वामी	देवसिंह पि. तख्तसिंह की भूमि	पंचम पि. दुर्गा की भूमि	आवलदे पि. हुकमचंद की भूमि	आवलदे पि. हुकमचंद की भूमि	-	-	-	-
25	229/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	देवसिंह पिता तख्तसिंह जाति लमाना नि.ग्रा भूमिस्वामी	परमानंद पि. तख्तसिंह की भूमि	आवलदे पि. हुकमचंद की भूमि	देवसिंह पि. तख्तसिंह की शेष भूमि	देवसिंह पि. तख्तसिंह की शेष भूमि	-	-	-	-
26	229/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	परमानंद पिता तख्तसिंह जाति लमाना नि.ग्रा भूमिस्वामी	देवीप्रसाद पि. चोल की भूमि	देवसिंह पि. तख्तसिंह की शेष भूमि	परमानंद पि. तख्तसिंह की भूमि	परमानंद पि. तख्तसिंह की भूमि	-	-	-	-
27	24/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	देवीप्रसाद पिता चोलसिंह जाति बंजारा नि.ग्रा भूमिस्वामी	संतराम पि. चोल की भूमि	परमानंद पि. तख्तसिंह की भूमि	देवीप्रसाद पि. चोल की भूमि	देवीप्रसाद पि. चोल की भूमि	-	-	-	-
28	24/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	संतराम पुत्र चोलसिंह जाति लमाना नि.ग्रा भूमिस्वामी	शासकीय सडक	देवीप्रसाद पि. चोल की भूमि	शासकीय सडक	संतराम पि. चोल की शेष भूमि	-	-	-	-
29	27	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	रामचंद्र मेलाराम बुधिया मिलखा पिता सौआ रामाबाई ध0प0स्व0 सौआ जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	विपतलाल पि. सुमरन की भूमि	शासकीय सडक	रामचंद्र बगैरह की भूमि	रामचंद्र बगैरह की भूमि	-	-	-	-
30	28	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	विपतलाल आ. सुमरन जाति गोंड नि.ग्रा भूमिस्वामी	विपतलाल पि. सुमरन की शेष भूमि	रामचंद्र बगैरह की भूमि	सतीश बगैरह की भूमि	विपतलाल पि. सुमरन की भूमि	-	-	-	-
31	26/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	त्वरित पिता सतीश उपाध्याय जाति ब्राम्हण निवासी मिलोनीगंज जबलपुर भूमिस्वामी	सतीश बगैरह की भूमि	सतीश बगैरह की भूमि	शासकीय सडक	विपतलाल पि. सुमरन की भूमि	-	-	-	-
	45	भूमिस्वामी	कृषि	0.01		सतीश बगैरह की भूमि	सतीश बगैरह की भूमि	सतीश बगैरह की भूमि	शासकीय सडक	-	-	-	-
32	313/4 /2	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	रामचन्द्र पिता आशाराम जाति लमाना नि.ग्रा भूमिस्वामी	गुपता पि. सरदार की भूमि	सुखराम बगैरह की भूमि	सरदार बगैरह की शेष भूमि	सरदार बगैरह की शेष भूमि	-	-	-	-
योग	34			2.91						-	-	-	-

1 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- धूपघटा जलाशय परियोजना के नहर निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज सिंघल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र.क्र. 518-रीडर-1-भू-अर्जन-2023-प्र.क्र. 2-अ-82-2022-23

मंदसौर, दिनांक 26 फरवरी 2024

(आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के अंतर्गत सार्वजनिक सूचना)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूचि क्रमांक 1 मंदसौर जिले में अफजलपुर से पालड़ी-चिपलाना मार्ग निर्माण में जाने वाली भूमि के कारण आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूचि (2) के उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूचि (2) की भूमि अनुसूचि (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यक है।

अनुसूचि (1)

ग्राम कोलवा		तहसील मंदसौर ग्रामीण		
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा वर्गमीटर में				
स.क्र	विवरण	सिंचित	असिंचित	कूल
1.	ग्राम पालड़ी तहसील ग्रामीण मंदसौर	0.0960 वर्गमीटर	-	0.0960 वर्गमीटर

अनुसूचि (2)

ग्राम पालड़ी तहसील मंदसौर ग्रामीण में आने वाली निजी भूमि का विवरण

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	रूसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	सिंचित	असिंचित	कूल
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	शांतिबाई पति भारतसिंह निवासी ग्राम	834	0.0960 वर्गमीटर	0.0960 वर्गमीटर	-	0.0960 वर्गमीटर
	योग	01	0.0960 वर्गमीटर	0.0960 वर्गमीटर	-	0.0960 वर्गमीटर

भूमि का नक्शा व प्लान का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी मंदसौर के न्यायालय में किया जा सकता है।

दिलीप कुमार यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 16-अ-82-2022-23-चन्दोराकला-2189

बैतूल, दिनांक 26 फरवरी 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	प्रभातपट्टन	चंदोराकला	0.415	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1, मुलताई जिला बैतूल (म.प्र.)	चंदोरा मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत निजी भूमि का अतिरिक्त अर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	निर्मला बेवा महादेव कुन्बी सा. देह	601/1	2.188	0.375
2	राजेश, दीपक व. महादेव कुन्बी सा. देह	601/3	1.275	0.040
	योग	2	3.463	0.415

(2) चूंकि चंदोरा मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 14-अ-82-2022-23-बोरगाँव-2384

बैतूल, दिनांक 1 मार्च 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	प्रभातपट्टन	बोरगाँव	1.615	कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र.-1, मुलताई जिला बैतूल (म.प्र.)	पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित खेत मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	प्रेमी, राधिका, ललिता (तीनों नाबालिग) संरक्षक पिता टटारी, गोलू, हेमंत (दोनों नाबालिग) संरक्षक पिता टटारी, टटारी पुत्र सुक्या जाति किराड. निवासी बोरगाँव	38/2	1.350	0.050
2	सरवन पिता तुलू जाति किराड नि. बोरगांव	38/3	1.517	0.140
3	सुमरलाल पिता तुलू जाति किराड नि. बोरगांव	38/6	0.181	0.181
4	मैनी पति आफू जाति किराड नि. बोरगांव	40/1	0.748	0.080

5	गोन्दू पिता चिन्धू जाति किराड़ नि. बोरगांव	40/2	0.749	0.100
6	माखन पिता चिन्धू जाति किराड़	41/1	0.607	0.050
7	लक्ष्मण पिता चिन्धू जाति किराड़	41/2	0.607	0.060
8	तितलाल पिता छोटेलाल जाति तेली निवासी बोरगांव	36/1	0.545	0.100
9	अलकेश पिता सुमरलाल जाति किराड़ नि. बोरगांव	38/5	0.789	0.050
10	रामदीन पिता मोहन जाति किराड़	45/1	0.663	0.250
11	दिनेश पिता ढेपल्या जाति किराड़ नि. बोरगांव	139/2	0.275	0.158
12	प्यारेलाल व. ढेपल्या जाति किराड़ नि. बोरगांव	139/3	0.158	0.158
13	रंगलाल व. ढेपल्या जाति किराड़ नि. बोरगांव	139/4	0.158	0.158
14	शंकर व. ढेपल्या जाति किराड़ नि. बोरगांव	139/5	0.080	0.080
	योग	14	8.427	1.615

- (2) चूँकि पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित खेत मार्ग निर्माण से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- (3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 29-भू-अर्जन-2024

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2024

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (5) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि सम्भावना है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्ड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील हुजूर जिला भोपाल के ग्राम आंवला की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक -2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
भोपाल	हुजूर	आंवला	6.180	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल	पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्ड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

ग्राम:- आंवला तहसील - हुजूर जिला:-भोपाल

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा हैं. मे	प्रभावित रकबा हैं. में	अर्जित भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6
1	कौशल्या बाई पत्नी देवी प्रसाद जाति देशवाली पता सरवर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, 12622/20230, नीलेश मारन पिता श्री प्रभुलाल मारन पता 62 ग्राम सेमरी बाज्यापत पोस्ट रातीबड़ भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, 6075/20230, विक्रम सिंह सक्सेना पिता श्री बी एस सक्सेना 1533/20230 पता ए-7 होशंगाबाद रोड सागर रॉयल होम्स वृंदावन ढाबा भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	77/3	2.023	0.377	सिंचित

2	आयुषमान डेवल परस द्वारा पार्टनरशिप राजेश सर्राफ चौधमल सोनू गुप्ता वनवारीलाल गुप्ता अनुज सर्राफ पुत्र घनश्याम सर्राफ पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 2083/8090 आशुतोष सर्राफ पिता श्री घनश्याम सर्राफ पता गणपति शिवाजी मार्ग महल रोड शिवपुरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 2800/8090, कुमारी अनुराधा गोदरे पुत्री श्री आर० के० गोदरे पता 16 नीरज सोसायटी शाहपुरा थाने के पास ई-8 एक्सटेंशन त्रिलंगा भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 510/8090, दीपक गोगना पिता श्री राजकुमार गोगना पता 220 भारत नगर बी०एच०ई०एल० रोड भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 550/8090, अरुणा पत्नी विकास सेठ पता कोलार भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 470/8090, अर्पिता पत्नी राजा घोष पता पिपलानी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 650/8090, छाया पत्नी देवेश शर्मा पता होशंगाबाद रोड भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, 470/8090 प्रशांत द्विवेदी पुत्र आर एम द्विवेदी पता कमला नगर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 557/8090	82/25/2	0.809	0.017	सिंचित
3	देवीप्रसाद पिता मंशाराम एवं सहोदरा बाई बेवा मंशाराम जाति देसवाली पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	82/25/3/1	2.864	1.518	सिंचित
4	विपिन चन्द्र शर्मा पिता प्रेमचन्द शर्मा एवं दर्शना शर्मा पत्नी विपिन चन्द्र शर्मा पता 304 तुलिप ब्लाक जाटखेड़ी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 510/3760, ऐराठ दीपेश पिता सेतुमधावन आर० प्रीता पत्नी ई० दीपेश पता 170/28 साकेत नगर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 510/3760 अर्पिता पत्नी राजा घोष पता पिपलानी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1120/3760, अरुणा पत्नी विकास सेठ पता कोलार रोड भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 810/3760, छाया पत्नी देवेश शर्मा पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	82/25/3/2	0.376	0.008	सिंचित
5	विवेकानन्द विचारधाम शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति भोपाल द्वारा अध्यक्ष राजेश कुमार साहू पिता के के साहू पता ए-4 गीत बंगले दुर्गेश बिहार जे के रोड भोपाल मध्य प्रदेश निजी संस्था	82/2/1/2/1	0.405	0.088	सिंचित
6	राजेश कुमार साहू पिता के के साहू एवं मनोज कुमार साहू पिता के के साहू पता ए-4 गीत बंगलो दुर्गेश बिहार जे के रोड भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	82/2/1/2/2	0.506	0.134	सिंचित

7	अशोक कुमार पिता मोतीलाल जाति मीना 844/3030 पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, नंदलाल गौर पिता श्री गोवर्धन लाल गौर 2186/3030 पता पोस्ट कोलूखेडी पुलिस स्टेशन नजीराबाद रुनाहा बैरसिया कोटरा भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	82/2/1/2/3	0.303	0.028	सिंचित
8	धनविद्या रियलटर्स प्रायवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर नवीनकुमार जैन पिता शिखरचंद जैन निवासी 422 विजय नगर इन्दौर एवं अजय संतोष नागर पिता श्री संतोष कुमार नागर पता बी-9 शुभऑगन इंडिया आयल पेट्रोल पंप के पीछे रायपुरा रोड उद्योगिकपुरी कोटा राजस्थान सम्पूर्ण भाग मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	82/8/1/1	1.730	0.073	सिंचित
9	धनविद्या रियलटर्स प्रायवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर नवीनकुमार जैन पिता शिखरचंद जैन निवासी 422 विजय नगर इन्दौर एवं अजय संतोष नागर पिता श्री संतोष कुमार नागर पता बी-9 शुभऑगन इंडिया आयल पेट्रोल पंप के पीछे रायपुरा रोड उद्योगिकपुरी कोटा राजस्थान सम्पूर्ण भाग मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	82/8/2	2.023		सिंचित
10	विवेकानन्द विचारधाम शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति भोपाल द्वारा अध्यक्ष राजेश कुमार साहू पिता के के साहू पता ए-4 गीत बंगले दुर्गेश बिहार जे के रोड भोपाल मध्य प्रदेश निजी संस्था	82/2/1/3/1	0.202	0.187	सिंचित
11	राजेश कुमार साहू पिता के के साहू एवं मनोज कुमार साहू पिता के के साहू पता ए-4 गीत बंगलो दुर्गेश बिहार जे के रोड भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	82/2/1/3/2	0.101	0.101	सिंचित
12	शशि पटेल पत्नी श्री गया प्रसाद गौर 2020/3198 पता 07 दानिश अनेकसी कॉलोनी कोलार रोड बंजारी चौराहा भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, संदीप सिंह पिता श्री जोखम राम सिंह 1178/3198 पता ओ सी 101 ओलिव टावर द एसेंटिया अलवर बायपास रोड पावर ग्रीड के सामने भीवाडी अलवर राजस्थान भूमि स्वामी	82/2/1/3/3/2	0.320	0.050	सिंचित
13	अशोक कुमार पिता मोतीलाल जाति मीना 881/1852 पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, नंदलाल गौर पिता श्री गोवर्धन लाल गौर 971/1852 पता पोस्ट कोलूखेडी पुलिस स्टेशन नजीराबाद रुनाहा बैरसिया कोटरा भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	82/2/1/3/3/1	0.185	0.016	सिंचित

14	अशोक पुत्र मोतीलाल 1594/7160 जाति देशवाली पता सरवर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, नंदलाल गौर पिता श्री गोवर्धन लाल गौर 2914/7160 पता पोस्ट कोलूखेडी पुलिस स्टेशन नजीराबाद रुनाहा बैरसिया कोटरा भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	82/28/1/1/1/1	0.716	0.023	सिंचित
15	प्रमोद वर्मा पिता टी० आर० वर्मा 2/2872 पता भदभदा रोड भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, संदीप सिंह पिता श्री जोखम राम सिंह 2870/2872 पता ओ सी 101 ओलिव टावर द एसैंटिया अलवर बायपास रोड पावर ग्रीड के सामने भीवाडी अलवर राजस्थान भूमि स्वामी	82/28/1/1/2	0.287	0.194	सिंचित
16	उपेन्द्र कुमार सक्सेना पिता श्री शान्तीस्वरूप सक्सेना पता 40/72 स्वर्णपथ मानसरोवर जयपुर राजस्थान हाल मुकाम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	82/28/1/1/1/2	0.162	0.005	सिंचित
17	शशिसबलोक पत्नी मोहन श्रीवास्तव पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	82/28/1/2	0.600	0.309	सिंचित
18	अजीत कुमार सिंह पिता रामेश्वर सिंह 1000/2000 पता 203 आकृति इको सिटी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, दीपक कुमार पिता गंगाराम अग्रवाल 500/2000 पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, अनिल कुमार गुप्ता पिता शंकरप्रसाद 500/2000 पता गांधीभवन श्यामला हिल्स के पास भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	82/28/1/3	0.200	0.011	सिंचित
19	राजु कुमार पिता रामबाबू चौरसिया 535/1000 पता एल आई जी 29/3 सी साकेत नगर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, जिषा के पत्नी श्री अनीष कुमार के के 465/1000 पता गांधी भवन श्यामला हिल्स पोलिटेकनिक चौराहा भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	82/28/1/4	0.100	0.098	सिंचित
20	लालबहादुर ओझा पिता भोला ओझा पता एल आई जी 470 ए सेक्टर शाहपुरा भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	82/28/1/5	0.100	0.100	सिंचित
21	सुशील कुमार शुक्ला पिता गया प्रसाद शुक्ला पता ई-10 शंकर नगर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	82/28/1/6	0.100	0.048	सिंचित
22	तसलीम फातमा पत्नी अब्दुल बाली पता रचना नगर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	82/28/3	3.240	0.035	सिंचित
23	अनस इकबाल पिता अब्दुल बाली पता रचना नगर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	82/28/4	0.809		सिंचित
24	मीना खण्डेलवाल पत्नी सुरेश खण्डेलवाल पता बृह्मपुरी कालोनी नीलबड़ भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	82/26	1.214	0.432	सिंचित
25	लखनलाल पिता गणेशराम पता सरवर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	82/32	2.156	0.843	सिंचित

26	लक्ष्मीनारायण पुत्र गनेशराम जाति देशवाली 53643/71520 पता सरवर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, लखन पुत्र गनेशराम 17877/71520 जाति देशवाली पता सरवर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	82/31	7.152	0.638	सिंचित
27	आशा वर्मा पत्नी गणेश प्रसाद वर्मा पता ए-11 सुरेन्द्र बिहार बाग मुगालिया भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	82/33	0.405	0.150	सिंचित
28	आशा वर्मा पत्नी गणेश प्रसाद वर्मा पता ए-11 सुरेन्द्र बिहार बाग मुगालिया भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	82/34	1.214	0.559	सिंचित
29	आशा वर्मा पत्नी गणेश प्रसाद वर्मा पता ए-11 सुरेन्द्र बिहार बाग मुगालिया भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	82/35	0.405	0.138	सिंचित
			योग	6.180	

चूँकि पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्ड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस कि समयवधि में हितबद्ध पक्षकार अपनी आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 28-भू-अर्जन-2024

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (5) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि सम्भावना है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील हुजूर जिला भोपाल के ग्राम समसपुरा की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक -2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
भोपाल	हुजूर	समसपुरा	8.386	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल	पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

ग्राम:- समसपुरा तहसील - हुजूर जिला:-भोपाल					
क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा हैं. मे	प्रभावित रकबा हैं. में	अर्जित भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6
1	उदय प्रताप शर्मा पिता श्री रामचरण लाल शर्मा एवं रिचा राजौरिया पुत्री श्री उदय प्रताप शर्मा पता ए-46 गोविन्दपुरी यूनिवर्सिटी रोड सिटी सेंटर ग्वालियर हाल मुकाम भोपाल एवं 21 ग्लोबस फेब सिटी चूनाभट्टी कोलार रोड भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	9/2/1/1	0.757	0.683	सिंचित
2	उदय प्रताप शर्मा पिता श्री रामचरण लाल शर्मा एवं रिचा राजौरिया पुत्री श्री उदय प्रताप शर्मा पता ए-46 गोविन्दपुरी यूनिवर्सिटी रोड सिटी सेंटर ग्वालियर हाल मुकाम भोपाल एवं 21 ग्लोबस फेब सिटी चूनाभट्टी कोलार रोड भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	9/4	0.380	0.057	सिंचित

3	उदय प्रताप शर्मा पिता श्री रामचरण लाल शर्मा एवं रिचा राजौरिया पुत्री श्री उदय प्रताप शर्मा पता ए-46 गोविन्दपुरी यूनिवर्सिटी रोड सिटी सेंटर ग्वालियर हाल मुकाम भोपाल एवं 21 ग्लोबस फेब सिटी चूनाभट्टी कोलार रोड भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	8	0.550	0.355	सिंचित
4	महाना वेन्चर्स द्वारा डायरेक्टर श्रीकृष्ण राजौरिया पिता श्री लीलाधर राजौरिया पता बी-48 मन्नीपुरम कॉलोनी चार इमली भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	22	1.380	0.263	सिंचित
5	महाना वेन्चर्स द्वारा डायरेक्टर श्रीकृष्ण राजौरिया पिता श्री लीलाधर राजौरिया पता बी-48 मन्नीपुरम कॉलोनी चार इमली भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	7	0.610	0.162	सिंचित
6	वंदना गोयल पत्नी श्री मनीष गोयल व कनु अग्रवाल पुत्र श्री ए.अग्रवाल एवं तेहसीन जकी पत्नी श्री मोहम्मद आरिफ जकी भूमि स्वामी	25	1.070	0.185	सिंचित
7	मायाबाई पत्नी रामस्वरूप जाति देशवाली पता मित्तुखेडी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	87	1.780	0.001	सिंचित
8	वंदना गोयल पत्नी श्री मनीष गोयल व कनु अग्रवाल पुत्र श्री ए.अग्रवाल एवं तेहसीन जकी पत्नी श्री मोहम्मद आरिफ जकी भूमि स्वामी	26	1.700	0.090	सिंचित
9	कमलेश्वर युवक एव समाज कल्याण समिति भोपाल अध्यक्ष कन्हैयालाल अमरनानी पुत्र शेखराज अमरनानी पता भोपाल मध्य प्रदेश निजी संस्था भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	71/1/1	1.619		सिंचित
10	रितु अमरनानी पत्नी श्री कन्हैयालाल अमरनानी पता 11 सनविला कैम्पस चूनाभट्टी भोपाल भूमि स्वामी	71/2/1	0.010		सिंचित
11	कन्हैयालाल अमरनानी पिता श्री एल आर अमरनानी पता 11 सनविला कैम्पस चूनाभट्टी भोपाल भूमि स्वामी	71/2/2	0.010	0.509	सिंचित
12	रितु अमरनानी पत्नी श्री कन्हैयालाल अमरनानी पता 11 सनविला कैम्पस चूनाभट्टी भोपाल भूमि स्वामी	71/3/1	0.020		सिंचित
13	कन्हैयालाल अमरनानी पिता श्री एल आर अमरनानी पता 11 सनविला कैम्पस चूनाभट्टी भोपाल भूमि स्वामी	71/3/2	0.020		सिंचित
14	रितु अमरनानी पत्नी श्री कन्हैयालाल अमरनानी पता 11 सनविला कैम्पस चूनाभट्टी भोपाल भूमि स्वामी	71/4/1	0.040		सिंचित
15	कन्हैयालाल अमरनानी पिता श्री एल आर अमरनानी पता 11 सनविला कैम्पस चूनाभट्टी भोपाल मध्यप्रदेशभूमि स्वामी	71/4/2	0.040		सिंचित
16	अरविन्द गंगोलिया पिता एम एस गंगोलिया	74/1/1	0.230		सिंचित
17	ओमदत्त सिंह पिता श्री आर एस यादव	74/1/2	0.230		सिंचित
18	रितु अमरनानी पत्नी श्री कन्हैयालाल अमरनानी	74/1/3	0.211		सिंचित
19	कन्हैयालाल अमरनानी पिता श्री एल आर अमरनानी	74/1/4	0.389		सिंचित
20	अरविन्द गंगोलिया पिता एम एस गंगोलिया पता होशंगाबाद रोड भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	74/2/1	0.083		सिंचित
21	ओमदत्त सिंह पिता श्री आर एस यादव	74/2/2	0.082	0.635	सिंचित
22	रितु अमरनानी पत्नी श्री कन्हैयालाल अमरनानी	74/2/3	0.082		सिंचित
23	कन्हैयालाल अमरनानी पिता श्री एल आर अमरनानी	74/2/4	0.083		सिंचित
24	अरविन्द गंगोलिया पिता एम एस गंगोलिया	74/3/1	0.082		सिंचित
25	ओमदत्त सिंह पिता श्री आर एस यादव	74/3/2	0.083		सिंचित
26	रितु अमरनानी पत्नी श्री कन्हैयालाल अमरनानी	74/3/3	0.082		सिंचित
27	कन्हैयालाल अमरनानी पिता श्री एल आर अमरनानी	74/3/4	0.083		सिंचित

28	कमलेश्वर युवक एव समाज कल्याण समिति भोपाल अध्यक्ष कन्हैयालाल अमरनानी पुत्र शेखराज अमरनानी पता भोपाल मध्य प्रदेश निजी संस्था	74/4	0.200	0.174	सिंचित
29	निदा जकी पिता मोहम्मद आरिफ जकी पता श्यामला हिल्स भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी..	74/5/2	0.160	0.015	सिंचित
30	रामगोपाल पिता चतर सिंह जाति देशवाली पता सा० देह भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	85	0.810	0.485	सिंचित
31	मोहम्मद दानिश खान पुत्र स्व श्री मोहम्मद शाहिद खान पता ग्राम पडरिया सांकल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	83	1.480	0.284	सिंचित
32	मोहम्मद दानिश खान पुत्र स्व श्री मोहम्मद शाहिद खान पता ग्राम पडरिया सांकल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	90/1	0.600	0.115	सिंचित
33	मु० भागवतीबाई पत्नी कमलसिंह एवं ओमप्रकाश संतोष हरभजन जितेन्द्र अजय, सावित्रीबाई, शारदाबाई पुत्र पुत्रीयां कमलसिंह जाति देशवाली पता सा० देह भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	90/2	0.210	0.050	सिंचित
34	मु० भागवतीबाई पत्नी कमलसिंह एवं ओमप्रकाश संतोष हरभजन जितेन्द्र अजय, सावित्रीबाई, शारदाबाई पुत्र पुत्रीयां कमलसिंह जाति देशवाली पता सा० देह भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	91	1.180	0.351	सिंचित
35	गायत्री देवी पत्नी लखनलाल शर्मा पता बड़झिरी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	93/1	2.800	1.193	सिंचित
36	विजय कान्त पुत्र लखनलाल शर्मा पता बड़झिरी भोपाल मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	93/2	0.290		सिंचित
37	कृष्णकान्त शर्मा पुत्र लखनलाल शर्मा पता बड़झिरी भोपाल मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	93/3	2.000		सिंचित
38	श्यामलाल पिता सुरेश कुमार शर्मा पता बड़झिरी भोपाल मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	93/4	1.610		सिंचित
39	सुरेश शर्मा पिता दुलीचन्द्र शर्मा पता बड़झिरी भोपाल मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	93/6	1.200		सिंचित
40	पंकज राय पिता पी सी राय पता 10 ग्लोबस फेब सिटी सुयश अस्पताल के पीछे चूना भट्टी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	98/1	0.505	0.296	सिंचित
41	हिमानी अग्रवाल पुत्री श्री कैलाश अग्रवाल पता 188 आराधना नगर कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	98/2/1	0.064	0.044	सिंचित
42	पवन पाठक पिता राजेन्द्र पाठक पता 1012 रोशनबाग पुष्पा नगर रोड ऐशबाग भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	98/2/2	0.121	0.105	सिंचित
43	मुन्नी बाई पत्नी नवल सिंह जाति देशवाली पता मित्तूखेडी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	99	0.250	0.250	सिंचित
44	मुन्नी बाई पत्नी नवल सिंह जाति देशवाली पता मित्तूखेडी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	102	0.190	0.092	सिंचित
45	ललिता बाई पत्नी विक्रम सिंह पता मित्तूखेडी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	103	1.180	0.040	सिंचित
46	मुन्नी बाई पत्नी नवल सिंह जाति देशवाली पता मित्तूखेडी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	101	0.150	0.004	सिंचित

47	रामेत मीणा पिता प्रभूलाल मीणा 228/1980, हिमानी अग्रवाल पुत्री श्री कैलाश अग्रवाल 1380/1980, संतोषकुमार थापा पिता दिलबहादुर थापा 93/1980, लक्ष्मीनारायण यादव पिता हुकुम चन्द यादव 93/1980, उर्मिला सिंह पत्नी विनोद सिंह 93/1980, कविता शर्मा पत्नी कपिल शर्मा 93/1980, पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	100/1	0.198	0.062	सिंचित
48	वरुण कुमार मिश्रा पिता विनोद कुमार मिश्रा 290/1620, वर्षा मिश्रा पुत्री विनोदकुमार मिश्रा 270/1620, श्वेता त्रिपाठी पुत्री सतीश कुमार त्रिपाठी 260/1620, लता मिश्रा पत्नी विनोद कुमार मिश्रा 270/1620, विनोद कुमार मिश्रा पिता जमुना प्रसाद मिश्रा 270/1620, श्रुति त्रिपाठी पुत्री सतीश कुमार त्रिपाठी 260/1620, पता मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	100/2	0.162	0.162	व्यवसायिक
49	अखिलेश राय पुत्र गेंदालाल राय नि० रायविला भोपाल इन्दोर रोड होटल क्रिसेंट के पीछे सीहोर एवं पंकज राय पिता पी सी राय पता 10 ग्लोबस फेब सिटी चुनाभट्टी सुयश हॉस्पिटल के पीछे जानकीनगर कोलार रोड भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	97/2	0.780	0.158	सिंचित
50	महाना वेन्चर्स द्वारा डायरेक्टर श्रीकृष्ण राजौरिया पिता श्री लीलाधर राजौरिया पता बी-48 मन्नीपुरम कॉलोनी चार इमली भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	21	0.220	0.210	सिंचित
51	महाना वेन्चर्स द्वारा डायरेक्टर श्रीकृष्ण राजौरिया पिता श्री लीलाधर राजौरिया पता बी-48 मन्नीपुरम कॉलोनी चार इमली भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	20	1.030	0.550	सिंचित
52	प्रमोद कुमार वैद्य पिता श्री हरगोविन्द वैद्य पता ई-8/391 त्रिलोचन नगर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	23	1.220	0.328	सिंचित
53	कमला मीणा पत्नी श्री चतुर नारायण मीणा पता 02 ग्राम समसपुरा तह0हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	81/1	0.750	0.007	सिंचित
54	अरविन्द गंगोलिया पिता एम एस गंगोलिया पता होशंगाबाद रोड भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	72/1/1	0.020	0.002	सिंचित
55	ओमदत्त सिंह पिता श्री आर एस यादव पता 39 नेहरू नगर भोपाल मध्य प्रदेश	72/1/2	0.020		सिंचित
56	अरविन्द गंगोलिया पिता एम एस गंगोलिया पता होशंगाबाद रोड भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	72/2/1	0.010		सिंचित
57	ओमदत्त सिंह पिता श्री आर एस यादव पता 39 नेहरू नगर भोपाल मध्य प्रदेश	72/2/2	0.010		सिंचित
58	अरविन्द गंगोलिया पिता एम एस गंगोलिया पता होशंगाबाद रोड भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	72/3/1	0.070		सिंचित
59	ओमदत्त सिंह पिता श्री आर एस यादव पता 39 नेहरू नगर भोपाल मध्य प्रदेश	72/3/2	0.070		सिंचित
60	रितु अमरनानी पत्नी श्री कन्हैयालाल अमरनानी पता 11 सनविला कैम्पस चुनाभट्टी भोपालमध्य प्रदेश भूमि स्वामी	72/3/3	0.140		सिंचित
61	कमला मीणा पत्नी श्री चतुर नारायण मीणा पता 02 ग्राम समसपुरा तह0 हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	84/1	0.090	0.077	सिंचित
62	दिनेश मीणा पिता श्री चतुर नारायण मीणा पता 02 समसपुरा तह0 हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	84/2	0.090	0.028	सिंचित

63	महाना वेन्चर्स द्वारा पार्टनर श्रीकृष्ण राजोरिया पिता श्री लीलाधर राजोरिया पता 132 सिसोदिया कॉलोनी टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे गुना हाल मुकाम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	5	0.280	0.122	सिंचित
64	महाना वेन्चर्स द्वारा पार्टनर श्रीकृष्ण राजोरिया पिता श्री लीलाधर राजोरिया पता 132 सिसोदिया कॉलोनी टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे गुना हाल मुकाम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	6	0.380	0.242	सिंचित
			योग	8.386	

चूँकि पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्ड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस कि समयावधि में हितबद्ध पक्षकार अपनी आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 30-भू-अर्जन-2024

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (5) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि सम्भावना है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील हुजूर जिला भोपाल के ग्राम सरवर की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक -2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादरिश्ता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
भोपाल	हुजूर	सरवर	11.523	संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम भोपाल	पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

ग्राम:- सरवर तहसील - हुजूर जिला:-भोपाल					
क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा हैं. मे	प्रभावित रकबा हैं. में	अर्जित भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6
1	रमेश पुत्र रामकिशन जाति पवार पता नि. बड़झिरी भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	124/1	0.100	0.100	सिंचित
2	राजेश पुत्र रामकिशन जाति पवार पता निवासी ग्राम भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	124/2	0.390	0.300	सिंचित
3	रामदयाल पिता रघुवरदयाल जाति कायस्त पता सा भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	61/1	0.920	0.800	सिंचित
4	कु.वदान्या नाबा पुत्री मनोज श्रीवास्तव सर माँ श्रीमती मुक्ती श्रीवास्तव जाति कायस्थ पता सा भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	61/2	0.440	0.150	सिंचित

5	कु वदान्या नाबा पुत्री मनोज श्रीवास्तव सर माँ श्रीमती मुक्ती श्रीवास्तव जाति कायस्थ पता सा भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	75	0.280	0.006	सिंचित
6	विजयलक्ष्मी साधो पिता सीताराम साधो, देवेन्द्र साधो आ. सीताराम साधो पता सा भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	59	0.590	0.014	सिंचित
7	विजयलक्ष्मी साधो पिता सीताराम साधो, देवेन्द्र साधो आ. सीताराम साधो पता सा भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	38	0.230	0.051	सिंचित
8	विजयलक्ष्मी साधो पिता सीताराम साधो, देवेन्द्र साधो आ सीताराम साधो पता सा भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	39/1	0.150	0.035	सिंचित
9	रामचरण पिता आशाराम जाति खाती पता नि बड़झिरी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	39/2	0.300	0.058	सिंचित
10	विजयलक्ष्मी साधो पिता सीताराम साधो, देवेन्द्र साधो आ सीताराम साधो पता सा भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	60	0.480	0.107	सिंचित
11	निशा चौधरी पत्नी अरुण चौधरी पता नि न्यू मार्केट भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	88/1	9.156	0.105	सिंचित
12	निशा चौधरी पत्नी अरुण चौधरी पता नि न्यू मार्केट भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	88/2	0.045		व्यवसायिक
13	बिटारी डिस्टलरीज प्रा लि रजिस्टर्ड कार्या ६२ जोन 2 महारणप्रताप नगर भोपाल द्वारा डायरेक्टर रंजीत नारंग पिता वी पी नारंग पता भोपाल मध्य प्रदेश निजी संस्था	97	2.380	0.704	सिंचित
14	अशोक चौधरी पुत्र श्री पी वी चौधरी पता निवास 111 अरुणोदम वरखेडी कला भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	92	0.280	0.280	सिंचित
15	सनत कुमार द्विवेदी पुत्र रामनुग्रह द्विवेदी पता नि नीलबढ़ भदभदा रोड भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	166	0.230	0.172	सिंचित
16	दिनेश कुमार श्रीवास्तव पिता श्री जानकी प्रसाद श्रीवास्तव पता सी- 129 शाहपुरा सी सेक्टर बंसल हॉस्पिटल के सामने भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	171/1	0.260	0.090	सिंचित
17	दिनेश कुमार श्रीवास्तव पिता श्री जानकी प्रसाद श्रीवास्तव पता सी-129 शाहपुरा सी सेक्टर बंसल हॉस्पिटल के सामने भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	111/1	1.270	0.455	सिंचित
18	शिरीष द्विवेदी, पीयूष द्विवेदी पुत्रगण आर जी द्विवेदी पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	68	2.470	1.511	आवासीय
19	रामदयाल पिता रघुवरदयाल जाति कायस्थ पता सा भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	62	0.290	0.096	सिंचित
20	छोटेलाल पुत्र बटनलाल जाति देशवाली पता सा आवंला भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	121	1.460	0.055	सिंचित
21	कौशिल्याबाई पत्नी देवीप्रसाद पता आवंला भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	117/791	0.100	0.053	सिंचित
22	बिटारी डिस्टलरीज प्रा लि रजिस्टर्ड कार्या ६२ जोन 2 महारणप्रताप नगर भोपाल द्वारा डायरेक्टर रंजीत नारंग पिता वी पी नारंग पता भोपाल मध्य प्रदेश निजी संस्था	99	1.170	0.245	सिंचित
23	अंकित चौधरी पुत्र अरुण चौधरी पता नि अरुणादय 111 बरखेडीकला भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	109	0.560	0.299	सिंचित

24	अशोक चौधरी पुत्र श्री पी वी चौधरी पता निवास 111 अरुणोदम वरखेडी कलाभोपाल मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	89/1	0.400	0.056	सिंचित
25	अंकित चौधरी पुत्र अरुण चौधरी पता नि अरुणोदय 111 बरखेडीकला भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	89/2	0.660	0.140	सिंचित
26	अशोक चौधरी पुत्र श्री पी वी चौधरी पता निवास 111 अरुणोदम वरखेडी कला भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	90	0.200	0.144	सिंचित
27	अशोक चौधरी पिता श्री पी वी चौधरी पता नि अरुणोदय ग्राम बरखेडी कला भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	91	0.840	0.220	सिंचित
28	अशोक चौधरी पुत्र श्री पी वी चौधरी पता निवास 111 अरुणोदम वरखेडी कला भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	108	0.500	0.001	सिंचित
29	ओम चौधरी पिता पी वी चौधरी पता भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	110/1	1.910	0.726	सिंचित
30	बिटारी डिस्टलरीज प्रा लि रजिस्टर्ड कार्या ६२ जोन 2 महारणप्रताप नगर भोपाल द्वारा डायरेक्टर रंजीत नारंग पिता वी पी नारंग पता भोपाल मध्य प्रदेश निजी संस्था	98	0.150	0.150 *	सिंचित
31	रामनुग्रह द्विवेदी पुत्र छोटई राम द्विवेदी पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	170	0.230	0.181	सिंचित
32	रामनुग्रह द्विवेदी पुत्र छोटई राम द्विवेदी पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	169	0.100	0.051	सिंचित
33	रामनुग्रह द्विवेदी पुत्र छोटई राम द्विवेदी पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	168/1	0.100	0.024	सिंचित
34	अशोक चौधरी पिता श्री पी वी चौधरी पता नि अरुणोदय ग्राम बरखेडी कला भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	93	0.940	0.246	सिंचित
35	सनत कुमार द्विवेदी पुत्र रामनुग्रह द्विवेदी पता नि नीलबढ़ भदभदा रोड भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	165	0.180	0.056	सिंचित
36	सनत कुमार द्विवेदी पुत्र रामनुग्रह द्विवेदी पता नि नीलबढ़ भदभदा रोड भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	167	0.180	0.180	सिंचित
37	विंगकमान्दर ए0सी0 बाजपेई पिता बी.पी. बाजपेई पता सा भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	105/1/1	0.870	0.213	सिंचित
38	अशोक चौधरी पुत्र श्री पी वी चौधरी पता निवास 111 अरुणोदम वरखेडी कला भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	105/1/2	0.110	0.038	सिंचित
39	रामनुग्रह द्विवेदी पुत्र छोटई राम द्विवेदी पता भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	139/1	0.820	0.358	सिंचित
40	सनत कुमार द्विवेदी पुत्र रामनुग्रह द्विवेदी पता नि नीलबढ़ भदभदा रोड भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	139/2	0.510	0.297	सिंचित
41	छोटीबाई बेवा प्रभुलाल संतोषकुमार,रामसिंह आ. प्रभुलाल हिस्सा 1/2 गीताबाई बेवा प्रभुलाल जाति देशवाली ,रामगोपाल बा.प्रीतमसिंह ना. आ. प्रभुलाल माता सं.स्वयं गीताबाई बेवा प्रभुलाल जाति देशवाली पता सा. देह भूमि स्वामी	139/3	0.030	0.030	सिंचित
42	रमेश पुत्र रामकिशन जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	125/1	0.020	0.002	सिंचित
43	छोटेराल पुत्र बटनलाल जाति देशवाली पता सा आवंला भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	120	2.570	0.001	सिंचित

44	दिनेश कुमार श्रीवास्तव पिता श्री जानकी प्रसाद श्रीवास्तव पता सी-129 शाहपुरा सी सेक्टर बंसल हॉस्पिटल के सामने भोपाल मध्यप्रदेश उभूमि स्वामी	119/1	0.370	0.016	सिंचित
45	राजेन्द्र नाहर पिता स्व मानिकलाल नाहर पता ई 2/188 अरेरा कॉलोनी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	138/1/1	0.851	0.429	सिंचित
46	श्रीमती साधना पांडे पति दयानन्द पांडे पता 173 शिवशक्ति पीठ बरखेड़ी खुर्द केरवा रोड भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	138/1/2	0.149		सिंचित
47	मुकेश पुत्र रामकिशन जाति पवार पता नि बड़झिरी सरवर हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	138/2	0.060	0.014	सिंचित
48	वीरेन्द्र पुत्र रमेश जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	138/3	0.130	0.025	सिंचित
49	राजेन्द्र नाहर पिता स्व मानिकलाल नाहर पता ई 2/188 अरेरा कॉलोनी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	122/1/1	0.901	0.258	सिंचित
50	श्रीमती साधना पांडे पति दयानन्द पांडे पता 173 शिवशक्ति पीठ बरखेड़ी खुर्द केरवा रोड भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	122/1/2	0.255		सिंचित
51	मुकेश पुत्र रामकिशन जाति पवार पता नि बड़झिरी सरवर हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	122/2	0.060	0.034	सिंचित
52	वीरेन्द्र पुत्र रमेश जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	122/3	0.184	0.107	सिंचित
53	राजेश पुत्र रामकिशन जाति पवार पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	126/1	0.640	0.072	सिंचित
54	गीताबाई पुत्री रामकिशन 1/3, सौरमबाई पुत्री रामकिशन 1/3, सुनीताबाई पुत्री रामकिशन 1/3 जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	126/2	0.420	0.009	सिंचित
55	लीलाबाई पत्नी रमेन्द्रपाल पता नि 475/91ए साकेत नगर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	66/1	0.530	0.219	सिंचित
56	निर्भय सिंह बा मनोहरसिंह नाबा पुत्र गण भगवानसिंह सरंक्षक पिता रामचरण जाति देशवाली पता नि लखापुर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	66/2	0.250		सिंचित
57	निर्भय सिंह बा मनोहरसिंह नाबा पुत्र गण भगवानसिंह सरंक्षक पिता रामचरण जाति देशवाली पता नि लखापुर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	66/3	0.190		सिंचित
58	वीरेन्द्र पुत्र रमेश जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	123/2	0.183	0.098	सिंचित
59	अनीता राठौर पत्नी के एल राठौर पता निवासी ग्राम दी 325/1 फूटि बाबड़ी पुष्पा नगर चांदबड़ भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	123/1/2	0.214	0.163	सिंचित
60	रमेश पुत्र रामकिशन जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	123/1/1	0.103	0.083	सिंचित
61	रमेश पुत्र रामकिशन जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	131/1	0.270	0.033	सिंचित
62	वीरेन्द्र पुत्र रमेश जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	132/2	0.080	0.080	सिंचित
63	अनीता राठौर पत्नी के एल राठौर पता दी-325/1 फूटि बाबड़ी पुष्पानगर चांदबड़ भोपाल भूमि स्वामी	132/1/2	0.098	0.080	सिंचित
64	रमेश पुत्र रामकिशन जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	132/1/1	0.012	0.012	सिंचित
65	वीरेन्द्र पुत्र रमेश जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	133/2	0.165	0.018	सिंचित

66	अनीता राठौर पत्नी के एल राठौर पता दी-325/1 फूटी बाबड़ी पुष्पानगर चांदबड़ भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	133/1/2	0.097	0.001	सिंचित	
67	रामनाथ साहनी पिता दन्दू साहनी पता 107/4/2 ई सेक्टर भेल बरखेड़ा भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	67/1	1.620	0.936	सिंचित	
68	लीलाबाई पत्नी रमेन्द्रपाल पता नि 475/91ए साकेत नगर भोपालमध्य प्रदेश भूमि स्वामी	67/2	0.280		सिंचित	
69	निर्भयसिंहबा मनोहरसिंह नाबा पुत्र गण भगवान सिंह सरंक्षक पिता रामचरण जाति देशवाली पता लखापुर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	67/3	0.220		सिंचित	
70	शिरीष द्विवेदी पुत्र श्री आर जी द्विवेदी पता 71ई ए स्कीम न. 54 विजय नगर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	69	0.430	0.036	आवासीय	
				योग	11.523	

चूँकि पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्डड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस कि समयावधि में हितबद्ध पक्षकार अपनी आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 33-भू-अर्जन-2024

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (5) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि सम्भावना है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील हुजूर जिला भोपाल के ग्राम झागरिया खुर्द की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक -2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
भोपाल	हुजूर	झागरिया खुर्द	10.745	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल	पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

ग्राम:- झागरिया खुर्द तहसील - हुजूर जिला:-भोपाल					
क.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा हैं. मे.	प्रभावित रकबा हैं. में	अर्जित भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6
1	मगन सिंह पिता आप सिंह जाति भीम पता नि. ग्राम भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्तान्तरणीय (शासन द्वारा पट्टे पर प्रदत्त)	173	1.530	0.587	सिंचित
2	शाबाना सुल्तान पत्नी तोफीक मो खान पता सा देह भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	245	2.280	0.126	सिंचित
3	असीम मुगदल पिता स्व जमनाप्रसाद मुगदल जाति ब्राह्मण पता निवासी नेहरू नगर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	242/1	1.116	0.631	सिंचित
4	अखलेश कुमार पिता जगदीश प्रसाद पता सा देह भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	189	0.860	0.320	सिंचित
5	अखलेश कुमार पिता जगदीश प्रसाद पता सा देह भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	188	0.800	0.603	सिंचित

6	आयुष मुदगल पिता अखिलेश जाति मुदगल पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	187	0.330	0.114	सिंचित
7	असीम कुमार पिता जमनाप्रसाद पता बरखेड़ी दुर्गा चौक बरखेड़ी दुर्गा चौक भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	214	0.320	0.064	सिंचित
8	असीम कुमार पिता जमनाप्रसाद पता बरखेड़ी दुर्गा चौक बरखेड़ी दुर्गा चौक भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	211	0.550	0.334	सिंचित
9	जसोदाबाई पत्नी अनोखीलाल जाति बलाई पता सा देह भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्तान्तरणीय (शासन द्वारा पट्टे पर प्रदत्त)	163	0.150	0.096	सिंचित
10	नीरेन्द्र उपाध्याय पिता सतीश उपाध्याय पता ग्राम लतुरा फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश भूमि स्वामी	73/1/1	0.400	0.179	सिंचित
11	अशीष अरोरा पिता डॉ. अमरनाथ अरोरा पता 202-203 अपूर्व लेक व्यू चूनाभट्टी भोपाल भूमि स्वामी	73/1/2	0.808		सिंचित
12	अशीष अरोरा पिता डॉ. अमरनाथ अरोरा पता 202-203 अपूर्व लेक व्यू चूनाभट्टी भोपाल भूमि स्वामी	73/2/1	0.225		सिंचित
13	देवकली साकेत पत्नी ए आर साकेत पता ज्योति स्कूल राजीव गाँधी रोटररी वाल उद्यान नेहरू भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी नगर रीवा	73/1/3	0.100		सिंचित
14	डी भट्टाचार्य पिता सिरीन भट्टाचार्य, नीतू भट्टाचार्य पत्नी डी भट्टाचार्य पता द्वारा के बी घाटी 43 बी एकता बिहार अम्बाला केन्ट अम्बाला हरियाणा भूमि स्वामी	73/1/4	0.050		सिंचित
15	इस्माईल शोकत दुरानी पिता आई एस दुरानी पता ए 50 कोहेफिजा भोपाल भूमि स्वामी	73/1/5	0.300		सिंचित
16	इस्माईल शोकत दुरानी पिता आई एस दुरानी पता ए 50 कोहेफिजा भोपाल भूमि स्वामी	73/2/2	0.400		सिंचित
17	श्रीमती मीनागोविन्द उत्तमचन्दानी पत्नी गोविन्द जे उत्तम चन्दानी पता सोमवार पैठ पुणे पुना महाराष्ट्र भूमि स्वामी	73/1/6	0.100		सिंचित
18	श्रीकान्त श्रीवास्तव पिता स्व पुरुषोत्तमलाल श्रीवास्तव पता ए 156 अलकापुरी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	73/1/7	0.006	सिंचित	
19	असीम मुगदल पिता स्व जमनाप्रसाद मुगदल जाति ब्राह्मण पता निवासी नेहरू नगर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	241/1	0.621	0.130	सिंचित
20	आयुष मुदगल पिता अखिलेश जाति मुदगल पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	213	0.460	0.198	सिंचित
21	असीम कुमार पिता जमनाप्रसाद पता बरखेड़ी दुर्गा चौक बरखेड़ी दुर्गा चौक भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	212	0.140	0.115	सिंचित
22	देवेन्द्र मुदगल पिता स्व. श्री लक्ष्मीनारायण पता झागरिया खुर्द भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	240	0.210	0.108	सिंचित
23	विनोद सुरेश, हरीश, अरुण, इन्द्रा, उमा पिता रामप्रसाद, कान्तीवाई वेवा रामप्रसाद, कीर्ति वेवा राकेश, शिवानी, सुरभी पुत्रीया राकेश जाति ब्रा. पता सा देह भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	238	0.120	0.084	सिंचित
24	देवेन्द्र मुदगल पिता स्व श्री लक्ष्मीनारायण पता झागरिया खुर्द भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	244	1.550	1.348	सिंचित
25	विश्वनोई, कल्लू, विष्णुसिंह, संगीतलाल पिता सुलाग, गिरदावल वाई, नानी वाई, विष्णु वाई, भूरियावाई, अनिशा, संगीता पुत्रीया सुलाग जाति बैलपारदी पता सा देह भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तान्तरणीय (शासन द्वारा पट्टे पर प्रदत्त)	172	1.210	0.457	सिंचित

26	देवेन्द्र मुदगल पिता स्व श्री लक्ष्मीनारायण पता झागरिया खुर्द भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	252	0.090	0.090	सिंचित
27	असीम मुगदल पिता स्व जमना प्रसाद मुगदल जाति ब्राह्मण पता निवासी नेहरू नगर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	243	0.250	0.215	सिंचित
28	देवेन्द्र मुदगल पिता स्व श्री लक्ष्मीनारायण पता झागरिया खुर्द भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	251	1.120	0.368	सिंचित
29	प्रहलाद पिता बुलाखी पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	75	0.840	0.148	सिंचित
30	आयुष मुदगल पिता अखिलेश जाति मुदगल पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	186	0.240	0.021	सिंचित
31	तोफिक मो खान पिता इकराम अहद खान पता नि अरेबियन कार्टेज गांधी भवन के पास भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	236	2.240	0.104	सिंचित
32	विनोद, सुरेश, हरीश, अरुण, इन्द्रा, उमा पिता रामप्रसाद, कान्तीवाई वेवा रामप्रसाद, कीर्ति वेवा राकेश, शिवानी, सुरभी पुत्रीया राकेश जाति ब्रा पता सा देह भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	239/1	2.390	1.129	सिंचित
33	श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी प्रमोद कुमार पता 53/2 शान्ती निकेतन भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	239/2	0.670	0.499	सिंचित
34	फुंदीबाई पत्नी स्व.श्री देवी सिंह, शारदाबाई, शीलाबाई पुत्री स्व. श्री देवी सिंह, आशा पत्नी स्व. श्री महेश, अक्षय, शिवम, प्रतिज्ञा, प्रियंका, रीतू पुत्र पुत्री स्व. श्री महेश जाति चमार पता झागरिया खुर्द भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	101/2/2/1	0.680	0.439	सिंचित
35	गुरुबक्स पिता हरलाल, रेशमबाई पत्नी गुरुबक्स जाति चमार पता सा देह भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्तान्तरणीय (शासन द्वारा पट्टे पर प्रदत्त)	101/2/2/2	0.680	0.019	सिंचित
36	श्रीमती मीनागोविन्द उत्तमचन्दानी पत्नी गोविन्द जे उत्तम चन्दानी पता सोमवार पैठ पुणे पुना महाराष्ट्र भूमि स्वामी	77/2/1	0.350		सिंचित
37	देवकली साकेत पत्नी ए आर साकेत पता ज्योति स्कूल राजीव गाँधी रोटरी वाल उद्यान नेहरू भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	77/2/2	0.200		सिंचित
38	सरोज शर्मा पत्नी डी पी शर्मा पता 68/1 साउथ टी टी नगर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	77/2/3	0.200	0.265	सिंचित
39	डी भट्टाचार्य पिता सिरीन भट्टाचार्य, नीतू भट्टाचार्य पत्नी डी भट्टाचार्य पता द्वारा के बी घाटी 43बी एकता बिहार अम्बाला केन्ट अम्बाला हरियाणा भूमि स्वामी	77/2/4	0.204		सिंचित
40	इस्माईल शोकत दुर्गानी पिता आई एस दुर्गानी पता ए 50 कोहेफिजा भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	77/2/5	0.300		सिंचित
41	जीतमल पिता रघुराज पता सा देह भूमि स्वामी अहस्तान्तरणीय (शासन द्वारा पट्टे पर प्रदत्त) व बटनलाल लाल पिता प्रभूलाल मिश्रीबाई पत्नी बटनलाल जाति चमार पता सा देह भूमि स्वामी अहस्तान्तरणीय (शासन द्वारा पट्टे पर प्रदत्त) एवं शासकीय मध्यप्रदेश शासन	162	3.980	0.637	सिंचित
42	कबीर चुघ पिता श्री हेमंत कुमार चुघ पता मकान क्रमांक 18 सचिदानंद नगर अन्नपूर्णा रोड सुदामा नगर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	74/1	1.300	0.687	सिंचित

A1

43	देवकली साकेत पत्नी ए आर साकेत पता ज्योति स्कूल राजीव गाँधी रोटरी वाल उद्यान नेहरू भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी नगर रीवा	74/2/2	0.300	0.160	सिंचित
44	सरोज शर्मा पत्नी डी पी शर्मा पता 68/1 साउथ टी टी नगर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	74/2/3	0.200	0.134	सिंचित
45	डी भट्टाचार्य पिता सिरीन भट्टाचार्य, नीतू भट्टाचार्य पत्नी डी भट्टाचार्य पता द्वारा के बी घाटी 43 बी एकता बिहार अम्बाला केन्ट अम्बाला हरियाणा भूमि स्वामी	74/2/4	0.150	0.107	सिंचित
46	श्रीमती मीना गोविन्द उत्तम चन्दानी पत्नी गोविन्द जे उत्तम चन्दानी पता सोमवार पैठ पुणे पुना महाराष्ट्र भूमि स्वामी	74/2/5	0.140	0.114	सिंचित
47	श्रीकान्त श्रीवास्तव पिता स्व पुरुषोत्तमलाल श्रीवास्तव पता ए 156 अलकापुरी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी हरियाणा	74/2/1	0.196	0.115	सिंचित
				योग	10.745

चूँकि पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस कि समयावधि में हितबद्ध पक्षकार अपनी आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 32-भू-अर्जन-2024

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (5) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि सम्भावना है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील हुजूर जिला भोपाल के ग्राम मुण्डला की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक -2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
भोपाल	हुजूर	मुण्डला	8.043	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल	पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

ग्राम:- मुण्डला तहसील -- हुजूर जिला:-भोपाल

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा हैं. मे.	प्रभावित रकबा हैं. में	अर्जित भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6
1	सन्तोष कुमार पिता बल्देव जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	289/3/1	0.061	0.064	सिंचित
2	मोहम्मद अब्बास पुत्र मोहम्मद अमीर पता अमीर मंजिल डिफेन्स कॉलोनी बेहत रोड बब्लू प्रापर्टी डीलर के सामने सहारनपुर उ.प्र. हाल निवासी श्यामला हिल्स भोपाल भूमि स्वामी	289/3/2	0.303		सिंचित
3	जगदीश पिता रामप्रसाद जाति खाती पता नि ग्राम भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	274/1	0.619	0.332	सिंचित
4	संजीव जौहरी पुत्र रमेश सहाय जौहरी पता 8 आकाश नगर कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	274/2	0.931	0.430	सिंचित

5	धीसीलाल, कुबेर सिंह, भगवान सिंह आ.अमर सिंह, मनकुवरबाई वेवा अमर सिंह जाति खाती पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,	263/2/1	0.405	0.062	सिंचित
6	रामगोपाल पुत्र रामलाल जाति खाती पता मूँडला हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	263/2/2	0.405		सिंचित
7	कालूराम पुत्र रंजीत सिंह जाति खाती पता निवासी ग्राम मध्य प्रदेश भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	263/2/3	0.405		सिंचित
8	मोहम्मद अब्बास पुत्र मोहम्मद अमीर पता अमीर मंजिल डिफेन्स कॉलोनी बेहत रोड बब्लू प्रापर्टी डीलर के सामने सहारनपुर उ.प्र. हाल निवासी श्यामला हिल्स भोपाल भूमि स्वामी	261/1	1.450	0.825	सिंचित
9	मोहम्मद अब्बास पुत्र मोहम्मद अमीर पता अमीर मंजिल डिफेन्स कॉलोनी बेहत रोड बब्लू प्रापर्टी डीलर के सामने सहारनपुर उ.प्र. हाल निवासी श्यामला हिल्स भोपाल भूमि स्वामी	261/2	0.724		सिंचित
10	पन्नालाल पुत्र धन्नलाल जाति चमार पता मूँडला हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी"	271/2/3	0.493	0.274	सिंचित
11	मोहम्मद अब्बास पुत्र मोहम्मद अमीर पता अमीर मंजिल डिफेन्स कॉलोनी बेहत रोड बब्लू प्रापर्टी डीलर के सामने सहारनपुर उ.प्र. हाल निवासी श्यामला हिल्स भोपाल भूमि स्वामी	288	0.616	0.353	सिंचित
12	श्रीमती धापूबाई बेवा बाबूलाल जाति बलाई, हेमन्त कुमार पुत्र कालूराम जाति खाती, कमल सिंह पुत्र रामलाल जाति कुम्हार, पता सा देह भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी (अहस्तान्तरणीय शासन द्वारा पट्टे पर प्रदत्त), शासकीय	273	4.620	0.757	सिंचित
13	शान्ताबाई पुत्री भवंरजी 1/2, रामय्यारी बाई पुत्री भवंरजी 1/2, जाति गेहलोत पता सा देह भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	302/2	1.141	0.203	सिंचित
14	राधेश्याम बा. बृजमोहन, जगमोहन, तेजसिंह, सुमित्राबाई, धनवन्तीबाई पुत्र पुत्री अमर सिंह तुलसाबाई वेवा अमर सिंह जाति गेहलोत पता सा.देह भूमि स्वामी	302/3/1	1.885		सिंचित
15	भाव सिंह पुत्र कनीराम जाति गेहलोत पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	302/3/2	0.874		सिंचित
16	सोनाक्षी श्रीवास्तव पुत्री राकेश श्रीवास्तव, सौमित्र श्रीवास्तव पुत्र राकेश श्रीवास्तव पता 62 शिवा रॉयल कोर्ट बाबड़िया कलां भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	302/3/3	1.011		सिंचित
17	राजमल पुत्र भूरजी जाति गेहलोत पता सा देह सा देह भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	302/4	0.534		सिंचित
18	नादानबाई बेवा कमलसिंह, अरवनसिंह, ब्रह्मसिंह, धारुसिंह पिता कमलसिंह जाति गेहलोत पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	302/5/1	0.267		सिंचित
19	गुलाब सिंह पुत्र देवकरण जाति गेहलोत पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	302/5/2	0.267		सिंचित
20	धीसीलाल पुत्र मन्शाराम जाति गेहलोद पता मूँडला हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	302/6	1.888		सिंचित
21	शिवनारायण पुत्र मन्शाराम जाति गेहलोद पता मूँडला हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	302/7	1.888		सिंचित

22	घीसीलाल, कान्ताप्रसाद, फूल्लीबाई, कौशल्याबाई पुत्र पुत्री राम सिंह भोलेराम, भीकम सिंह, पुष्पा, लक्ष्मी पुत्र पुत्री बशीलाल जाति कुम्हार, रईस खां.फैजान खां. आ. बाबू खां.रुबीना बी.रुकसार बी.मरजिना बी पुत्री बाबूखां फेमिदा बी वेवा बाबू खां जाति मुसलमान, ओमप्रकाश पुत्र रामदयाल जाति बलाई, सँजेश रघुवँशी आ.उत्तमसिंह रघुवँशी, जगदीश रघुवँशी आ. राजकुमार रघुवँशी जाति रघुवँशी पता नि. 25 ग्रीन एवेन्यु चुनाभट्टी भोपाल भूमि स्वामी, रामदयाल पुत्र लक्ष्मण जाति बलाई, शाहिद सिद्धदकी पुत्र सादिक सिद्धदकी, शरीफखां पुत्र जाफरखां जाति मुसलमान, घीसीलाल पुत्र खुमान जाति बलाई, देवचन्द पुत्र अमरसिंह जाति बलाई, नन्नीबाई वेवा अमर सिंह, देवचन्द, श्यामलाल, नारायणीबाई, सौदरबाई पुत्र पुत्री अमर सिंह जाति बलाई पता सा.देह भूमि स्वामी (अहस्तान्तरणीय शासन द्वारा पट्टे पर प्रदत्त), शासकीय	290/3	16.896	2.752	सिंचित
23	जमना प्रसाद पिता बल्देव पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	289/1/1/1	0.174	0.329	सिंचित
24	सन्तोष कुमार पिता बल्देव जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	289/1/1/2	0.161		सिंचित
25	मोहम्मद अब्बास पुत्र मोहम्मद अमीर पता अमीर मंजिल डिफेन्स कॉलोनी बेहत रोड बब्लू प्रापर्टी डीलर के सामने सहारनपुर उ.प्र. हाल निवासी श्यामला हिल्स भोपाल भूमि स्वामी	289/1/2	0.391		सिंचित
26	मोहनसिंह, शांताबाई, रामकुवरबाई पुत्र पुत्री राम सिंह जाति बलाई,देवकरन, सीताचरण, रंघुवीर आ. हरीराम, विमलाबाई पुत्री हरीराम, दुर्गेश पुत्री भवरजी, पतीराम पुत्र बालाराम जाति बलाई, शरीफखां पुत्र जाफरखां जाति मुसलमान,, नारायणसिंह पुत्र रामचन्द्र सा देह भूमि स्वामी (अहस्तान्तरणीय शासन द्वारा पट्टे पर प्रदत्त), शासकीय	297/3	8.012	0.334	सिंचित
27	कुंवरजी घनश्याम, ओमप्रकाश, दिनेश, सुमित्रा, सुलोचना पिता भवरजी 31192/124770, बाबूलाल पिता गंगाराम 6238/124770, राजमल पिता गंगाराम 6238/124770, श्यामलाल पिता गंगाराम 6238/124770, रुपकुवरबाई पिता गंगाराम 6238/124770, पंकज नाबा पूजाबा पिता सुरेश 6238/124770, राधेश्याम, सोहनलाल पिता रामप्रसाद उमरीबाई वेवा रामप्रसाद, फुल्लीबाई, भूरीबाई, सीताबाई पुत्री रामप्रसाद 15619/124770, रमेश, महेश बालमुकुन्द, कर्णसिंह, रामस्वरूप पिता बंशीलाल, सुन्दरबाई वेवा बंशीलाल 31192/124770, वनपसिंह, कमलसिंह, हेमराज पिता माखनसिंह, रेशमबाई, शारदाबाई पिता माखनसिंह, शान्ताबाई वेवा माखनसिंह 15577/124770, पता मूँडला हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	277/1	2.020	1.218	सिंचित
28	जगदीश पिता रामप्रसाद जाति खाती पता नि ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	277/2	0.392	0.077	सिंचित

29	मानसिंह पुत्र मांगीलाल जाति खाती पता मूँडला हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	275/1/1/1	0.481	0.033	सिंचित
30	रवि पुत्र अनूपसिंह जाति खाती पता मूँडला हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	275/1/1/2	0.241		सिंचित
31	लक्की पुत्र अनूपसिंह जाति खाती पता मूँडला हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	275/1/1/3	0.241		सिंचित
32	श्रीनन्लाल पुत्र श्री हरीराम पता मूँडला हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	275/1/2/1	2.028		सिंचित
33	मांगीलाल पुत्र बोंदर सिंह पता मूँडला हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	275/1/2/2	0.045		सिंचित
34	श्रीनन्लाल पुत्र श्री हरीराम पता मूँडला हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	275/1/3.276	0.457		सिंचित
35	कंचनमाला व्यास पत्नी राममिलनव्यास पुत्री एस एन तिवारी पता नि ग्राम हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	275/1/4.276	1.008		सिंचित
36	मानसिंह पुत्र मांगीलाल जाति खाती पता मूँडला हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	275/276/2/1	0.910		सिंचित
37	रवि पुत्र अनूपसिंह जाति खाती पता मूँडला हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	275/276/2/2	0.455		सिंचित
38	लक्की पुत्र अनूपसिंह जाति खाती पता मूँडला हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	275/276/2/3	0.456	सिंचित	
			योग	8.043	

चूँकि पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस कि समयावधि में हितबद्ध पक्षकार अपनी आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 34-भू-अर्जन-2024

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2024

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (5) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि सम्भावना है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील हुजूर जिला भोपाल के ग्राम फन्दा कलौ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक -2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हें. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
भोपाल	हुजूर	फन्दा कलौ	11.764	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल	पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

ग्राम:- फन्दा कलौ तहसील - हुजूर जिला:-भोपाल					
क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा हें. मे	प्रभावित रकबा हें. में	अर्जित भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6
1	तरविन्दर सिंह पिता सरदार निछतर सिंह पता फन्दा कलौ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	979/1	0.405	0.046	सिंचित
2	श्रीमति परमजीत कौर पत्नी व श्री बलवीर सिंह, अमरजीत सिंह सतविन्दर सिंह पुत्रगण स्व श्री बलवीर सिंह पता नि सी 93 पंजाबी बाग रायसेन रोड फन्दा कलौ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	979/2	0.405		सिंचित
3	फूलियाबाई पुत्र गेदालाल हि. 1/6 महेन्द पुत्र गेदालाल हि. 1/6 हेमन्त पुत्र गेदालालहि. 1/6 नारायण सिंह पुत्र नन्नुलाल हि. 1/2 पता फन्दा कलौ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	979/3	0.105		सिंचित

4	<p>आकृति डेवेलिग्स प्रालि भोपाल कार्यालय एफ9 प्लाटन २०६ सृष्टि काम्पलेक्स जोन1 एमपी नगर भोपाल अधिकृत हस्ताक्षर कर पुत्र श्री पी डी सोनी 12407/32800, महेंद्र कुमार गुप्ता पुत्र लक्ष्मीनारायण गुप्ता 790/32800, ललित कुमार पेसवानी पुत्र गोविन्द पेसवानी 455/32800, प्रवीण खिलवानी पुत्र परसराम खिलवानी 455/32800, आशीष राजानी पुत्र रमेश कुमार राजानी 455/32800, दोराई लक्ष्मीनारायण पुत्र एन डी राजन मुकुंद लक्ष्मीनारायण अर्चना शिवराज पिता दोराई लक्ष्मीनारायण 790/32800, नुसरत मेंहदी पत्नी एस ए मेंहदी 790/32800, जीतेन्द्र मंशानी पुत्र कन्हैयालाल मंशानी बृजेश मंशानी 661/32800, आशुतोष अग्निहोत्री पुत्र प्रेम विहारी अग्निहोत्री श्रीमती वसुंधरा अग्निहोत्री पत्नी आशुतोष अग्निहोत्री 790/32800, पंकज गोगिया पुत्र डॉक्टर पीताम्बर दास गोगिया 870/32800, पंकज बुनकर पुत्र श्री ओझा बुनकर 444/32800, विमलचंद्र शुक्ला पुत्र सुरेशचंद्र शुक्ला 790/32800, प्रगति चोदहा पत्नी मनीष माधव चोदहा 464/32800, रेखा मेहरा पत्नी आर के मेहरा 297/32800, अंजली शर्मा पत्नी अश्वनी शर्मा अश्वनी शर्मा पुत्र टी बी शर्मा 790/32800, नितिन प्रमोद मनावत पुत्र प्रमोद मनावत श्रीमती लक्ष्मी मनावत पत्नी नितिन मनावत 790/32800, अभय कुमार खरे पुत्र आर के खरे श्रीमती शालिनी खरे पत्नी अभय कुमार खरे 790/32800, मीनू गोयल पत्नी युवराज गोयल 358/32800, रितु अग्रवाल पत्नी विनय अग्रवाल 358/32800, निरंजन प्रसाद श्रीवास्तव पुत्र एस एन पी श्रीवास्तव श्रीमती विमला श्रीवास्तव पत्नी एन पी श्रीवास्तव 790/32800, जीतेन्द्र मंशानी पुत्र कन्हैयालाल मंशानी ब्रिजेश मंशानी पुत्र कन्हैयालाल मंशानी 790/32800, सुरेंद्र कुमार सोनी पुत्र बाबूलाल जी सोनी 790/32800, योगेंद्र सोनी पुत्र नरेंद्र सोनी श्रीमती नीलिमा सोनी पत्नी योगेंद्र सोनी 790/32800, उषा सैनी पुत्री राम नारायण लाल सैनी योगेंद्र सैनी पुत्र राम नारायण लाल सैनी अर्जुन सैनी पुत्र योगेंद्र सैनी 790/32800, मीना बोधरा पत्नी प्रदीप बोधरा 1356/32800, मेसर्स मॉर्निंगड्यू द्वारा पार्टनर श्रीमती संघमित्रा गढ़पाले पत्नी आई डी गढ़पाले श्री सोमित जैन श्री सौरभ जैन आ श्री आर के जैन 1580/32800, मोनिका अग्रवाल पत्नी अनिल अग्रवाल 790/32800, अजय श्रीवस्तव पुत्र महेश प्रसाद श्रीवास्तव 790/32800, राजीव गुप्ता पुत्र जे पी गुप्ता श्रीमती मालती गुप्ता पत्नी जे पी गुप्ता 790/32800.</p>	984	0.417	0.272	सिंचित
5	दुलेसिंह पिता दिलीपसिंह जाति ठाकुर पता फन्दा कलाँ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	971/2	0.465	0.145	सिंचित
6	फूलियाबाई पुत्र गोदालाल 1/6, महेन्द पुत्र गोदालाल 1/6, हेमन्त पुत्र गोदालाल, 1/6 नारायण सिंह पुत्र नन्डूलाल 1/2 पता फन्दा कलाँ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	983	2.346	0.450	सिंचित
7	आकृति डेवेलिग्स प्रालि भोपाल जोन1 एमपी नगर भोपाल अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता व जनरल मैनेजर राजीव सोनी बी डी सोनी व जनरल मैनेजर राजीव सोनी पुत्र बी डी सोनी पता कार्यालय एफ 11 प्लाटन 206 सृष्टि काम्प लेक्स फन्दा कलाँ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश निजी संस्था	982/1	1.619	0.335	आवासीय

8	आकृति डब्लिंग्स प्रालि भोपाल कार्यालय जोन1 एमपी नगर भोपाल अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता व जनरल मैनेजर राजीव सोनी बी डी सोनी व जनरल मैनेजर राजीव सोनी पुत्र बी डी सोनी पता एफ 99 प्लाट नं 206 सृष्टि काम्पलेक्स फन्दा कलौ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश निजी संस्था	982/2	1.619	0.569	आवासीय
9	दुले सिंह पिता दिलीप सिंह जाति ठाकुर पता फन्दा कलौ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वाम	970/1	1.210	0.729	सिंचित
10	बादर सिंह पुत्र दिलीपसिंह 7305/16750 पता हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, नीतू हासानी पत्नी निनोद हासानी 465/16750 पता ए -न्यू -14 /142 सब्जी मंडी रोड संतहिरदानगर बैरागढ़ भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, श्रीमती अनीता आसवानी पत्नी जगदीश आसवानी 4930/16750 पता ए -29/282 सिंधु समाज विद्यालय के पास सिंधु समाज विद्यालय के पास हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, श्रीमती अनीता आसवानी पत्नी जगदीश आसवानी 4050/16750 पता ए 29/282 सिंधु समाज विद्यालय के पास सिंधु समाज विद्यालय के पास हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	970/2/1	0.777	0.556	सिंचित
11	बादर सिंह पुत्र दिलीपसिंह 7770/16750 पता फन्दा कलौ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अनीता आसवानी पत्नी जगदीश आसवानी 4930/16750 पता ए -29/282 सिंधु समाज विद्यालय के पास संत हिरदारामदास नगर हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, अनीता आसवानी पत्नी जगदीश आसवानी 4050/16750 पता ए 29/282 सिंधु समाज विद्यालय के पास संत हिरदारामदास नगर हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	970/2/2	0.898		आवासीय
12	श्रीमती मनीषा जोहरी पत्नी दिलीप जोहरी पता पीरगेट भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	980/1/1	0.381	0.147	सिंचित
13	प्रदीप कुमार पुत्र अशोक कुमार पता पीरगेट भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	980/1/2	0.161	0.133	सिंचित
14	वैदिक सिंहल पत्नी स्व दिलीप कुमार सिंहल पता फन्दा कलौ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	980/2/1	0.477	0.839	सिंचित
15	प्रदीप जौहरी पुत्र स्व अशोक कुमार जौहरी पता 82 मालवीय नगर भोपाल फन्दा कलौ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	980/2/2	0.478		सिंचित
16	मेसर्स मानसरोवर रियल इस्टेट संजय कश्यप पुत्र राजेंद्र कश्यप पता फन्दा कलौ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश निजी संस्था	909/2/3	0.810	0.041	सिंचित
17	प्रेमनारायण पिता हरकिशन जाति गेहलोत 2404/8294, महेंद्र दांगी पुत्र रघुनाथ सिंह 124/8294, राहुल रघुवंशी पुत्र नारायण रघुवंशी 124/8294, प्रवीण कुमार सिंह पुत्र यादवेंद्र सिंह 124/8294, अंकित रावत पुत्र रमाकांत रावत 310/8294, राजेश प्रसाद जायसवाल पुत्र भूरा प्रसाद जायसवाल 310/8294, श्रीमती अनसुइया तोमर पत्नी नरेंद्र तोमर 310/8294, जे. सनमुगम पिता श्री बी जैपाल 743/8294, मयंक आयुष पुत्रगण राकेश श्रीवास्तव 465/8294, अरुण मालवीय पिता श्री मगनलाल 371/8294, नेतराज सिंह पुत्र मुन्नालाल राजपूत 279/8294, श्री बालमुकंद शर्मा पिता श्री शंकरलाल 810/8294, श्री बालमुकंद शर्मा पिता श्री शंकरलाल 920/8294, शंकरलाल शर्मा पिता श्री राजाराम शर्मा आ 1000/8294,	909/2/1/1/1/2	0.141	0.024	व्यवसायिक

18	आकृतिडवेलिंग्स प्रा लि भोपाल जोन 1एमपीनगर भोपाल अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता वजनरल मैनेजर राजीव सोनी बी डी सोनी व जनरल मैनेजर राजीव सोनी पुत्र बी डी सोनी पत्नी कार्यालय एफ11प्लाट नं 206 सृष्टि काम्पलेक्स फन्दा कलॉ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश निजी संस्था	978	1.501	0.011	आवासीय
19	हेमलतासिंह पत्नी रामाश्रय सिंह पता महाराणा प्रताप नगर वार्ड न 09 श्यामपुर फन्दा कलॉ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	909/2/1/2/1	0.047	0.002	आवासीय
20	श्रीमति आरती परमानी पत्नी किशोर परमानी पता फन्दा कलॉ हुजूर भोपाल म.प्र. भूमि स्वामी,	409/1/1/1	0.607	0.255	सिंचित
21	अनिल परमानी पुत्र गागनदास पता फन्दा कलॉ हुजूर भोपाल म.प्र. भूमि स्वामी,	409/1/1/2	0.809	0.002	सिंचित
22	जवाहर कोटवानी आ.टी.सी. कोटवानी पता नि. 29 इब्राहिमपुरा भोपाल भूमि स्वामी,	431/2/1/1	0.869	0.031	सिंचित
23	सुनील पुत्र जोहरीमल पारेख भाग 1/4, शाकुन्तला बेवा जोहरीमल पारेख भाग 1/4, साधना पुत्री जोहरीमल पारेख भाग 1/4, सुनीता पुत्री जोहरीमल पारेख भाग 1/4 पता फन्दा कलॉ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	382/1	1.408	0.029	सिंचित
24	रुचि अग्रवाल पत्नी अशविनी अग्रवाल पता फन्दा कलॉ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	383/1/1	0.146		सिंचित
25	विश्वास परवानी पुत्र एच परवानी पता फन्दा कलॉ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	383/2/1/1	0.478		सिंचित
26	देवकरन पुत्र नन्हुलाल जाति गहलोद हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	383/2/1/2	0.081	0.060	सिंचित
27	रुचि अग्रवाल पत्नी अशविनी अग्रवाल पता फन्दा कलॉ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	383/2/2/1	0.307		सिंचित
28	रुचि अग्रवाल पत्नी अशविनी अग्रवाल पता फन्दा कलॉ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	383/3	0.389		सिंचित
29	हरमेहन्द्र पुत्र सरदार शोभा सिंह भाग 1/2, प्रतापसिंह पुत्र सरदार शोभा सिंह भाग 1/2 जाति नदार पता फन्दा कलॉ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	387/1	0.045	0.001	सिंचित
30	कुलदीप पत्नी करतार सिंह 1/3, गगनजीत पत्नी जसपाल सिंह 1/3, रविन्द्र कौर पत्नी हरजिन्दर सिंह 1/3 पता फन्दा कलॉ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	388/2/1	0.377	0.038	सिंचित
31	शीतल राठौर पुत्र प्रकाश राठौर पता फन्दा कलॉ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	389/1/1	0.194	0.144	सिंचित
32	संजय मिश्रा पुत्र हरीराम सिंह पता फन्दा कलॉ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	389/1/2/1	0.405	0.391	सिंचित
33	अमित गौतम पुत्र धनपाल गौतम पता फन्दा कलॉ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	389/1/2/2	0.344	0.256	सिंचित
34	कुनाल अग्रवाल पुत्र प्रदीप अग्रवाल पता ए 98८ अलका पूरा भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	389/1/2/3	0.182	0.182	सिंचित
35	कृष्ण बहादुर पुत्र एच डी सिंह पता फन्दा कलॉ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	389/1/2/4	0.206	0.206	सिंचित
36	सुशीला सिंह पत्नी राजेन्द्र सिंह 405/809, लालबहादुर सिंह पुत्र हरदास राजपूत 404/809 पता फन्दा कलॉ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	389/3	0.809	0.390	सिंचित

37	मोहम्मद शाहवर पिता अब्दुलजलील, परवेज जलील अंसारी पिता अब्दुलजलील, सोहेल खान पिता मोहम्मद शकील, मोहम्मद शादाब पिता अब्दुल जलील पता नि ६ गली नं १ जैन मंदिर के पीछे इतबारा रोड फन्दा कलाँ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	389/2/1/1	0.121		सिंचित
38	मोहम्मद शादाब पुत्र अब्दुल जलील 1504/1825 पता नि फ्लैट न ००१ बी ब्लॉक रिंगलिया हाइट्स कोहेफिजा हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, अशरफ मोहम्मद पुत्र चांद खाँ निवासी पानी की टंकी के पास वीआईपी रोड खानूगांव एवं अनवार पुत्र अब्दुल पता प्लाट न 06 फ्लैट न 01 नूरजहां अपार्टमेंट चटाईपुरा बुधवारा भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 129/1825 बंटी मेवाड़ा पुत्र कमल सिंह मेवाड़ा 96/1825 पता राम मंदिर के पास हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी आकाश मेवाड़ा पुत्र कमल सिंह मेवाड़ा पता राम मंदिर के पास हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 96/1825	389/2/1/2/1	0.163	0.336	सिंचित
39	मोहम्मद शादाब पुत्र अब्दुल जलील पता नि फ्लैट न ००१ बी ब्लॉक रिंगलिया हाइट्स कोहेफिजा फन्दा कलाँ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1633/1825 भाग, बंटी मेवाड़ा पुत्र कमल सिंह मेवाड़ा पता राम मंदिर के पास खजूरी सड़क हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 96/1825 भाग, आकाश मेवाड़ा पुत्र कमल सिंह मेवाड़ा पता राम मंदिर के पास खजूरी सड़क हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 96/1825 भाग,	389/2/1/2/2	0.019		व्यवसायिक
40	सोहेल खान पुत्र श्री मोहम्मद शकील पता नि गली नं १ जैन मंदिर के पीछे इतबारा रोड फन्दा कलाँ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	389/2/1/3	0.183		सिंचित
41	करन सिंह पुत्र राजमल जाति गेहलोत पता फन्दा कलाँ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	396/1/1	0.906	0.037	सिंचित
42	सिटी इन्फाबेचर प्रा.लि.द्वारा डायरेक्टर प्रदीप अग्रवाल आ. कुंजबिहारी अग्रवाल पता एम.पी.नगर जोन-1 भोपाल भूमि स्वामी	395	0.356	0.033	सिंचित
43	सिटी इन्फाबेचर प्रा.लि.द्वारा डायरेक्टर प्रदीप अग्रवाल आ. कुंजबिहारी अग्रवाल पता नि.एम.पी.नगर जोन-1 भोपाल भूमि स्वामी	394	0.466	0.009	सिंचित
44	श्रीमती अलका अग्रवाल पत्नी प्रदीप अग्रवाल 1/2 भाग, श्रीमती लतिका अग्रवाल पत्नी कुनाल अग्रवाल 1/2 भाग पता ए 148 अलकापुरी हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	390/2	0.809	0.413	सिंचित
45	कुनाल अग्रवाल पुत्र प्रदीप अग्रवाल पता ए १४८ अलका पूरा भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	406/1/1	0.077	0.050	सिंचित
46	सिटी इन्फा बेंचर प्रा लि द्वारा डायरेक्टर प्रदीप अग्रवाल आ कुंजबिहारी अग्रवाल पता एम पी नगर जोन-1 फन्दा कलाँ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश निजी संस्था	406/1/2	0.271	0.152	सिंचित
47	जयराम दावानी पुत्र धनराजमल दावानी पता 1/2 भाग, मोहित दावानी पुत्र जयराम दावानी पता सी 36 सुविध विहार कॉलोनी एयरपोर्ट रोड हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2 भाग	406/1/3	0.522	0.112	व्यवसायिक
48	मैसर्स मोती बिल्डर्स द्वारा पार्टनर धनश्याम सर्राफ, हुकुमचन्द सर्राफ, वीरेन्द्र सिंह रघुवंशी आ. नारायण सिंह रघुवंशी पता फन्दा कलाँ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश निजी संस्था	406/1/4	0.433	0.034	सिंचित

49	मैसर्स मोती बिल्डर्स द्वारा पार्टनर घनश्याम सर्राफ, हुकुमचन्द सर्राफ, वीरेन्द्र सिंह रघुवंशी आ. नारायण सिंह रघुवंशी पता फन्दा कलाँ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश निजी संस्था	406/1/5	0.210	0.014	सिंचित
50	राम कुमार मंशानी पुत्र ए जी मंशानी 1/2, श्रीमती संध्या मंशानी पत्नी राम कुमार मंशानी 1/2 पता म न बीपी 59 लेक पर्ल गार्डन एयरपोर्ट रोड हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	406/2	0.405	0.002	सिंचित
51	जयराम दावानी पुत्र धनराजमल दावानी 1/2 भाग, मोहित दावानी पुत्र जयराम दावानी 1/2 भाग पता सी 36 सुविध विहार कॉलोनी एयरपोर्ट रोड हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	407/1/1/1/1	0.530	2.525	व्यवसायिक
52	सिटी इन्फाबेंचर प्रा.लि.द्वारा डायरेक्टर प्रदीप अग्रवाल आ. कुंजबिहारी अग्रवाल पता नि. एम.पी. नगर जोन-1 भोपाल भूमि स्वामी,	407/1/1/1/2	0.502		सिंचित
53	शिखर आसुदानी पिता कैलाश आसुदानी पता सीडोर नाका में रोड बैरागढ़ फन्दा कलाँ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	407/1/1/1/3	0.036		सिंचित
54	हीरो वतनानी पिता पारुमल वतनानी पता २२ वन ट्री हिल्स फन्दा कलाँ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 3/4 सुनील पारदासानी पिता स्व श्री घनश्यामदास पारदासानी पता १६४ न्यू सिंधी कॉलोनी फन्दा कलाँ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4,	407/1/1/1/4	0.179		सिंचित
55	मैसर्स मोती बिल्डर्स द्वारा पार्टनर घनश्याम सर्राफ, हुकुमचन्द सर्राफ, वीरेन्द्र सिंह रघुवंशी आ. नारायण सिंह रघुवंशी पता फन्दा कलाँ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश निजी संस्था,	407/1/1/1/5	0.381		सिंचित
56	अमित गौतम पुत्र धनपाल गौतम पता फन्दा कलाँ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	407/1/1/1/6	0.044		सिंचित
57	कुनाल अग्रवाल पुत्र प्रदीप अग्रवाल पता ए १४८ अलका पूरा भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	407/1/1/1/7	0.132		सिंचित
58	शीतल राठौर पुत्र प्रकाश राठौर 1/2, हरीराम सिंह पुत्र रामदास सरदार 1/2 पता फन्दा कलाँ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	407/2	0.405		सिंचित
59	शीतल राठौर पुत्र प्रकाश राठौर 1/2, हरीराम सिंह पुत्र रामदास सरदार 1/2 पता फन्दा कलाँ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	407/1/2/1	0.279	सिंचित	
60	कैलाश आसुदानी पुत्र मेठाराम आसुदानी 1/2, एच एच गुवालानी पुत्र हरगोविन्ददास गुवालानी 1/2 पता फन्दा कलाँ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	407/1/1/6/1	0.037	सिंचित	
61	मैसर्स मोती बिल्डर्स द्वारा पार्टनर घनश्याम सर्राफ आ. हुकुमचन्द सर्राफ, वीरेन्द्र सिंह रघुवंशी आ. नारायण सिंह रघुवंशी पता फन्दा कलाँ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश निजी संस्था,	407/1/1/6/2	0.599	0.529	सिंचित

62	चंदनसिंह पुत्र भागीरथ जाति गेहलोत पता फन्दा कलाँ भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	963/3	0.096	0.001	सिंचित
63	राकेश पुत्र भागीरथ पता फन्दा कलाँ भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	963/4	0.096	0.001	सिंचित
64	आकृति डवेलिंग्स प्रालि भोपाल कार्यालय एफ9 प्लाटन 206 सृष्टि काम्पलेक्स जोन1 एमपी नगर भोपाल अधिकृत हस्ताक्षर कर पुत्र श्री पी डी सोनी 12407/32800, महेंद्र कुमार गुप्ता पुत्र लक्ष्मीनारायण गुप्ता 790/32800, ललित कुमार पेसवानी पुत्र गोविन्द पेसवानी 455/32800, प्रवीण खिलवानी पुत्र परसराम खिलवानी 455/32800, आशीष राजानी पुत्र रमेश कुमार राजानी 455/32800, दोराई लक्ष्मीनारायण पुत्र एन डी राजन मुकुंद लक्ष्मीनारायण अर्चना शिवराज पिता दोराई लक्ष्मीनारायण 790/32800, नुसरत मेंहदी पत्नी एस ए मेंहदी 790/32800, जीतेन्द्र मंशानी पुत्र कन्हैयालाल मंशानी बृजेश मंशानी 661/32800, आशुतोष अग्निहोत्री पुत्र प्रेम विहारी अग्निहोत्री श्रीमती वसुंधरा अग्निहोत्री पत्नी आशुतोष अग्निहोत्री 790/32800, पंकज गोगिया पुत्र डॉक्टर पीताम्बर दास गोगिया 870/32800, पंकज बुनकर पुत्र श्री ओझा बुनकर 444/32800, विमलचंद्र शुक्ला पुत्र सुरेशचंद्र शुक्ला 790/32800, प्रगति चोदहा पत्नी मनीष माधव चोदहा 464/32800, रेखा मेहरा पत्नी आर के मेहरा 297/32800, अंजली शर्मा पत्नी अश्वनी शर्मा अश्वनी शर्मा पुत्र टी बी शर्मा 790/32800, नितिन प्रमोद मनावत पुत्र प्रमोद मनावत श्रीमती लक्ष्मी मनावत पत्नी नितिन मनावत 790/32800, अभय कुमार खरे पुत्र आर के खरे श्रीमती शालिनी खरे पत्नी अभय कुमार खरे 790/32800, मीनू गोयल पत्नी युवराज गोयल 358/32800, रितु अग्रवाल पत्नी विनय अग्रवाल 358/32800, निरंजन प्रसाद श्रीवास्तव पुत्र एस एन पी श्रीवास्तव श्रीमती विमला श्रीवास्तव पत्नी एन पी श्रीवास्तव 790/32800, जीतेन्द्र मंशानी पुत्र कन्हैयालाल मंशानी ब्रिजेश मंशानी पुत्र कन्हैयालाल मंशानी 790/32800, सुरेंद्र कुमार सोनी पुत्र बाबूलाल जी सोनी 790/32800, योगेंद्र सोनी पुत्र नरेंद्र सोनी श्रीमती नीलिमा सोनी पत्नी योगेंद्र सोनी 790/32800, उषा सैनी पुत्री राम नारायण लाल सैनी योगेंद्र सैनी पुत्र राम नारायण लाल सैनी अर्जुन सैनी पुत्र योगेंद्र सैनी 790/32800, मीना बोथरा पत्नी प्रदीप बोथरा 1356/32800, मेसर्स मॉर्निंगड्यू द्वारा पार्टनर श्रीमती संघमित्रा गढ़पाले पत्नी आई डी गढ़पाले श्री सोमित जैन श्री सौरभ जैन आ श्री आर के जैन 1580/32800, मोनिका अग्रवाल पत्नी अनिल अग्रवाल 790/32800, अजय श्रीवास्तव पुत्र महेश प्रसाद श्रीवास्तव 790/32800, राजीव गुप्ता पुत्र जे पी गुप्ता श्रीमती मालती गुप्ता पत्नी जे पी गुप्ता 790/32800,	985	0.595	0.041	सिंचित

65	गोल्डी धनवानी पिता श्री सुशील धनवानी 1010/8090, मयंक धनवानी पिता श्री सुशील धनवानी 1010/8090, कीर्ति धनवानी पत्नी श्री सुशील धनवानी 6070/8090 पता नि ई. ४/२३७ अरेरा कॉलोनी फन्दा कलाँ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	981/2	0.809	0.178	आवासीय
66	मेसर्स नयासा डेवलपर्स अभितेष जैन 1/5, मेसर्स नयासा डेवलपर्स प्रतीक जैन 1/5, मेसर्स नयासा डेवलपर्स सचिन जैन 1/5, मेसर्स नयासा डेवलपर्स स्वप्निल जैन 1/5, मेसर्स नयासा डेवलपर्स, सौरभ कुमार जैन 1/5 पता ए-11 विद्या नगर होशंगाबाद मैन रोड बीयू के पास हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश निजी संस्था	981/1/1	0.631		सिंचित
67	मेसर्स नयासा डेवलपर्स अभितेष जैन 1/5, मेसर्स नयासा डेवलपर्स प्रतीक जैन 1/5, मेसर्स नयासा डेवलपर्स सचिन जैन 1/5, मेसर्स नयासा डेवलपर्स स्वप्निल जैन 1/5, मेसर्स नयासा डेवलपर्स, सौरभ कुमार जैन 1/5 पता ए-11 विद्या नगर होशंगाबाद मैन रोड बीयू के पास हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश निजी संस्था	981/1/2	0.405	1.013	सिंचित
68	मेसर्स नयासा डेवलपर्स अभितेष जैन 1/5, मेसर्स नयासा डेवलपर्स प्रतीक जैन 1/5, मेसर्स नयासा डेवलपर्स सचिन जैन 1/5, मेसर्स नयासा डेवलपर्स स्वप्निल जैन 1/5, मेसर्स नयासा डेवलपर्स, सौरभ कुमार जैन 1/5 पता ए-11 विद्या नगर होशंगाबाद मैन रोड बीयू के पास हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश निजी संस्था	981/1/3	0.809		सिंचित
				योग	11.764

चूँकि पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस कि समयावधि में हितबद्ध पक्षकार अपनी आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 142-भू-अर्जन-24

देवास, दिनांक 6 मार्च 2024

[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, (अधिनियम 2013 क्र.30 सन 2013)]

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में "पटपडी लघु सिंचाई योजना" के अंतर्गत ग्राम-पटपडी, तहसील उदयनगर जिला देवास (म.प्र.) के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "पटपडी लघु सिंचाई योजना" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

ग्राम-पटपडी, तहसील उदयनगर जिला देवास

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)		
		सिंचित	असिंचित	योग
1.	पटपडी लघु सिंचाई योजना का बांध निर्माण कार्य हेतु	11.71	0.11	11.82

क्रं.	विवरण	अर्जित किए जाने वाले भवनों का कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1.	पटपडी लघु सिंचाई योजना का बांध निर्माण कार्य हेतु	5534.62

अनुसूची-2

"पटपडी लघु सिंचाई योजना" के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम पटपडी, तहसील उदयनगर जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण :-

ग्राम-पटपडी, तहसील उदयनगर जिला देवास

क्रं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा कं.	भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1.	श्री चंदरसिंह पिता गोटिया जाति भीलाला	162	2.31	—	2.31	2.31	—	2.31
		169	0.69	—	0.69	0.30	—	0.30
2.	श्री खुमसिंह पिता मालसिंह जाति भीलाला	163	0.40	—	0.40	0.40	—	0.40
3.	श्री हरिसिंह पिता भंवरसिंह जाति भीलाला	164/1	0.15	—	0.15	0.15	—	0.15
		164/2	0.25	—	0.25	0.25	—	0.25
		64/3	0.5	—	0.5	0.1	—	0.1

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा कं.	भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
4.	श्री अमरसिंह पिता छोटिया जाति भीलाला	78	1.42	—	1.42	1.0	—	1.0
5.	श्री भंवरसिंह पिता छोटिया जाति भीलाला	69	0.87	—	0.87	0.87	—	0.87
		75	0.02	—	0.02	0.02	—	0.02
		79	0.65	—	0.65	0.65	—	0.65
6.	श्री चंदरसिंह,रूमालसिंह पिता गोरिया जाति भीलाला	67	2.29	—	2.29	2.29	—	2.29
		74	—	0.02	0.02	—	0.02	0.02
7.	श्री भंवरसिंह,अमरसिंह पिता छोटिया जाति भीलाला	80	0.50	—	0.50	0.10	—	0.10
8.	श्री डेडू पिता भुवान जाति भीलाला	56	—	0.02	0.02	—	0.02	0.02
		64/1	1.64	—	1.64	0.40	—	0.40
9.	श्री शंकर पिता कनसिंह जाति भीलाला	68	2.29	—	2.29	2.29	—	2.29
		76	—	0.02	0.02	—	0.02	0.02
10.	श्रीविश्राम,मुन्नालाल,धनसिंह,मेहन्दर,केदार,नानसिंह,रेतलीबाई पिता ज्वानसिंह जाति भीलाला	70	—	0.01	0.01	—	0.01	0.01
11.	श्री सुगरिया,हिरा,अर्जुन पिता केकडिया जाति बलाई	72	—	0.02	0.02	—	0.02	0.02
12.	श्री रामसिंह पिता मालसिंह जाति भीलाला	77	—	0.02	0.02	—	0.02	0.02
13.	श्री गीलदार पिता बेस्ता जाति भीलाला	51/3	0.79	—	0.79	0.05	—	0.05
		53/1	0.10	—	0.10	0.10	—	0.10
14.	श्री मुलदार पिता बेस्ता जाति भीलाला	50/1	0.45	—	0.45	0.05	—	0.05
		51/4	0.38	—	0.38	0.05	—	0.05
		53/2	0.10	—	0.10	0.10	—	0.10
15.	श्रीमती मलकीबाई बेवा सेकडिया,मानसिंह,बालू,इंदर,मुकेस,राकेस, मन्नीबाई, जानुबाई रानुबाई,चम्पाबाई,रायकुबाई पिता सेकडिया जाति भीलाला	53/3	0.05	—	0.05	0.05	—	0.05
16.	श्री रूमसिंह पिता थावरिया जाति भीलाला	49/2	0.31	—	0.31	0.01	—	0.01
17.	लक्ष्मीबाई बेवा चैनसिंह,जगनसिंह,राजेन्द्र पिता चैनसिंह,रामकृवर पिता चैनसिंह,सगीता पिता चैनसिंह,मन्जु पिता चैनसिंह जाति भीलाला	49/3	0.31	—	0.31	0.03	—	0.03
		49/4	0.32	—	0.32	0.03	—	0.03
18.	श्री भीमसिंह पिता थावरिया जाति भीलाला	49/4	0.32	—	0.32	0.03	—	0.03
19.	श्री रामसिंह पिता थावरिया जाति भीलाला	49/5	0.32	—	0.32	0.02	—	0.02
20.	श्री खुमसिंह पिता थावरिया जाति भीलाला	49/6	0.33	—	0.33	0.09	—	0.09
	योग		17.44	0.11	17.55	11.71	0.11	11.82

स. क्र.	भू-धारक का नाम/पिता का नाम	भवन का प्रकार	भवन की माप (वर्गमीटर में)		अर्जित क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	सर्वे नम्बर
			लम्बाई	चौड़ाई		
1	आगनवाडी	आर.सी.सी छत भाग	9	7	63.00	66
2	नरसिंह पिता चन्दर जाति भीलाल	आधा पक्का	8.5	10	85.00	66
3	बाबू पिता चन्दर जाति भीलाल	आधा पक्का	7.5	10	75.00	66
4	कुमार पिता सुरसिंग जाति भीलाल	पक्का कबेलू	12	9	108.00	66
5	कालू पिता सुरसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	11	8	88.00	66
6	रानसिंह पिता कालू जाति भीलाल	पशु शेड	7	4.5	31.5	66
		कच्चा कबेलू	6.5	8	52.00	66
		पशु शेड	3.5	2	7.00	66
7	सज्जन पिता सुरसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	5.5	11.5	63.25	66
8	डेडू पिता रामसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	12	9	108.00	66
9	मगलसिंह पिता रामसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	7.5	11	82.5	66
10	धूलसिंह पिता रामसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	6.5	11	71.5	66
11	बीसन पिता रामसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	8	11	88.00	66
12	मुन्ना पिता रामसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	9	10.5	94.5	66
13	राथसिंह पिता डेडू जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	6.5	8	52.00	66
14	सुमेरसिंह पिता डेडू जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	6	8	48.00	66
15	गंगाराम पिता डेडू जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	7	8	56.00	66
		कच्चा कबेलू	5.5	6	33.00	66
16	विक्रम पिता डेडू जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	7	11	77.00	66
17	खुमसिंह पिता मालसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	12.5	9	112.5	66
		कच्चा कबेलू	7	6	42.00	66
18	रामसिंह पिता मालसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	5	5.5	27.5	66
		पशु शेड	6	12.5	75.00	66
19	कैलाश पिता खुमसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	10	11.5	115.00	66
20	सुरसिंह पिता खुमसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	5.5	11.5	63.25	66
21	रामसिंह पिता मालसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	4	5.5	22.00	66
		पशु शेड	5.5	10.5	57.75	66
22	विश्राम पिता ज्वानसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	11	8	88.00	66
23	मुन्ना पिता ज्वानसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	9.2	10	92.00	66
		कच्चा कबेलू	5	5.5	27.5	66

स. क्रं.	सू-धारक का नाम/पिता का नाम	भवन का प्रकार	भवन की माप (वर्गमीटर में)		अर्जित क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	सर्वे नम्बर
			लम्बाई	चौड़ाई		
24	धन्ना पिता ज्वानसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	9.2	10	92.00	66
		कच्चा कबेलू	4	4	16.00	66
25	महेन्द्र पिता ज्वानसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	4.5	9	40.5	66
26	केदार पिता ज्वानसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	12	6	72.00	66
27	ईशवर पिता ज्वानसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	6	5.3	31.8	66
28	इन्दर पिता विश्राम जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	6	7	42.00	66
29	सुखलाल पिता डोगरसिंह जाति भीलाल	पशु शेड	5	9	45.00	66
		कच्चा कबेलू	10.5	7	73.5	66
30	सागर पिता डोगरसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	9	10	90.00	66
31	राजेश पिता सुखलाल जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	9	7.8	70.2	66
32	माधो पिता सुखलाल जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	7	9	63.00	66
33	रमेश पिता धवलसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	10	6	60.00	66
34	चन्द्रसिंह पिता गोटिया जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	7	6.5	45.5	66
		पशु शेड	7	8.5	59.5	66
35	रूपसिंग पिता गाटिया जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	8	7.5	60.0	66
36	नंदनी पिता निलेश जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	5	5	25.00	66
37	सुमेरसिंह पिता बनसिंग जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	9.5	5.5	52.25	66
38	प्रताप पिता सेकडिया जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	9	4.5	40.5	66
39	जितेन्द्र पिता प्रताप जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	7.5	6	45.00	66
40	अनिल पिता प्रताप जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	6	7.5	45.00	66
41	लक्ष्मण पिता प्रताप जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	7.5	8.5	63.75	66
42	हरिसिंग पिता भवरसिंग जाति भीलाल	आर.सी.सी	4	8.5	34.00	66
		कच्चा कबेलू	8.5	8.5	72.25	66
43	राजेश पिता भवरसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	9	6	54.00	66
44	राकेश पिता भवरसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	8.5	7.5	63.75	66
45	सकाराम पिता भवरसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	8.5	7.5	63.75	66
46	फुलसिंह पिता भवरसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	8	9	72.00	66

R.

स. क्र.	सू-धारक का नाम/पिता का नाम	भवन का प्रकार	भवन की माप (वर्गमीटर में)		अर्जित क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	सर्वे नम्बर
			लम्बाई	चौड़ाई		
47	किसन पिता भवरसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	10	9	90.00	66
48	लक्ष्मण पिता भवरसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	9.5	12.5	118.75	66
49	अजय पिता हरिसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	7	8.5	59.5	66
50	दीपक पिता हरिसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	4	4	16.00	66
51	शेरसिंह पिता नरसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	7.5	8.5	63.75	66
52	रायसिंह पिता नरसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	9	5.5	49.5	66
53	भवरसिंह पिता छोदू जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	9.5	6	57.00	66
54	अमरसिंह पिता छोदू जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	9.3	9.4	87.42	66
		पशु शेड	12	5.5	66.00	66
55	सारदाबाई पति निहालसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	6	6.5	39.00	66
56	बसन्तीबाई पति मुकेश जाति भीलाल	पशु शेड	6	4	24.00	66
57	पवन पिता अमरसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	10.5	10.5	110.25	66
		कच्चा कबेलू	7.5	8.8	66.00	66
		कच्चा कबेलू	6	6	36.00	66
58	कमल पिता अमरसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	10.5	12	126.00	66
		कच्चा कबेलू	4	4.5	18.00	66
59	अनसिंह पिता अमरसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	9	6.5	58.5	66
60	रहेश पिता अमरसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	5.5	10.5	57.75	66
61	धूलेशिंह पिता अमरसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	5.5	10.5	57.75	66
62	बोन्दर पिता शंकर जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	6.5	9	58.5	66
63	धूमसिंह पिता शंकर जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	7	8	56.00	66
64	राकेश पिता सागरसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	7.5	10.5	78.75	66
65	सागरसिंह पिता डोगरसिंह जाति भीलाल	पशु शेड	7.5	10.5	78.75	66
66	बीसन पिता रूपसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	10	9.4	94.00	55
67	जिरोन्द्र पिता रूपसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	5.5	11	60.5	55
68	शंकर पिता कालसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	11	6	66	55
		कच्चा कबेलू	5.6	6	33.6	55
69	बबलू पिता कुमार जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	11	5	55.00	55
70	ललीता पति सुरेन्द्र जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	6.1	5	30.5	55
71	राजाराम पिता डोगरसिंह जाति भीलाल	पक्का कबेलू	8.7	8.11	70.56	55
		आर.सी.सी.	3.81	7.67	29.22	55
72	हीरबाई पति डोगरसिंह जाति भीलाल	कच्चा कबेलू	5.64	5.43	30.62	55
73	घनसिंह पिता डेडू जाति भीलाल	आर.सी.सी.	7.75	7.67	59.44	55
74	भीमसिंह पिता मडिया जाति भीलाल	आर.सी.सी.	7.73	3.87	29.91	55
कुल क्षेत्रफल					5534.62	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋषभ गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

परि. क्र. 165-भू-अर्जन-2023-24

मण्डला, दिनांक 6 मार्च 2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

जिला	तहसील	ग्राम एवं पटवारी हल्का नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
मण्डला	घुघरी	पिपरिया रैयत प.ह.नं. - 32 पीपरदर्रा प.ह.नं. - 25 मचला प.ह.नं. - 31	2.570 50.230 17.120	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मण्डला	अनारी जलाशय बाँधलाइन एवं स्पिल चैनल एवं डूब क्षेत्र हेतु
कुल			69.92		

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।
- भूमि के नक्शे (प्लॉन) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घुघरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सलोनी सिडाना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

क्र. 713-एस.डब्ल्यू-24

राजगढ़, दिनांक 15 जनवरी 2024

(दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 का च-2 की धारा 2 के खण्ड (ए) अन्तर्गत)

म.प्र. शासन गृह पुलिस विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-2(क)/09/08/ बी-3 दो भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 के परिपालन में जिले के भीतर थानों की सीमाओं के निर्धारण करने बाबत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिला राजगढ़ अन्तर्गत विभिन्न थाना क्षेत्रों में आने आले कुछ ग्रामों का जन सुविधा की दृष्टि से क्षेत्र परिवर्तन आवश्यक है।

अतः मैं हर्ष दीक्षित, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला राजगढ़, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सरल क्रमांक -2) की धारा 2 के खण्ड (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये जिला राजगढ़ के निम्नानुसार गांवों को लोक सुविधा की दृष्टि से अन्य थानों/वौकियों में पुर्ननिर्धारण कर सम्मिलित करता हूँ। म.प्र. राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से अनुसूची में उल्लेखित किए गए गांव उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए अन्य थानों/वौकियों की परिसीमा में सम्मिलित किए जाते हैं:-

क्र.	ग्राम का नाम जिसकी सीमा का पुर्ननिर्धारण किया जाना है	ग्राम का वर्तमान थाना/वौकी	ग्राम को किस थाना/वौकी की सीमा में पुर्ननिर्धारण किया जाना है
1.	सुल्तानपुर	थाना कोतवाली राजगढ़	थाना कालीपीठ
2.	गुराडिया	थाना सुजनेर	थाना राजगढ़
3.	चंदेरी	थाना सुठलिया	थाना ब्यावरा शहर
4.	बाइहेड़ा	थाना करनवास	थाना सुजनेर
5.	डूंगरपुर	थाना करनवास	थाना सुजनेर
6.	उदपुरिया	थाना करनवास	थाना सुजनेर
7.	बांसखेड़ी	थाना करनवास	थाना सुजनेर
8.	सुआ हेड़ी	थाना करनवास	थाना ब्यावरा देहात
9.	सोनखेड़ा	थाना खिलचीपुर	थाना छपीहेड़ा
10.	मोहन	थाना जीरपुर	थाना छपीहेड़ा
11.	लसुडिया खेरज	थाना जीरपुर	थाना छपीहेड़ा
12.	केशरपुर	थाना जीरपुर	थाना छपीहेड़ा
13.	गिरधरपुर	थाना भोजपुर	थाना खिलचीपुर
14.	किशनपुरिया	थाना भोजपुर	थाना खिलचीपुर
15.	पुररुपाहेड़ा	थाना भोजपुर	थाना खिलचीपुर
16.	मानपुर	थाना भोजपुर	थाना खिलचीपुर
17.	अहिल्यापुर	थाना भोजपुर	थाना माचलपुर
18.	भड़क	थाना भोजपुर	थाना माचलपुर
19.	भड़की	थाना भोजपुर	थाना माचलपुर
20.	मुकुन्दपुर	थाना भोजपुर	थाना माचलपुर
21.	खानपुर	थाना नरसिंहगढ़	थाना मलावर
22.	बरखेड़ीगढ़ी	थाना कुरावर	थाना नरसिंहगढ़
23.	भोपालपुर	थाना कुरावर	थाना नरसिंहगढ़
24.	चारपुर	थाना कुरावर	थाना नरसिंहगढ़
25.	आमल्याघाट	थाना कुरावर	थाना नरसिंहगढ़
26.	हनापुर	थाना कुरावर	थाना नरसिंहगढ़
27.	भाटपुर	थाना कुरावर	थाना नरसिंहगढ़
28.	मानकी	थाना मलावर	थाना सुठलिया
29.	गोपालपुर	थाना मलावर	थाना सुठलिया
30.	बमवाल	थाना मलावर	थाना सुठलिया

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्ष दीक्षित, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.